श्री मधु लिमये : अगर मेरी एमेन्डमेन्ट को आप मान लें तो वोटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मानने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक यह होता रहा है कि मेम्बर्ज़ सैलरी एन्ड एलाउन्सिस एक्ट की जो क्लाज 4 और सब क्लाज 1 है उसके अनुसार जो भी मेम्बर्ज पार्लिमेन्ट को पैसा दिया जाता है, उस में लिखा हुआ है कि एनी अदर ड्यूटीज । अगर आप समझते हैं कि इस एक्ट को इस काम में नहीं ला सकते हैं तो इस बात को हम एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर्ज से रेग्युलेट कर सकते हैं । इस वास्ते मैं नहीं समझता हूं कि प्राविजन इस तरह का करने की कोई आवश्यकता है । इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि इस एमेन्डमेन्ट की कोई जरूरत है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will now put Amendment No. 11 to the vote of the House.

Amendment No. 11 was put and negatived

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That Clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I move :

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

14.50 hrs.

RESOLUTION RE : PROCLAMATION BY THE PRESIDENT IN RELATION TO THE STATE OF UTTAR PRADESH AND UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL

MR. DEPUTY-SPEAKER : We will now proceed with the Resolution and the Bill relating to Uttar Pradesh.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : On behalf of Shri Y. B. Chavan, I move :

"That the Bill to confer on the President the power of Legislature of the State of Uttar Pradesh to make laws, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill to confer on the President the power of Legislature of the State of Uttar Pradesh to make laws, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Now the Bill and the Resolution are before the House. Four hours have been allotted for these. We have exhausted ten minutes.

Now Mr. Jharkhande Rai to continue his speech.

श्री झारखंडे राय (घोसी) : अपनी तकरीर के दौरान में मैंने केन्द्रीय कांग्रेसी शासकों पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने राष्ट्रपति का शासन हमारे प्रदेश में जानबूझ कर लागू किया जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी । चौ० चरण सिंह का इस्तीफा संविद का एक आन्तरिक प्रश्न था । यह संविद को अधिकार था कि वह नए नेता का सर्वसम्मत चुनाव करके एक विकल्प पेश करती । उसका अवसर न देने के लिए और कांग्रेस के वहां के प्रमुख लोगों को इस बात का

अवसर देने के लिए कि वे कांग्रेस का शासन वहां की अनिच्छुक जनता पर, जन भावना पर और प्रतिनिधियों पर लाद सकें, उसके लिए एक अवसर दिया गया है। राष्ट्रपति का शासन कांग्रेस को फिर वापिस लेने का एक षड़यंत्र है।

किसी भी पार्टी के अन्दर हो, चाहे दो पार्टियों के अन्दर हो, सैद्धांतिक संघर्ष को, वैचारिक टकराव को, कार्यक्रम सम्बन्धी मतभेदों को हमें मान कर चलना चाहिये और उसका स्वागत भी करना चाहिये। इससे प्रजातंत्र की प्रगति होती है, एक स्वस्थ वातावरण तैयार होता है। सिद्धांत-विहीन और केवल कुर्सियों या अवसरवादी टकराव से राजनीति और समाज नीति, दोनों दूषित होती हैं। दलबदलवाद एक राष्ट्रीय प्रश्न है और एक प्रकार से इसने राष्ट्रीय अभिशाप का रूप भी धारण कर लिया है। मैं चाहता हूं कि एक कोड आफ कंडक्ट, एक आचार संहिता बनाई जाए जिस में ऐसे लोगों पर प्रतिबन्ध लगाया जाए कि अगर वे एक दल को बदलते हैं तो उस दल द्वारा चुने गए टिकट पर से इस्तीफा दे कर फिर से जनता का विश्वास प्राप्त करें। मैं समझता हूं कि इस में कोई भी दो रायें नहीं होनी चाहिये। ऐसा करके हम दलबदलवाद की दूषितमनोवृत्ति की रोकथाम कर सकते हैं और इस राष्ट्रीय अभिशाप का जवाब भी दे सकते हैं।

आज भी एक कुप्रयास जारी है। मध्यावधि चुनाव का भय दिखा कर कुछ कमजोर विधायकों का जोड़तोड़ करके कांग्रेस का शासन प्रदेश पर लादने का प्रयास हो रहा है। इसलिए मैंने इस संकल्प का विरोध किया है। मैंने इस बात को स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस का शासन लादने के लिए एक षड़यंत्र रचा गया है जिस में राष्ट्रपति को जानबूझ कर केन्द्रीय कांग्रेसी शासकों ने शामिल किया है। मान्यवर, भारतीय एकाधिकारी पूंजीवाद के रक्षकों और विदेशी पूंजीवाद के मुहाफिजों को जो अगली बेंच पर बैठे हुए हैं मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं कि वह समय को पहचानें, जमाने की रफ्तार को पहचानें, जनता की कराह को पहचानें। यदि जनतंत्र असफल हुआ, देश में जनतंत्र की भाषा नहीं समझी गई तो कोई दूसरा तंत्र हमारी राजनीति और समाज के ऊपर हावी हो जायगा। यदि बैलट की जबान का आदर नहीं किया गया तो बुलेट की जबान का आदर करना पड़ेगा। और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। दो ही रास्ते, दो ही भाषाएं हो सकती हैं। उन में हमारे वर्तमान केन्द्रीय शासक किस भाषा का आदर करते हैं उन्हें स्पष्ट रूप से अपना दिमाग इस विषय में बना लेना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले ने एक बार अंग्रेजी साम्राज्यवाद को इस बात की चेतावनी दी थी कि अगर प्रजातंत्रीय तरीके के जनता के विरोध को दबाया जायगा तो आतंकवाद और प्रत्यातंकवाद पैदा होगा और दूसरे तरीके से जनता अपना विरोध प्रकट करेगी। इसलिए नक्सलबाड़ी की घटना से भी शासकों को सबक लेना चाहिए कि अगर जनमत को दबाया जायगा, प्रजातंत्रीय तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयत्न किया जायगा चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे भारत के अन्य किसी भी प्रदेश में हो तो दूसरी जबान का सहारा लेने के लिए जनता बाध्य होगी। इसलिए आज समय की चेतावनी को मौजूदा शासकों को समझना चाहिए।

माननीय दंडेकर से लेकर वेंकटासुब्बइया साहब तक अन्ध कम्युनिस्ट विरोध की आवाज हमें सुनने को मिली है। दंडेकर साहब को इस बात की बड़ी जल्दी कराने की आवश्यकता है कि कम्यूनिस्ट पार्टी पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक बात भी जल्दी और करनी चाहिए। जो समाजवाद के एनीमी हिन्दुस्तान में हैं—जो समाजवाद राष्ट्रीय लक्ष्य देश का घोषित हो चुका है, उन अमेरिकन साम्राज्यवाद के हिन्दुस्तानी मुहाफिजों को जो हिन्दुस्तान

[श्री झारखण्डे राय]

में मोनोपली कैपिटलिज्म, एकाधिकारी पूंजीवाद के रक्षक हैं, उन्हें भी लाल किले में फायरिंग स्कवैड के सामने जवाब देने के लिए खड़े हो जाना चाहिए।

14.53 HRS.

[MR. G. S. DHILLON *in the Chair*].

इस की भी जल्दी होनी चाहिए। मान्यवर, कम्युनिस्ट पार्टी की देशभक्ति पर भी यहां आक्रमण हुआ। इस बात की भी जुर्रत की गई। कम्यूनिस्टों की देशभक्ति पर कुछ लोगों ने यहां आपत्ति की है और कुछ सन्देह प्रकट किए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि बंगाल के सैकड़ों नहीं हजारों क्रांतिकारी दादा बंगाली बूढ़े आज भी कम्यूनिस्ट पार्टी में हैं? या इतिहास का यह कठोर सत्य नहीं है कि पंजाब के सैकड़ों हजारों गदर पार्टी के बागी आज कम्यूनिस्ट पार्टी में हैं? क्या यह सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश के 1942 के आन्दोलन के या उसके पहले या बाद के अनेकानेक क्रांतिकारी सेनानी आज कम्यूनिस्ट पार्टी में हैं? क्या यह सही नहीं है कि 1942 के विद्रोह के जीवित शहीद नाना पाटिल साहब कम्यूनिस्ट पार्टी में यहां मौजूद हैं? ऐसी हालत को देखते हुए कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रति सन्देह प्रकट करना इतिहास को झुठलाना है। मैं चाहता हूं कि ऐसे विचार रखने वाले अपने विचारों को बदलें। मान्यवर, मैं पूंजीवाद के मुहाफिजों से एक बात पूछना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी पर बैन लगाने से क्या कम्युनिस्ट पार्टी समाप्त हो जायगी? क्या कम्युनिज्म समाप्त हो जायगा? क्या लाल झंडा मिट जायगा? नहीं। ऐसा नहीं होगा। कभी नहीं होगा। कम्यूनिस्ट पार्टी रहेगी, कम्यूनिज्म का आंदोलन रहेगा। लाल झंडा रहेगा। यह तब तक चलता रहेगा जब तक दुनिया से असमानता विषमता मिट न जाय, अमीर गरीब का भेद मिट न जाय, जब तक सच्ची समानता और समता का राज नहीं होगा तब तक यह रहेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कम्यूनिज्म के दुश्मनों से कि एक बार वह सोचें। अगर वह चाहते हैं कम्यूनिज्म को मिटाना तो मैं उन को रास्ता बताता हूं। वह रास्ता यही है कि इस पृथ्वी मन्डल पर से विषमता समाप्त कर दें। कर सकें तो कर दें। उस के बाद यह चीजें अपने आप समाप्त हो जायेंगी। मान्यवर, कम्यूनिस्ट विरोध का रास्ता आमूदा और आजमाया हुआ रास्ता है। यह रास्ता अन्ध रास्ता है। यह रास्ता मौत की घाटी की ओर ले जाता है। मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं कि इस रास्ते पर हिटलर चल चुके हैं, इस रास्ते पर मुसोलोनी चल चुके हैं, इस रास्ते पर तोजो और चियांग चल चुके हैं। उन का हश्र हम सबको और इतिहास को मालूम है। अगर उन कम्यूनिस्ट विरोधी फासिस्ट जायंटस का हश्र यह हुआ तो इन कम्यूनिस्ट विरोधी फासिस्ट पिगमीज का क्या हश्र होगा यह ऐसे लोग स्वयं सोच सकते हैं।

इसलिए मान्यवर, मैं इस चेतावनी के साथ दूसरी बात की ओर आप का ध्यान और इस आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 20 साल तक प्रदेश के पूर्वांचल की वही उपेक्षा की जो अंग्रेज शासकों ने की थी। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल अत्यन्त निर्धन, अत्यन्त अकिंचन, अत्यन्त गरीब इलाका है। मान्यवर, अंग्रेजों ने उस की उपेक्षा क्यों की? इसलिए कि हिन्दुस्तान के 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य युद्ध के अवसर पर उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल बाबू कुंवर सिंह की रहनुमाई में बगावत कर चुका था; इसलिये कि सन् 1942 के विद्रोह में पूर्वांचल के अनेक जिलों से अंग्रेजी शासन खत्म हो गया था। इसलिए कि हमेशा हमेशा राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल आगे रहा। वह बागी इलाका रहा है। इसलिए अंग्रेजों ने जानबूझ कर उसकी उपेक्षा की,

उसके विकास की अवहेलना की। दुख है कि कांग्रेसी शासकों ने भी वही रवैया अपनाया। पूर्वांचल कितना गरीब है? कोई भी उधर का कांग्रेसी शासक अगर यह बताए बगैर कि वह कौन है, बगैर सरकारी पाम्प और शो के वहां घूमे तो उसे वहां एक नहीं दो नहीं हजारों लाखों की संख्या में भूखे नर-कंकाल जीवित-मृत अधेड़ और बूढ़े दिखाई पड़ेंगे। चिथड़ों और गुदड़ों में बहुत सी बहुएं और ललनाएं कठिनाई से अपनी लज्जा समेटती हुई दिखाई पड़ेंगी। गोबरहा खाने वाले, गोबर से निकाले हुए अन्न को खा कर जीने वाले, हजारों और लाखों हरिजन जहां पर आज भी मौजूद हैं, जहां पाकड़, पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे हजारों बच्चे, मैले कुचैले और नंगे बदन उस के गूदे और फल खा कर जीते दिखाई देते हैं; जहां पत्ते टहनियां और सूखी लकड़ियां बटोरती हुई बड़ी लड़कियां नंगी धड़ंगी घूमती हैं, जिन को चिथड़े भी नसीब नहीं हैं लाज ढंकने के लिए, ऐसे पूर्वांचल के प्रति अंग्रेज सरकार ने उपेक्षा की थी, कांग्रेस शासकों ने की है। मैं चाहूंगा कि इस सदन का इधर ध्यान जाना चाहिये। दूसरी बात—जिस क्रांतिकारी भूमि-सुधार की आवश्यकता थी वह क्रांतिकारी भूमि-सुधार गत 20 वर्षों में नहीं हुआ। 20 साल के कांग्रेसी शासन में लाखों लाख एकड़ परती जमीन प्रदेश के तराई इलाके में पड़ी हुई है। आज तक भी वह बांटी नहीं गई। मैं यहां सूचना देना चाहता हूं कि अकेले बहराइच जिले में डेढ़ लाख एकड़ परती जमीन पड़ी हुई है जिसे बांट कर के हजारों भूमिहीन हरिजनों को बसाया जा सकता है और लाखों मन अनाज पैदा किया जा सकता है, लाखों लोगों को बरसरे रोजगार किया जा सकता है। इसलिए उस क्रांतिकारी भूमि सुधार की ओर सदन का ध्यान जाना चाहिए। केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के अन्य प्रदेशों में भी जो करोड़ों एकड़ परती जमीन पड़ी हुई है उस को बांटा जाय और लैन्ड टु दि टिलर जमीन जोतने वाले के हाथ में दी जाय, इस राष्ट्रीय युद्ध-घोष को चरितार्थ किया जाय। क्योंकि यह नहीं किया गया यह सब से बड़ा कारण है कि जो—हमारे देश में इतने दिनों के इतने प्रयास के बाद भी हम खाद्य समस्या में स्वालम्बित नहीं हो सके और आज हम एक अन्तर्राष्ट्रीय भिखारी के रूप में दुनिया के सामने भीख मांगने के लिए मजबूर हो रहे हैं।

एक बात कह कर मैं खत्म करूंगा पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी उत्तर प्रदेश में पूंजीवादी नीति का परिणाम यह हुआ कि केवल दो पब्लिक सेक्टर में कारखाने खोले जा सके एक प्रिसिजन इंस्ट्रूमेन्ट्स फैक्ट्री लखनऊ में और एक चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री मिर्जापुर में। हमारे लिए तीसरा कोई भी कारखाना पब्लिक सेक्टर में पिछले 20 सालों में नहीं खुल सका। इसलिए इस दिवालिया कृषि और खाद्य नीति और इस दिवालिया उद्योग नीति का मैं विरोध करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

.15 Hrs

श्री शिव नारायण (बस्ती) : चेयरमैन महोदय, मुझे बड़ी खुशी हुई कि श्री झारखंडे राय के बाद आपने मुझे बुला लिया। वे उत्तर प्रदेश के एक्स फूड मिनिस्टर रहे हैं, चौधरी चरण सिंह के लाडले फूड मिनिस्टर। उन्होंने यहां पर बहुत आंसू बहाए लेकिन मैं पूछता कि 10 महीने में आप क्या करते रहे राय साहब? ये डेढ़ लाख एकड़ जमीन पहाड़ों में एक घंटे में एक कलम से बांट सकते थे लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। श्री बी० बी० लाल, चीफ सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश, यहां पर मौजूद हैं, मैं जानता हूं कि वे एक बड़े काम्पीटेन्ट आफिसर हैं। मैं चाहूंगा कि लघु सिंचाई में जिन किसानों के ट्यूबवैल अभी तक लटके पड़े हैं, झारखंडे राय जी की सरकार ने जिसको रोक दिया था कि 25 हजार रुपया जमा करो तब ट्यूबवैल लगेगा, उन पर यह सरकार गौर करे। हमको बड़ा गुमान था कि झारखंडे राय जी फूड मिनिस्टर

[श्री शिव नारायण]

हो गए हैं हमारे देश का चावल नैपाल होकर चीन को स्मगिल होता है लेकिन उन्होंने कोई भी इंतजाम नहीं किया। उनके कारनामों से आज भी मेरा ट्यूबवैल लटका हुआ है। आज उत्तर प्रदेश का शासन केन्द्र के हाथ में है। मैं चाहूंगा कि जो अधिकारी वर्ग है वही सही मानों में इस प्रदेश की समस्याओं पर ध्यान दें। उत्तर प्रदेश ही वास्तव में भारतवर्ष है। अभी तक जो पंचवर्षीय योजनायें चलाई गईं उनमें उत्तर प्रदेश टोटली नेगलेक्टेड रहा। हमारे प्रदेश के पं० जवाहरलाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर रहे और अब इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर हैं लेकिन हमारा प्रदेश टोटली नेगलेक्टेड रहा।

मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी अंचल से आता हूं जहां से कि राय साहब भी आते हैं। यह सही है कि वहां पर भुखमरी है, गरीबी है। मैं इस गवर्नमेन्ट से कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्वी इलाके में, जहां पर कि भुखमरी है, गरीबी है, आप केवल पानी दे दें। हम आप से फर्टिलाइजर नहीं मांगते हैं। आप केवल पानी का प्रबन्ध कर दीजए, हम आपको दूना चावल पैदा करके देंगे, ऐसा चावल जो यहां पर पके तो वहां तक खुशबू जाय। राय साहब उस चावल को जानते हैं।

चेयरमैन साहब, हमारे पूर्वी इलाके का जो शिक्षक वर्ग है वह बहुत कम पैसा पा रहा है। उनकी तरफ भी सरकार की नजर जानी चाहिये। अस्पतालों की हालत बड़ी ही खराब है उनको भी आप ठीक करें। सड़कों की ऐसी हालत है कि आना-जाना मुश्किल है बरसात के दिनों में तो और भी बुरी दशा हो जाती है। उनकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। जो ब्लाक्स खोले गए वे अटर फेलियोर रहे हैं। मैं सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से रिक्वस्ट करूंगा, जो चीफ सेक्रेटरी हैं वे इस बात को देखें कि गवर्नमेन्ट की मशीनरी ठीक-ठीक काम करे। अब वहां पर पोलिटीशियन्स का खतरा नहीं है। हमारे राय साहब बुलेट की बात करते हैं। हम तो बैलट में विश्वास करते हैं, नेहरू जी की पालिसी पर विश्वास करते हैं, हम बुलेट में विश्वास नहीं करते। आप 10 महीने में फेल हो गए इसलिए यहां पर टेम्पोरेरी बजट लाना पड़ा। उत्तर प्रदेश के लिए मैं तो कहता हूं, लेट अस गो टु मिड-टर्म पोल। हम कमजोर नहीं हैं। हम राय साहब को गाजीपुर में देख लेंगे। इस बजट में जितनी मांग है, जितना पैसा है, मैं पन्त जी से कहना चाहता हूं कि भूलो मत, उत्तर प्रदेश तुम्हारा है, तुम्हारे बाप-दादों ने इस प्रदेश की मान-मर्यादा बचाई है, आज आप भी हमारी रक्षा कीजिए। आप पैसा दीजिए। मैं पहाड़ी इलाके की हालत भी जानता हूं जहां से कि पन्त जी आते हैं। वहां भी बहुत गरीबी है। पिछले 20 वर्षों में उत्तर प्रदेश नेगलेक्ट किया गया है। राय साहब भी चूंकि इस मामले में सम्बन्धित थे, वे फूड मिनिस्टर रहे, इसलिए इनको भी हमने क्रिटिसाइज किया। उनको एक अवसर मिला लेकिन वे भी चूक गए। हम चाहेंगे कि वे हमारा सहयोग करें और पूर्वी इलाके का उद्धार करायें। हम नेगलेक्टेड हैं। हम ज्यादा न कहकर यही कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा।

यह सरकार कान खोल कर सुन ले कि वह हमारे लिए पानी का प्रबन्ध करे, खाद का प्रबन्ध करे, हमारे यहां की सड़कें ठीक की जायें। लाल साहब भी सुन लें कि हमारे यहां प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूलों की बिल्डिंग्ज़ नहीं हैं, यह किसी की भी गलती रही हो, चार महीनों में अगर आपने यह सब ठीक कर दिया तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। ··· (**व्यवधान**) ···

ये वही लोग हैं पश्चिम यू० पी० के जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को बाँट दो और चौधरी चरण सिंह इनके नेता रहे हैं। मैं तो खरी-खरी सुनाना चाहता हूं। डिवीजन आफ यू० पी० के विरोध में 6 पेज की मेरी स्पीच मौजूद है। पं० कमलापति ने, पन्त जी ने

कहा था कि उत्तर प्रदेश बट नहीं सकता है, हमारी लाशों के ऊपर ही बट सकता है। उन्हीं का मैं पक्का चेला हूं। उत्तर प्रदेश बट नहीं सकता है, यह आप लोग कान खोल कर सुन लें। पं० कमलापति ने कहा था कि हम सत्तू खा कर रह लेंगे लेकिन उत्तर प्रदेश को बटने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश इंटेग्रिटी का एक नमूना है। हमने अपने यहां बंगाली चीफ मिनिस्टर बनाया, हमारे यहां कोई भेद भाव नहीं है।···(**व्यवधान**)···

मैं अन्तिम बात कह कर समाप्त करूंगा। मैं होम मिनिस्टर साहब से दर्खास्त करूंगा कि वे भी कान खोल कर सुन लें। उत्तर प्रदेश में हरिजनों की सारी एड बन्द है। मकान, भूमि, शिक्षा, जितनी भी एड थी वह सब चरण सिंह जी ने बन्द कर दी। मैं सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से अपील करूंगा कि वह अपना खजाना खोल दे और गरीबों की मदद करे। हमारे हरिजनों के बच्चों को स्कालरशिप दीजिए। आज हरिजनों के एम०ए० पास लड़के सड़कों पर घूम रहे हैं। मैं सरकार को ऐसे लड़कों की लिस्ट दे सकता हूं। हमारी मांग है कि हमारे बच्चों को सर्विस दो, उनको पढ़ा-लिखाकर अच्छी जगहें दो। उनको आप बेकार न घूमने दीजिए वरना वे झारखंडे राय के साथ ही घूमेंगे, बुलेट को लेकर घूमेंगे।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह कान खोल कर सुन लें, पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में हमारे उत्तर प्रदेश को नेग्लेक्ट किया गया है, लेकिन अब अवसर आया है, उत्तर प्रदेश के अधिकारी और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट मेहरबानी करके मदद करे। लघु सिंचाई की योजनायें, शिक्षा, हरिजनोत्थान, सारे कामों को फिर से चालू करें ताकि उत्तर प्रदेश का कल्याण हो सके। मैं तो कहता हूं कि ये लोग कांग्रेस का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, 6 महीने में ही फेल हो गए, भाग कर यहां आये हैं। हम कांग्रेस वाले अपनी गवर्नमेन्ट के साथ भी रियायत नहीं करते हैं, उसको भी खरी-खरी सुनाते हैं। यही फ्रीडम आफ स्पीच है जो कि हमारी पार्टी ने हमको दिया है कि हम भी, अपनी गवर्नमेन्ट को कन्डेम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे एम० पीज० जो यहां मौजूद हैं वे हमारी बातों का समर्थन करेंगे। यू० पी० से पढ़े-लिखे लोग, आई०ए०एस०, मैजिस्ट्रेट हर किस्म के लोग एम० पी० चुनकर आये हैं।···(**व्यवधान**)···

हुजूर, आपके द्वारा मैं इस गवर्नमेन्ट को बताना चाहता हूं कि इन टाइम (ठीक समय पर) वहां प्रेसीडेन्ट रूल किया गया। वहां पर हमारे लीडर ने कहा था : वी आर नाट इन ए हरी टु टापुल डाउन दि एस०वी०डी० गवर्नमेन्ट। राय साहब गलत चार्ज लगाते हैं, उन्होंने अपनी तलवार से ही अपनी गरदन काटी है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। यह हमको उपदेश देते हैं। अरे साहब, पहले अपना दामन देखिए। हम तो आपसे लाख गुना अच्छे हैं। हमारे यहां ज्यादा डिसिप्लिन है।

इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि उत्तर प्रदेश की तरफ आपकी नजर जरूर जायेगी।

SHRI ZULFIQUAR ALI KHAN (Rampur): Mr. Chairman, Sir, the Proclamation on UP was inevitable. After Shri Charan Singh's resignation there was a great deal of chaos, confusion and bickerings, and the failure to arrive at any unanimity by the SVD was also a major cause. The law and order situation in UP had deteriorated and this had a serious impact on the administration. There was no supervision at all, and the administration had nearly come to a standstill.

But why has the Assembly not been dissolved? The first reason is the faint hope that the Congress Party which does not enjoy a majority will

[Shri Zulfiquar Ali Khan]

get the chance to who away some members such as Independents and also some from various political parties to produce a majority. The second reason is the Rajya Sabha biennial elections in which the Congress Party is hoping to get 6 out of 12 seats under the present alignment. The third reason is that the Congress is afraid to face the electorate as its stock has fallen in the esteem of the public of India and especially in UP—the traditional home of the Prime Ministers of India, till now. It knows that it can never come to power; moreover it might lose some more seats and fare even worse than in the 1967 elections.

Sir, I would like to quote here from the Governor's letter to the President, of February 22, 1968. It reads as follows :

> "There are other weighty considerations which, in my view, made it necessary and undesirable for me to suggest the dissolution of the State Legislature. The dissolution of a State Legislature, duly elected through the democratic process, is in my view a very serious step which would be resorted to only when it is absolutely clear that without doing so there is no possibility whatsoever of constituting a stable popular government. I feel that the extreme situation has not come about in the State so far and it is likely that, given a reasonable time, a reorientation of political affiliations may emerge in the State legislature such as may enable a stable government to be constituted without the necessity of the State going through all the turmoil, expense and distraction of another general election, so soon after the previous one. There is also the consideration of 12 Members of the Rajya Sabha retiring soon."

The Central Government have adopted double standards. *Vis-a-vis* Haryana, in spite of Rao Birendra Singh having a majority, the Assembly was dissolved because of 'Aynram and Gayaram'. But in UP also the same thing should have been done but they have hopes of repeating Rajasthan.

Now that the Central Government has taken over, we hope that social and economic problems will get proper attention as we hope that the Congress Government at the Centre is not in the same boat as the faction-ridden and discordant Congress Ministries and the SVD of UP in the past.

Now, Sir, I come to agricultural development. Not much provision has been made for minor irrigation. Till now, UP has been dependent on the over-flush of the Ganga, Jumna and medium projects, which is not practicable. Take the case of tube-wells. About 50 per cent of these tubewells are out of order and not energised. The prohibitive cost of power and the inadequate supply of power makes it impossible for these tubewells to work. More tapping of ground water resources is necessary.

The sucrose content of sugarcane is low and hence sugarcane is not lucrative for farms as a cash crop. They have to be given all facilities such as credit, high-yielding varieties and minimum ground level price. The Government and the millowners must come to their rescue. Proceeds from sugar cess worth crores of rupees are being obtained, which are added to the general revenues but are not being utilised for research or development of this cash crop, nor are they being used for improvement of communications like roads.

UP should follow the example of Orissa in regard to abolition of land revenue. Shri Charan Singh wanted to abolish it but due to personal bickerings amongst the constituents of the SVD nothing has been done. There should be abolition irrespective of the size of the holding in view of the fact that ceilings on land holdings have come into being.

Sir, take the case of Rampur, for instance. The circle rate in most parts of Rampur is at least four to five time that in the neighbouring

districts of Moradabad, Naini Tal, Barielly and Pilibhit. I had approached the UP Government several times as regards this matter but was told that Rampur being a State the circle rate was much higher. They did not seem to realise that the circle rate in Rampur in the old days when it was an erstwhile State included irrigation which now the circle rate does not. So, I would request the UP Government to please see that the circle rate in the districts of Rampur is brought at par with that of the neighbouring districts.

The forest wealth is diminishing progressively thereby resulting in a loss of national property. Anti-erosion and soil conservation measures should be implemented expeditiously. Lakes of acres of Riverain land and waste land and also land along rail banks in the Terai region should be protected, reclaimed, developed and settled with landless, Harijans, tribals and other backward classes.

Now, Sir, I come to education. Elementary education in UP is totally neglected. Hence, the rural population is illiterate, which suits the purpose of the Congress to misdirect them and lead them to the path of destruction as well as to those anti-social and antinational elements who thrive on ignorance, poverty, chaos and confusion. A good number of educational institutions and hostels have been turned into profiteering rackets by MLAs and other political leaders, and this has resulted in serious damage to teachers and students. Government should stop the misuse of these grants. The Institute of Public Administration conducted a survey and endorsed the criticism of the Public Accounts Committee of the UP Legislature which is based on truth.

Now, Sir, take the case of the teachers of Rampur. There were 276 teachers of Rampur after the merger of the State. During those days, the dearness allowance was paid to them according to the rate of wheat. But now they are not getting that dearness allowance nor the present D.A. given to the teachers of the UP Government. This discrimination has been going on for the last seventeen or eighteen years. I had approached the UP Government or several occasions in this regard, but nothing has been done because if they agree to this, they would have to give to these teachers at least Rs. 6 to 7 lakhs. Sir, I would like to bring to the notice of the House the statement of the district magistrate of Allahabad to the effect that after the visit of Shri M. Y. Saleem, the Union Deputy Law Minister, the situation in Allahabad had taken a serious turn and that the district administration would not be responsible for any future outbreak or danger. This kind of statement by a responsible officer like the district magistrate of a KABAL town like Allahabad is not called for. We the Members of Parliament who belong to UP take this as a very serious thing and we request that he should be taken to task.

At the end, on behalf of my party, I would like to say that we would like a mid-term poll to be held in UP.

श्री रा० कृ० सिन्हा (फैजाबाद): सभापति महोदय, श्री झारखंडे राय ने अपने क्रान्तिकारी भाषण में इस पार्लियामेंट में पहली बार यह कहा कि जो लोग किसी पार्टी को छोड़ कर गये अगर उन के बारे में कोई कानून बनाया जाय तो बड़ा अच्छा होगा। अफ़सोस की बात यह है कि हमारे क्रान्तिकारी मित्र श्री चरण सिंह के नेतृत्व में काम करते थे, जो कि कांग्रेस को छोड़ कर गये थे। तकरीर करना एक बात है और सिद्धान्त की बात निभाना दूसरी बात है।

हम लोगों से कहा गया कि साहब, राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में चलाने की जिम्मेदार कांग्रेस सरकार है। हमारे मित्रों के लिये तो केन्द्र में अभी बहुत दिन कांग्रेस सरकार चलेगी। लेकिन राष्ट्रपति शासन के बारे में हम ने यहां पर आज तक विरोधियों की ओर से कोई पेडजर्नमेन्ट मोशन आते नहीं देखा,

[श्री रा० कृ० सिन्हा]

इस लिये कि यह लोग आपस में ही लड़ रहे थे। जनसंघ वाले कम्युनिस्टों के साथ लड़ रहे थे, स्वतंत्र पार्टी वाले एस० एस० पी० वालों के साथ लड़ रहे थे एक लीडर आज इस्तीफा देता था तो कल को इस्तीफा वापिस ले लेते थे। प्रजातंत्र का जो मजाक उत्तर प्रदेश में संविद की पार्टियों ने बनाया उस पर हमें गौर करना चाहिये। लेकिन हमारे भाई उस पर गौर न करके दूसरों पर लांछन लगाना ही अधिक पसन्द करते हैं। प्रजातंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का, बोलने का अधिकार प्राप्त है। उसकी जो मर्जी है कह ले क्योंकि हम बुलैट से फैसला नहीं करते हैं, बैलट से करते हैं। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं। श्री झारखंडे राय ने एक बहुत मजे की बात कही है सिद्धान्त की बात कही है। उन्होंने इस ओर इशारा करते हुए कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद के प्रतिनिधि यहां बैठे हुए हैं। क्या वह क्लासिकल पैटर्न में स्वतंत्र पार्टी और जन संघ को भारत की गरीब जनता का प्रतिनिधि मानते हैं? लेकिन आप देखें कि उनकी पार्टी ने कितना इम्मारल समझौता किया था और आज भी किये बैठी है। मार्क्सवादी सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए उन्होंने यह समझौता किया है। आज वह हमें कहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीवाद, अन्तर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद के हम प्रतिनिधि हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब अरब के मैदान में इजराईल की फौजें आगे बढ़ रही थीं तब साम्यवादी पार्टी के लोग हमारे प्रधान मंत्री ने जो फारेन पालिसी तय की थी और जिस पर वह चल रही थीं, उसके पीछे खड़े हुए थे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों वे तब साम्राज्यवाद में जो लोग विश्वास करते हैं, उनके पीछे खड़े हुए थे? मैं समझता हूं कि श्री झारखंडे राय ने जोश में आकर पेकिंग रेडियो को भी मात कर दिया है, उससे भी यह एक कदम आगे निकल गए हैं। हमारी सरकार की जो नान-एलाइनमैंट की पालिसी है उस की सोवियत यूनियन और ईस्टर्न यूरोप के जो देश हैं उन्होंने प्रशंसा की है, वे भी उसको साम्राज्य वादी नहीं मानते हैं लेकिन ये हम को पूंजी वादी और साम्राज्यवादी मानने को तैयार हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि अपने सिद्धान्तों और मार्क्सवाद के जो वरक हैं उनको उलट कर वह जरा समझने की कोशिश करें। इन लोगों ने जिस सरकार के साथ मिल कर सरकार बनाई उस में जन संघ वाले भी थे स्वतंत्र पार्टी वाले भी थे, और दूसरे लोग भी थे जिन की नीतियां आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाती हैं।

एक बात और आप देखें। जनसंघ वालों ने गो हत्या के खिलाफ आन्दोलन किया था। मैं जानना चाहता हूं कि जब उनका राज उत्तर प्रदेश में था तब उन्होंने अपने राज्य काल में कितनी गोशालायें खोली थीं? श्री जयराम वर्मा संविद सरकार में एग्रिकलचर मिनिस्टर थे। आपको आश्चर्य होगा सुन कर कि तब ट्यूबवैल मिलना मुश्किल हो गया था और उसमें पाने के लिये दुगुने और तिगुने पैसे देने पड़ते थे। आपने तब जो जुल्म उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, वहां के हरिजनों के साथ किया उसका जवाब वहां की जनता आपको अगले चुनाव में अवश्य देगी। आपकी वहां खिचड़ी सरकार थी। उस में दाल भी थी, मछली भी थी, करेला भी था। सब की मिली जुली सरकार ने वहां तांडव नृत्य किया जिस को वहां की जनता टाइम्ज आफ इंडिया में चौ० चरण सिंह का एक वक्तव्य निकला है जिस को मैं पढ़ कर आपको सुनाना चाहता हूं। उससे साफ हो जाएगा कि अवसरवादी कौन थे।

"Mr. Charan Singh, former Chief Minister UP, revealed that certain constituent units of the SVD Government wanted to get the Prime Minister, Mrs. Gandhi, arrested when she visited Banaras to inaugurate the Indian Science Congress two months ago".

चौधरी साहब फरमाते हैं कि यही कारण था कि एस० एस० पी० के लोग उनको छोड़ गए। आगे चल कर वह कहते हैं:

"He regretted that the rule of law was being flouted all over the country. Speakers of Assemblies were getting beyond their jurisdiction and Governors were being insulted and attacked at joint sessions. The result was that democratic institutions were becoming weak. Mr. Charan Singh deplored the tendency of political parties virtually to bribe the masses by making false promises before going to the polls".

Thus Mr. Charan Singh talks of cheap slogans.

जिस नेता के नेतत्व में श्री झारखंडे राय जी ने उत्तर प्रदेश में काम किया था उस नेता के वक्तव्य से यह सिद्ध होता है कि · ·

श्री इसहाक सम्भली (अमरोहा) : उसी की खुशामद करके आप उनको वापिस कांग्रेस में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री रा० कृ० सिन्हा : हम नहीं ला रहे हैं। भाव आप लगायें।

उत्तर प्रदेश राम और कृष्ण की-----पुण्य भूमि है। रही है। उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा रही उत्तर प्रदेश ने नेहरू, लाल बहादुर, रफी अहमद किदवाई, अब्दुल हमीद जैसे कौमी नेता पैदा किए हैं। उत्तर प्रदेश इतना होने के बावजूद भी आज पिछड़ा हुआ है। इसलिए पिछड़ा हुआ रह गया है कि तीन प्लान जो पूरे हो चुके हैं उन में उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वहां के लोगों को हमेशा यह कहा जाता रहा है कि ये लोग तो सारे हिन्दुस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन आप देखें कि हमने बंगाली मुख्य मंत्री वहां बनाया। वहीं से हम ने पंजाब के लोगों को, दक्षिण के लोगों को तथा देश के विभिन्न भागों के लोगों को केन्द्र में व विधान मण्डलों में भेजा। हम में प्रान्तीयता की भावना लेशमात्र भी नहीं है। हमने भारत माता की सेवा करने का व्रत ले रखा है। हमने कौमी तिरंगे झंडे को जलाया नहीं जिस तरह से "डी० एम० के०" के समर्थकों ने अपने यहां पर उसको जलाया है। इतना होने पर भी क्या यह समझा जाए कि उत्तर प्रदेश को अपनी राष्ट्रीयता प्रदर्शित करने के लिए सजा मिलती रही है और क्या आगे भी इसी तरह से मिलती रहेगी? उत्तर प्रदेश ने अपनी आवाज जोर से नहीं उठाई है, क्या इसलिए उसको सजा मिल रही है। क्या यही कारण है कि तीन प्लांज में उसको आगे लाने का प्रयत्न नहीं किया गया है? मैं चाहता हूं कि यह जो चीज है इस पर आप गम्भीरता से विचार करें।

पूर्वी उत्तर प्रदेश और फैजाबाद डिविजन के साथ जो अन्याय किया जा रहा है मैं मांग करता हूं कि उस अन्याय को खत्म किया जाए। फैजाबाद शहर में पिछले बीस बरस में 72,000 से अधिक आबादी नहीं हुई है। बीस बरस में उसकी आबादी बढ़ी नहीं है। वही की वही है। क्या वह इसलिए नहीं बढ़ी है कि वहां की माताओं ने बच्चे जनना बन्द कर दिया है? यह बात नहीं है। बात यह है कि हमारी गरीबी इसके लिए जिम्मेदार रही है। आपने उसको न कोई इंडस्ट्री दी और न ही तरक्की करने का मौका दिया। वह इस कारण प्रगति नहीं कर पाया है।

मैंने रेल मंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि फैजाबाद से दिल्ली तक जो पहले ट्रेन हुआ करती थी उसको आप फिर से जारी करें। लेकिन उसको भी जारी नहीं किया गया है। राम की पुण्य भूमि अयोध्या का जहां तक सम्बन्ध है, वहां दो मिनट के लिए गाड़ी रुकती है जिस कारण से यात्रियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन अयोध्या रेलवे स्टेशन को बढ़ाया नहीं गया है। भारत सरकार ने अयोध्या में पुल बना कर बहुत अच्छा काम तो किया है

[श्री रा० कृ० सिन्हा]

लेकिन इसकी वजह से अयोध्या के जो घाट हैं उनका जो दृश्य है वह ही खत्म हो गया है अयोध्या में हमारे जो मंदिर हैं और हमारी जो उसके साथ भावनायें जुड़ी हुई हैं उन पर कुठाराघात नहीं होना चाहिये। वहां मच्छर पनपते हैं। लेकिन उस ओर कोई गौर नहीं किया जाता है।

जो जुल्म संविद सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता पर किए उनको आप देखें। ट्यूबवैल्ज की आज की हालत को आप देखिये। वे अधिक पैसे की मांग के कारण बन्द पड़े हैं। ब्लाक्स में प्रगति की जो कोशिश की जा रही थी उसको उलट दिया गया है। संविद की सरकार ने केवल मात्र वोट पाने के लिए बहुत वादे वहां लोगों के साथ किये लेकिन उन वादों को उसने कतई पूरा नहीं किया। सरकारी मुलाजिमों की जहां तक मांगों का सम्बन्ध है उनको पूरा नहीं किया गया। मैं मांग करता हूं कि वहां के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी जो मांगें हैं उनको पूरा किया जाए। मैं यह भी मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के सैकेंडरी स्कूलों के जो टीचर्ज हैं और उनकी जो मांगें हैं उनको भी पूरा किया जाए। उनकी मांग यह है कि हम को जो सरकार ग्रांट देती है। उसका बीस फीसदी तो हमारे स्कूल को दे दिया जाए बाकी अगर सरकार हम को तनख्वाह के रूप में दे तो सरकार को दो करोड़ रुपये की बचत होगी। इस पर अगर हम गौर करें तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में सैकेंडरी एजुकेशन का नैशनलाइजेशन हो सके।

उत्तर प्रदेश के गरीब हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों को जो पैसा मिलने वाला था या जो मिलता था उसको आप फिर से दिलाने की कोशिश करें। वहां की पिछली सरकार ने कहा तो यह कि वह हरिजनों और पिछड़े वर्गों के लिए बहुत कुछ करेगी, उनका वह प्रतिनिधित्व करती है लेकिन उसने उनको धोखा दिया। उनकी जो मांगें हैं उनको आप पूरा करें। मैं इस बात को कहता हूं कि हिन्दुस्तान में छोटी और बड़ी जात की बात नहीं होनी चाहिये। लेकिन यहां दो जातियां जरूर हैं, एक गरीब लोगों की जाति है और एक अमीर लोगों की। वहां पर जो हरिजन हैं, जो बैकवर्ड क्लासिस के लोग हैं उनके साथ इंसाफ होना चाहिये।

मैं झारखंडे राय जी से कहना चाहता हूं कि वह इनक्लाब की बात न करें। इनक्लाब की बात करके जर्मनी में हिटलर को बिठा दिया था और मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि हिटलर के समर्थकों के साथ हमारे अपोजीशन वाले बैठे हुए हैं। उनके मुंह से इनक्लाब की बात न छजेगी। इनक्लाब की बात तभी छजेगी जबकि प्रजातंत्रीय तरीकों से सरकार को बदलने का प्रयत्न करेंगे न कि उन तरीकों से जिनको आप आज तक अपनाते आए हैं, न कि उन तरीकों से जोकि आपने बंगाल में अपनाये हैं या पंजाब में आप अपना रहे हैं। प्रजातंत्र का तरीका यह नहीं है कि हम गवर्नर का बायकाट करें। देश की जनता की बात को आप सोचें। प्रजातंत्र के दुश्मन जो हैं उन से मैं विरोधी पार्टियों से कहूंगा कि वे बचें। जिस तरह के रांग एलाएंसेस आज तक इन्होंने किए हैं इससे तो मुल्क में फासिज्म ही ये लायेंगे न्योफासिज्म ही लायेंगे।

एक अंतिम बात कह कर मैं समाप्त कर दूंगा। इलाहाबाद में मुझे सन्देह है कि कुछ कुछ पार्टियां हिन्दू-मुस्लिम दंगा करवाना चाहती हैं। जो पार्टियां इस तरह के दंगे करवाती हैं वे पाकिस्तान रेडियो को न्यूज देती हैं। जो इनको आपस में लड़ाते हैं वे हिन्दुस्तान का भविष्य खराब करते हैं, वे चीन और पाकिस्तान को खुश करना चाहते हैं। इन दंगों को रोकना हमारा कर्त्तव्य है, सब से पहला कर्त्तव्य है।

SHRI K. K. NAYAR (Bahraich) : I associate myself with the sentiments expressed by my friends Mr. Sinha, Mr. Sheo Narain and Mr. Jharkhand

Rai regarding the backward condition of Eastern U.P..... (*Interruption*). I happen to have friends in all the camps and I have preserved my friendship independent of political alignments.

The Eastern part of U.P. is a greatly neglected area. Now that the President has taken over the administration of that area, I believe that there will be some effort to remove the inequalities and relieve distress of the people there. I belong to that area, having been elected from Bahraich. It is in that area.

Therefore two other problems which afflicts two classes of employees in that State, and which deserve immediate consideration. One class consists of local government employees who had been fighting long for their just claims which have not yet been conceded. The other class consists of teachers who after long education and training get salaries lower than the peons in the collectorate. Their distress also should be relieved.

Before I start speaking on the Bill, I feel constrained to protest against continued disparagement of civil servants by the Prime Minister and her colleagues, as these civil servants generally go undefended in the House. .... (*Interruptions.*) I never interrupted when others were speaking; I have been disciplined in a school different from politics. Four of us who belonged to the much maligned Indian Civil Service are today members of this House and it is a matter of some satisfaction to us that none of us belong to the party in power. Another opposition Member, Shri Biswas who worsted and consigned to oblivion the colossus of the Bengal Congress also belonged to civil employ. The Prime Minister forgets that we are here by the will of the people, not by the gracious leave of the party in power. We are not the hounds of the Congress elevated to gubernatorial offices to despoil and maul democracy; we are watchdogs voted into this House to give people protection against misrule.

Congressmen pride themselves on having served prison sentences for crimes committed in the name, if not perhaps in the cause of, freedom. I do not be little their contribution. But let them not forget that they are not the only pariots in this country. How splended would their example have been if they had stopped committing crimes once freedom was attained. While civil servants continue to live by their code of probity. Congressmen pursue their tradition of subversion of good order. Shall this be their sole claim to glory? Let not imprisoned Congressmen forget that patriotic civil servants had suffered a purgatory worse than incarceration and are still doing so. One does not like to talk about oneself. But this has become unavoidable now as my personal experience is among the bitterest. The Prime Minister will recall perhaps that in 1941 when her father was in prison, I was posted as a Judge at Allahabad and was an occasional visitor at Anand Bhawan. At the civil service dinner that year, I declined the civilian Governor's invitation to dinner and myself entertained to dinner a few Congressmen just released from jail.... (*Interruptions.*) Three of them are Shrimati Vijayalakshmi Pandit, Shri Kripalani and Shrimati Kripalani who are members of this House. The matter was reported to the Governor with the inevitable consequence to my career. In December 1941 as Judge of the Dehra Dun Court, I decided a case in which Mr. Shanti Prapanna Sharma was involved Mr. Sharma was elevated to the Cabinet in U.P. I held that the orders of the U.P. Government under the Defence of India Rules and the relevant provisions of the DOI rules were beyond the authority of Government. While Mr. Sharma rose to be a Cabinet Minister in U.P. I was transferred by telegram immediately from the position of the District Judge on a salary of Rs. 1600 p.m. as Joint Magistrate on 1100 p.m. and kept in that position for five years. In 1943 the Governor of U.P. referred my case to the Central Government for dismissal on the ground that I was a nationalist in sentiments

[Shri K. K. Nayar]

and conduct. I suffered a loss of Rs. 36,000. But I did not pose as a political sufferer. I asked for no charity. My friends here are political sufferers and assume all kinds of office and claim to themselves various benefits. They deem that they are the only patriots.

Yet as a rebel against misrule, my experience under the Congress regime was worse. In March 1950 I asked for voluntary retirement, having differed with the Government of the day in U.P. My request was granted with the proviso that my retirement would take effect only from July 1952, five months after the general elections of 1952 Mr. Bhagwan Sahay who was then Chief Secretary and now the Governor of Kashmir told me that the Chief Minister did not want that I should be given a chance to fight the elections in 1952 and I was kept in service against my will. In February 1952, my wife stood against the Congress and won a seat and became a member of the First Lok Sabha.

MR. CHAIRMAN : By the time you finish this biography, your time will be over.

SHRI K. K. NAYAR : But why are civil servants maligned? Am I a patriot or not ?

MR. CHAIRMAN : This is a discussion on the U.P. Bill.

SHRI K. K. NAYAR : You are taking away my time; you must not reduce this time from the time allotted to me.

AN HON. MEMBER : He can ask for a separate debate on this point.

SHRI K. K. NAYAR : We shall see to that. Facts should be known. When my wife was elected to the First Lok Sabha, disciplinary proceedings were started against me on trumped up charges and I was ultimately exonerated by a judge of the High Court. I am still to get Rs. 72,000 of my salary. I want to know if we have not suffered for good causes or if only Congressmen suffered for good causes. It is very poor pastime to malign civil servants who have no defenders in this House. The Minister is the rider and the civil servant is the steed. We have seen the rider perform; we have seen the steed perform. We know that the steed can run and rear, plunge and prance and turn and twist. But looking at the minister at the saddle we are tempted to ask : Mr. Minister, do you know how to ride? For their poor performance, why blame the civil servant?

Now about the Proclamation. Article 356 is the article under which the Proclamation had been promulgated. We are launched today on a scheme of legislation for yet another state in which democratic governance has wilted under Presidential fiat. It is the largest State of the Union. Article 356 occurs in Part XVIII of the Constitution of India. It deals with emergency conditions and it consists of nine articles—352 to 360. These articles empower the President in times of grave crisis to issue a Proclamation of three kinds. Article 352 authorises the President to issue a Proclamation of Emergency in times of war, external aggression or internal disturbance. With such a Proclamation, a condominium is established between the Union and the State concerned in respect of subject enumerated in the State list. Article 360 deals with financial stability and it is called the stringency proclamation. What we are now concerned with is article 356, under which the President arrogates to Parliament all powers of legislation and to himself all the other powers of governance including those of the Governor. In euphony with the proclamations of emergency and stringency and in view of the contents and attitude behind this proclamation, I should call this a Proclamation of Arrogancy, with which we are now concerned.

Actually there have been four such proclamations in recent weeks in Rajasthan, Haryana, West Bengal and Uttar Pradesh, besides one in a minor key in the Union Territory of Manipur. Within a year since the fourth general election, four States have defuncted from democratic rule to

Presidential autocracy. Historians of the future may, according to preference, appellate our era of the Fourth Lok Sabha as the Parlous Parliament of Presidential Paramountcy or as the Demi-decade of Despondent Democracy.

Of course, provision must be made for legislation for the State. I do not attack this Bill on the ground that this Bill is unnecessary or redundant, but on the ground that it is the culmination of a course of conduct which has been dishonourable and disgraceful and which is a slur on the history of democracy in this country.

In all the three States with whicn we are for the moment concerned, namely, Haryana, West Bengal and U.P., non-Congress ministries were functioning. I do not claim that the non-congress ministries did not make errors or that they worked uniformly or they were brillant. Each of these ministries was composite and was formed of components united not by identity of political views or ends, but by a burning desire to give the people an alternative to congress rule. Why did they have to join and build these composite cabinets? The Congress had steadily been losing the confidence of the people. The percentage vote of the Congress had been declining steadily. But they succeeded to stay in power partly through the unpredictable vagaries of electoral mathematics in multipartite contests and partly through the help of the financial resources of every croesus of Indian industry, with whom they dallied in unholy alliance. This has been the History of Congress rule in all these States. But these cabinets carried in their very inception the implosive pressures of disruption and collapse.

MR. CHAIRMAN: His time is up.

SHRI K. K. NAYAR: I am the only speaker from my party and our party has got 20 minutes. I will finish within that time.

While popular enthusiasm envisioned the cabinet of UP as a sturdy faggot fortified by many staves, it functioned as a feeble and unstable spire in which each stave sought to steeple on top of the others. The result was inevitable and hardly unpredictable. It was tragic but to the discerning mind, the end was known. Each of these cabinets was a chimaera like the fabulous one which combined in discordant continuity the head of one animal, the torso of another, the tail of a third and the limb of a fourth. I concede that. But let not my friends forget that same thing happened in Bihar where the head of a famished Shoshit wolf whelp was put on the body of a dyspeotic old Congress bullock. That too did not survive.

MR. CHAIRMAN: I have checked up and I find that your party has only 15 minutes. So, you may please wind up.

SHRI K. K. NAYAR: I will wind up. Regarding the fall of this ministry, anybody could have predicted its fall. Naxalbaris, defections and resignations of ministers are the results of ministries which are chimaeras in the Constitution. My complaint is that today the Congress does not realise that we have entered an era of coalition and that any attempt of the Congress, which is the chief miscreant in this, to dislodge others and keep themselves in power by buying people is bound to destroy democracy in this country.

श्री लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम): यह लोग ऐडमिनिस्ट्रेशन में सेट्ल ही नहीं हुए। कांग्रेस क्या कर सकती है?

श्री क० कृ० नायर: मैं समझता हूं कि अभी यह बात आप की समझ में नहीं आ रही है कि कांग्रेस को क्या करना है। मैं अपनी राय रख रहा हूं। कांग्रेस को इस को समझना चाहिये।

MR. CHAIRMAN: He should address the Chair.

SHRI K. K. NAYAR: A coalition cabinet has been working in Israel

[Shri K. K. Nayar]

for so many years. It has not destroyed the unity of the country. Nobody is attempting to destroy that Cabinet. But here the Congress has set an example both ways. Congressmen leave the Congress fold to become Chief Ministers not only in UP, but in M.P. also. I cannot say that their conduct is justified. I find that Congress is prepared to buy people and give them ministerships. I do not think their conduct is justified. I find also that Mr. Gill and Mr. Mandal who did not belong to the Congress have been purchased and made Chief Ministers.

MR. CHAIRMAN: He should conclude now.

SHRI K. K. NAYAR: All right, Sir.

MR. CHAIRMAN: Dr. Mahadeva Prasad.

डा० महादेव प्रसाद (महाराजगंज): सभापति महोदय, हमारे दल ने देश को स्वतन्त्र कराया तब उस की यही इच्छा रही कि देश में प्रजातान्त्रिक शासन की व्यवस्था हो, और उस के द्वारा देश की आर्थिक और समाजिक स्थिति में परिवर्तन किया जाय। इसलिए जब कहीं भी जनतन्त्र टूटते हुए हम देखते हैं तो हम को तकलीफ होती है। किन्तु आप इससे सहमत होंगे कि हम ने जहां जनतन्त्र प्रणाली अपनाई वहां लोगों को स्वतन्त्र मताधिकार भी दिया है। उस के बाद भी अगर अभी इस देश में लोग इस प्रकार से शिक्षित नहीं हो सके कि यह समझ कर मतदान करें कि एक निश्चित तौर पर स्थायी सरकार बन सके तो इस में केवल कांग्रेस दल का ही दोष नहीं है।

मैं यह समझता था कि इस समय हमारे सामने विचार का विषय है राष्ट्रपति शासन की घोषणा, लेकिन अभी मेरे मित्र श्री नायर ने जो बातें कहीं उन को सुन कर मुझे ताज्जुब हुआ। पुरानी सिविल सर्विस में रहने वाले इतने विद्वान व्यक्ति होते हुए भी शुरू में उन्होंने तमाम ऐसी बातें कहीं जिन का शायद अधिक सम्बन्ध प्रस्तुत विषय से नहीं था। व्यक्तिगत रूप से श्री नायर ने अपने विषय में कुछ बातें बतलाईं मैं उसी करीब के क्षेत्र से आता हूं, यानी गोरखपुर से। मैंने भी उन के बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं। अच्छी बातें भी सुनी हैं और बुरी बातें भी सुनी हैं। उन बातों को मैं यहां पर कहना नहीं चाहता क्योंकि यह उस का अवसर नहीं है। सिविल सर्विस का क्या स्थान हमारे जीवन में रहा है, उन लोगों के शासन को अच्छा बनाने या बुरा बनाने में कितनी जिम्मेदारी हमारी है, इस को बतलाने का भी अवसर नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जरूर ऐसा अवसर आये जब इस पर विचार किया जा सके कि सिविल सर्विस का इस देश में आजादी के बाद क्या रोल रहा और कैसा रहना चाहिये। इस बारे में कोई निश्चय हो जाना चाहिये।

एक माननीय सदस्य: आप जरूर इस पर विचार करें।

डा० महादेव प्रसाद: असल में विषय तो यह है कि राष्ट्रपति ने जो घोषणा की और उत्तर प्रदेश में इस समय जो राष्ट्रपति शासन चल रहा है उस को यह सदन कहां तक उचित और कहां तक अनुचित मानता है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जब से संविद की सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में बनी, वहां सरकार नाम की कोई चीज रही, यह भी कहना बड़ी मुश्किल है। प्रशासन जिस प्रकार से भ्रष्ट हुआ, जितनी दुर्व्यवस्थायें फैलीं उन की चर्चा करना आवश्यक होते हुए भी मैं समय के अभाव में उस की चर्चा नहीं करना चाहता। प्रत्येक घटक को अपने दल की एक मात्र चिन्ता रही। अगर कोई पुलिस मंत्री कम्युनिस्ट दल का था तो थानों का नियंत्रण कम्युनिस्ट पार्टी के लोग किया करते थे। अगर सम्भरण मंत्री किसी एक विशेष दल का था तो सप्लाई आफिस में जमघट लगा रहता था उस दल के लोगों का। अगर शिक्षा मंत्री

जन संघ का था तो शिक्षा समितियों की जब रचना की गई तो उन में जन संघ के लोग भरे गए, फिर चाहे उनका कोई शिक्षा से सम्बन्ध रहा हो या न रहा हो, इसको देखा तक नहीं गया। सहकारिता मंत्री अगर किसी दल का हुआ तो उसने सहकारिता की जितनी संस्थायें थी उन में अपन दल वालों को ले कर भर दिया.....

श्री सरजू पाण्डेय (गाजीपुर) : कांग्रेस राज में क्या होता रहा है ?

डा० महादेव प्रसाद : मंत्रियों के खिलाफ कई प्रकार के आरोप भी लगाये जाते हैं। लेकिन मैं इन पचड़ों में पड़ना नहीं चाहता हूं। लेकिन सुना तो अभी हाल ही में यह भी गया है कि चौधरी चरण सिंह को इस लिए स्वीकार नहीं किया गया कि तीन-चार मंत्रियों के खिलाफ गम्भीर आरोप थे और इन आरोपों की वह जांच शुरू करवाना चाहते थे। उनके लिए क्या करना उचित था या वह क्या करना चाहते थे, यह मैं नहीं कहना चाहता हूं। संविद के विभिन्न घटकों ने वहां प्रशासन की जो स्थिति पैदा कर दी उनके बारे में और ज्यादा न कहते हुए मैं चौधरी चरण सिंह की एक चिट्ठी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें दो बातों की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया था। वह एक लम्बी चिट्ठी है और उस सारी चिट्ठी को पढ़ कर मैं सदन का समय नष्ट करना नहीं चाहता हूं। लेकिन उस में जिन बातों का जिक्र किया गया है उन को मैं संक्षेप में आपके सामने रखना चाहता हूं।

पहली बात तो उन्होंने यह कही है कि सरकारी अधिकारियों में अनुशासनहीनता फैल गई थी। दूसरी बात यह कही है कि सरकार के विभिन्न घटकों द्वारा उसी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह का आयोजन किया जाता था। तीसरी बात यह कही है कि कानून भंग करने वाले व्यक्तियों को अगर अदालत के सुपुर्द किया जाता था तो इस पर जोर दिया जाता था कि उस पर एग्जेक्टिव का डिसक्रीशन हावी होना चाहिये, ज्यूडिशल डिसिशन कोई महत्व नहीं रखता है। इसके अलावा जब मंत्रियों द्वारा भी घेराव करने की घोषणा की गई तो बहुत मुश्किल पेश आई इस देश की प्रधान मंत्री चाहे वह किसी भी दल की हों, अगर एक स्थान पर जाती हैं तो चौधरी साहब पर यह दबाव डाला गया एक घटक के द्वारा कि उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस किस्म की स्थिति वहां पैदा की गई। पांचवीं बात उन्होंने यह कही है कि यूनिवर्स्टीज में खुले आम इस प्रकार के प्रस्ताव पास किए गए पार्टियों के द्वारा कि पोस्ट आफिस जलाये जायें, वहां कई दूसरी जो जगहें हैं उन पर आक्रमण किये जायें और विभिन्न घटकों का कहना यह था कि वहां पर पुलिस नहीं भेजी जानी चाहिये। इसका मतलब यह है कि शासन चलाने के लिए, उसकी बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए तो सब आतुर थे लेकिन प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने का जहां तक प्रश्न है उसके लिए जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। यह दूसरों की जिम्मेदारी थी। उन्होंने एक बात यह कही है कि मुख्य मंत्री को इसका अधिकार नहीं था कि किस को मंत्री बनाया जाए और किस को न बनाया जाए। मंत्री बनाने में भी उनकी इच्छा का कोई सवाल नहीं रखा गया था। मंत्री बना देने के बाद भी उस पर नियंत्रण का कोई अधिकार मुख्य मंत्री को नहीं देना चाहते थे। अन्त में सब से बड़ी मजाक की बात यह थी कि शासन तो वे करना चाहते थे लेकिन उन में एक आध पार्टियां इस तरह की थीं कि जो आज के युग में भी जबकि पुलिस राज कोई कायम नहीं कर सकता है और हर किसी को देश का और अपने प्रान्त का विकास करने की जिम्मेदारी लेनी होती है, यह तो कहती थीं कि शासन तो करना चाहिये लेकिन शासन को चलाने के लिये तथा विकास कार्यों के लिए आवश्यक धन संग्रह करना या अगर जरूरत हो

[डा० महादेव प्रसाद]

तो अतिरिक्त कर लगाना उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी। एक बात उन्होंने यह भी कही है कि हर दल ने अपनी ही चिन्ता रखी, देश की बात तो छोड़िये प्रदेश की भी चिन्ता नहीं की।

ऐसी अवस्था में 17 फरवरी को चौधरी चरण सिंह ने राज्यपाल के पास अपना त्याग-पत्र लिख कर भेज दिया और उस त्यागपत्र में उन्होंने दो मांगें की थी। एक तो उन्होंने कहा था कि चूंकि विधान सभा में संविद की मैजोरिटी है इसलिए उनको ही जब वे दूसरा अपना नेता चुन लें, सरकार बनाने के लिये बुलाया जाना चाहिये। दूसरी बात यह लिखी कि यदि ऐसा सम्भव नहीं होता है तो फिर मध्यावधि निर्वाचन संविधान की धारा 174 (2) (बी०) के अनुसार कराये जाने चाहिए। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को जो प्रतिवेदन दिया, जिन परिस्थितियों में वह दिया और जो उसके कारण रहे वे इतने स्पष्ट हैं कि उनकी किसी प्रकार से व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। जो घोषणा की गई है और उसको करने के लिये जो औचित्य दिया गया है उसके सम्बन्ध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन संक्षेप में मैं एक बात बतलाना चाहता हूं।

चौधरी चरण सिंह के त्यागपत्र के बाद निरंतर तीन-चार दिन तक यह प्रयास चलता रहा कि वहां पर संविद का कोई नया नेता चुना जाए। इस प्रयास का परिणाम यह हुआ कि 21 फरवरी को प्रातःकाल दस बजे चौधरी चरण सिंह को फिर से सर्वसम्मति से संविद का नेता चुन लिया गया। लेकिन चार बजे शाम को उनके स्थान पर श्री राम चन्द्र विकल को नेता चुन लिया गया। यही नहीं 22 तारीख को सुबह यह पता चला कि संविद के कुछ घटकों ने इसको चुनौती दी और निर्दलीय दल ने तो स्पष्ट रूप से श्री विकल के नेता चुने जाने का खंडन किया और कहा कि यह बिल्कुल गलत बात है। उसी दिन भारतीय क्रान्तिदल की बैठक हुई। वहां एक प्रस्ताव पास किया गया जिस में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि जो सब बैठकें हुई हैं ये बिल्कुल गैर कानूनी हुई हैं और नेता का चुनाव सर्वसम्मति से नहीं हुआ बल्कि केवल चालीस सदस्यों ने ही उस चुनाव में भाग लिया। दावा तो यहां तक किया जाता है कि 225 या 230 सदस्य संविद के हैं लेकिन जब नेता चुनने का सवाल होता है तो उस में केवल चालीस लोग ही भाग लेते हैं।

यह स्थिति है जो वहां पैदा हुई है। सब से बड़ी बात तो यह है कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का जो रोल रहा है वह सब से बढ़िया रहा है। वह किसी एक व्यक्ति के बारे में अपना निश्चित मत ही नहीं बता सकी। केवल यह कहती रही कि हमारी एकाध शर्तें हैं और उनको जो पूरा करेगा उसका हम समर्थन करेंगे। आप राज्यपाल पर तोहमत लगाते हैं। लेकिन आप देखें कि उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया है। दूसरे दिन उनके पास कांग्रेस दल के नेता भी गए। उन्होंने भी उन से भेंट की और यह कहा कि हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं। लेकिन आप राज्यपाल की निष्पक्षता को देखिये। राज्य में जो अव्यवस्था फैली हुई थी उसके कारण उनके मस्तिष्क में एक प्रभाव था और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश का इस देश में बड़ा ऊंचा स्थान रहा है और उत्तर प्रदेश के भविष्य की भी चूंकि तस्वीर उनके सामने थी, इस वास्ते उन्होंने जल्दबाजी में कोई काम नहीं किया। उन्होंने यह कहा कि उनका विचार ऐसा नहीं है कि अभी तक कांग्रेस के लोग भी वहां पर सरकार बनाने की स्थिति में हैं। इस वजह से राज्यपाल ने यह फैसला किया क्योंकि चरण सिंह जी के पत्र के आधार पर उनके सामने दो रास्ते थे। या तो वे किसी पार्टी, चाहे वह संविद की हो या कांग्रेस की हो, यह समझ कर कि वह स्थायी सरकार बना सकती है, बुलाकर मंत्रि-मंडल बनाने के लिए कहते

या फिर दूसरा रास्ता यह था, जिस पर आपत्ति होती, कि विधान सभा को भंग कर मध्यावधि चुनाव कराते। मध्यावधि चुनाव की बात तो सभी कहते हैं, हम भी कह सकते हैं कि मध्यावधि निर्वाचन हो, हम मुकाबला करेंगे। यह कहना बड़ा आसान है लेकिन हम और आप सभी जानते हैं कि दूसरों के लिए यह कहना तो अच्छा है, अगर हम को ही चुनाव लड़ना पड़े तो फिर कितनी परेशानी होगी और हम कितने व्याकुल होंगे। इसलिये मैं तो समझता हूं कि राज्यपाल ने यह उचित ही किया कि जहां तक सम्भव हो सके इस बात की ही चेष्टा की जाए कि जनतांत्रिक सरकार कायम हो।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि मध्यावधि चुनाव इस बीमारी का कोई इलाज नहीं हो सकता जोकि आज देश में फैल रही है। हमें सोचना होगा कि इसका क्या इलाज हो सकता है।

श्री झारखंडे राय: चौधरी चरण सिंह ने जो विकल्प राज्यपाल के सामने पेश किये थे उनमें से किसी भी विकल्प को नहीं माना गया, तीसरा विकल्प उन्होंने स्वयं सोच लिया। जब स्पष्ट बहुमत था तो फिर कौन नेता हो, कौन नेता न हो, इसको कुछ अवसर देकर देख लेते तो क्या बेजा होता?

डा० महादेव प्रसाद: सभापति महोदय, आपको समय देना होगा, मैं इसका उत्तर दे सकता हूं।

सभापति महोदय: समय बहुत कम है।

डा० महादेव प्रसाद: मैंने बतलाया कि सुबह दूसरा फैसला होता है नेता के लिए और उसके बाद फिर तीसरा फैसला हो जाता है। यही नहीं, राज्यपाल की घोषणा के बाद भी एक दूसरा नेता को इन लोगों ने चुना। तो नेता के निर्वाचन का क्रम कहां तक जायेगा, यह कहा नहीं जा सकता था, ऐसी हालत में राज्यपाल कर ही क्या सकते थे।

L22LSS|68

16 hrs.

सभापति जी, मैं चाहूंगा कि राष्ट्रपति के शासन ने उत्तर प्रदेश में स्थाई सरकार बनाने की भूमिका तो बनाई लेकिन इस बीच में उत्तर प्रदेश के विकास में जो अवरोध था, उसको भी दूर किया जाय। सबसे प्रथम आवश्यकता तो यह है कि प्रशासन जो ढीला हो गया था उसको चुस्त किया जाय। इसके साथ ही कुछ ऐसे जिले जिनमें संविद में शामिल दलों के प्रभावशाली आदमी नहीं रहे जैसे गोरखपुर, फैजाबाद, बस्ती और वे पिछड़ गए, उनकी ओर ध्यान दिया जाय।

सभापति जी, एक बात की ओर मैं सद्य: ध्यान दिलाना चाहता हूं इस सरकार का कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं, खास तौर पर गोरखपुर जिला इस प्रकार का है, जिन में प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की तनख्वाह, सरकार की तरफ से धनराशि न मिलने के कारण चार-पांच महीने से रुकी हुई है। उनको तुरन्त ही तनख्वाह दी जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं ऐसा मानता हूं कि यह सदन एक राय से राष्ट्रपति की घोषणा का समर्थन करेगा।

श्री मोल्हू प्रसाद (बांसगांव): अध्यक्ष महोदय, एक पोथी है। तीन पंचवर्षीय योजनायें जो गुजर गई हैं उनमें विभिन्न प्रदेशों को कितना धन दिया गया है, वह मैं इसमें से पढ़कर सुनाना चाहता हूं:

	करोड़
आंध्र प्रदेश	47·13
आसाम	20·50
बिहार	337·44
गुजरात	31
केरल .	92·55
मध्य प्रदेश . .	347·20
मद्रास . .	143·69
महाराष्ट्र . .	39·61

[श्री मोलहू प्रसाद]

मैसूर	24·78
उड़ीसा	249·50
पंजाब . .	30·75

और उत्तर प्रदेश को दिया गया 62·40 करोड़।

अब सभापति महोदय, इन प्रदेशों की आप जरा जनसंख्या देखिये।

सभापति महोदय : जनसंख्या पता है सदस्यों को।

श्री मोलहू प्रसाद : यह योजना आयोग की रिपोर्ट के आंकड़े हैं। मैं कोई आलोचना नहीं करूंगा। जनसंख्या इस प्रकार है :

	करोड़
पश्चिमी बंगाल	3·5
महाराष्ट्र	4·0
गुजरात	2·1
केरल	1·7
पंजाब	2·0
मैसूर .	2·4
आंध्र प्रदेश	3·6
मध्य प्रदेश .	3·2
और	
उत्तर प्रदेश .	7·31

अब आप जरा गौर कीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सम्पूर्ण भारत की जनसंख्या का 17 प्रतिशत है लेकिन उत्तर प्रदेश की योजना पर 13 प्रतिशत ही खर्च किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश के साथ कैसा सौतेला व्यवहार किया जाता है। केन्द्र में प्रदेशों को जो धन का बटवारा होता है उसमें 70 फीसदी तो आबादी के हिसाब से होता है और 30 फीसदी पिछड़ेपन के हिसाब से होता है। जब पिछड़ेपन के हिसाब से इतना कम धन दिया जायेगा तो जो अधिक पिछड़े हुए प्रदेश हैं वे किस प्रकार से उन्नति कर सकेंगे? इसलिए पिछड़ेपन के हिसाब से अधिक धन का बटवारा होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि 30 फीसदी की जगह पर 50 फीसदी होना चाहिए ताकि पिछड़े हुए प्रदेशों को अधिक से अधिक धन मिल सके।

अब मैं उत्तर प्रदेश की जमीन का थोड़ा सा मामला बतलाऊं कि तीन योजनाओं में वहां पर क्या हुआ है। खाद्य उत्पादन पर बहुत ध्यान दिया गया है लेकिन आप देखिये कि जमीन है किसके पास, खेती कौन कर रहा है और खेती कैसे हो सकती है। नैनीताल जिले में आजादी के बाद ट्रैक्टरों की मदद से जमीनें तोड़ी गई और तराई को आबाद किया गया जिसे बाद में हिन्दुस्तान के सभी भागों से आये लोगों को बड़ी-बड़ी जमीनें फार्म के लिए दे दी गईं। इस प्रकार जब उत्तर प्रदेश में जमींदारी एबालिशन की बातें चल रही थीं, उसी समय यहां पर नये तरीके की जमींदारी कायम हो रही थी। यह जमीदार मिलिट्री के बड़े-बड़े अधिकारी, सिविल सर्विसेज के अधिकारी, उद्योगपति, राजनेता आदि थे। आज नैनीताल की तराई में ही लगभग एक हजार से भी अधिक ऐसे फार्म हैं जिनका रकबा 100 एकड़ से 15,000 एकड़ तक का है। जिनमें उल्लेखनीय है बहेरी चीनी मिल मालिक का खुरपिया फार्म 3,000 एकड़, प्लायमिल का प्रयोग फार्म 5,000 एकड़, पंत नगर युनिवर्सिटी का 16,500 एकड़ का फार्म, सितारगंज जेल फार्म 1,000 एकड़, मेजर जनरल चिमनी का फार्म 300 एकड़, राम राज्य फार्म बाजपुर 1,500 एकड़, हरी सिंह और रजिस्ट्रार सहकारी विभाग, यू० पी० (चूणामणि सिंह) 1,200 एकड़, मेहता फार्म 5,000 एकड़।

इसके अतिरिक्त नेपाल भारत सीमा पर लंका और अमेरिका के मिशनरी के फार्म जिन्हें जनता स्ट्रोन और स्पेन्टर फार्म के नाम जानती है दोनों ही 400 एकड़ के हैं। इसी खटीमा में भगचोड़ी फार्म 700 एकड़ है जिस

के मालिक वृन्दावन बिहारी तथा उनके तीन भाई हैं जो प्रोफेसर, डाक्टर हैं। कांग्रेस के भतपूर्व मंत्री राममूर्ति का फार्म गुड़िया फार्म और ओम प्रकाश सिंह, संविद मंत्री के फार्म भी क्रमशः 600 और 300 एकड़ के हैं। बाजपुर में भूतपूर्व कुमाऊं कमिश्नर बोहरा का फार्म भी काफी बड़ा है।

पर्वतीय आंचल में नैनीताल के बिड़ला और टाटा के भी फार्म हैं। फलों के और स्ट्राग और स्काट फार्म के पास लोहाघाट में भी जमीनें हैं।

नैनीताल जिले में लगभग एक लाख भूमिहीन मजदूर और लगभग 500 ट्रैक्टर ड्राइवर भूमिहीन हैं जिन्हें खेती के लिए जमीनें नहीं मिली हैं।

बड़े फार्मों के अलावा सिंचाई विभाग और जंगलात में भी लगभग क्रमशः 5,000 एकड़ और साढ़े चार लाख एकड़ बंजर भूमि है और प्लांटेशन की भूमि भी बड़े-बड़े लोगों को ही दी गई है। वह भी 20 हजार एकड़ से अधिक है। ऐसी जमीनें सिंचाई विभाग द्वारा टनकपुर के एक सेठ प्राण किशन चौबे को 500 एकड़ दी गई है तथा जंगलात विभाग द्वारा हल्द्वानी के एक सेठ अवध कुमार धर्मपाल को 3,100 एकड़, काशीपुर के मेहता को 4,000 एकड़ सस्ते किराये में दी गई है, जिन के पास अपना भी फार्म 5,000 एकड़ का है। सिंचाई विभाग यदि अपने ही छोटे कर्मचारियों को भी जमीनें दे दें तो भी भ्रष्टाचार कम किया जा सकता है। छोटे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

नैनीताल जिले में पंजाबी बंगाली और बर्मीज रिफ्यूजीज को क्रमशः 50,000, 20,000 बसाया गया है लेकिन लगभग पुराने एक लाख बांसी और एक लाख यू० पी० पंजाब के भूमिहीन बिना जमीन के हैं लेकिन अभी भी रिफ्यूजी कैम्प में हैं।

जमीन की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से भिन्न है। यहां जमीन सरकार की है जिसे खामलैंड कहते हैं जिसे खाम आफिसर द्वारा जोत के लिये दी जाती है लेकिन ऐसी जमीनें जमीदारों तथा असरदारों को ही मिली हैं। नैनीताल जिले की जमीन यदि फिर से बराबर बांट दी जाय और प्रति भूमि चाहने वाले किसान मजदूरों को 7 एकड़ दी जाय तो समस्या कुछ सुलझ सकती है। जिले में भूमिहीनों की प्रार्थना पत्रों का एक रजिस्ट्रार जिलाधीश और एलाटमेंट कमेटी रखती है लेकिन उस के अनुसार एलाटमेंट नहीं किया जाता। लगभग 27,000 अर्जियां चुनाव के बाद रद्द कर दी गई हैं। चुनाव से पहले और बाद को क्रमशः कांग्रेस और संविद की सरकार ने साढ़े सात और साढ़े बारह एकड़ के अवैधानिक कब्जेदारों के नाम जमीनें चढ़ाई हैं जिस से अर्जी देने वालों को हानि उठानी पड़ी है। इस लिए एलाटमेंट कमेटी की अनियमितताओं की पांच वर्ष पूर्व से जांच होनी चाहिये। किसी भी व्यक्ति को 7 एकड़ से अधिक जमीन न दी जाये। जिस से भूमिहीनों की समस्या हल की जा सके।

अब चूंकि गृह मंत्रालय के हाथ में इस राज्य का प्रशासन आ रहा है इस लिये मैं थोड़ी-सी और बात बतलाना चाहता हूं। अगर गृह मंत्री एक जिले की एक साल की रिपोर्ट या एक महीने की रिपोर्ट प्रत्येक थाने से मंगा ले तो उन को पता चलेगा कि जितनी रिपोर्टें दर्ज होती हैं उन में से 95 प्रतिशत रिपोर्टें तो तफतीश में ही छोड़ दी जाती हैं। 5 प्रतिशत की तफतीश होती है, जिन के सम्बन्ध में थानेदार से ले कर आई जी तक रिश्वतखोरी चलती है। इस लिये मैं चाहूंगा कि जब तक गृह-मंत्री या उन के मंत्रालय के हाथ में उत्तर प्रदेश का शासन

[श्री मोलहू प्रसाद]

है, क्योंकि राज्यपाल का शासन करीब-करीब केन्द्रीय शासन होता है, वह इस का कोई सही निदान निकालें।

इस के बाद आप देखेंगे कि ताजीरात जो है वह अंग्रेजों के जमाने का छपा हुआ है और वह भेद-भाव के आधार पर चलता है। ताजीरात हिन्द की कुछ धाराओं को तो एक दम समाप्त कर देना चाहिये। 323 ताजीरात हिन्द गैर दस्तेंदाजी धारा है। मान लीजिए किसी को कोई जूता मारे, तो कोई बड़ा आदमी तो जूतों से मारा नहीं जाता। सिर्फ गरीब आदमी मारा जाता है। अब चूंकि उसमें पुलिस दस्तेंदाजी नहीं करती इसलिये कोई मामला चल ही नहीं सकता।

इसी तरह से दफा 109 और 110 गरीबों को तंग करने वाली दफा है। इस लिये इन दफाओं को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिये। इसी तरह से 349 जो चोरी की दफा है उस में अगर 250 रुपये से ऊपर से की चोरी होती ह उसमें ही पुलिस दस्तेंदाजी कर सकती है लेकिन उससे कम की चोरी में चाहे वह दस्तेंदाजी कर या न करे। अब 250 रुपये की चोरी किस की होगी? गरीब आदमी की। 250 रुपये तक की चोरी में पुलिस चाहे तो तफतीश कर सकती है और न चाहे तो न करे। उस पर इस सम्बन्ध में कोई नियंत्रण नहीं है। इस लिये मैं गृह मंत्री जी की सेवा में इतना ही निवेदन करना चाहता था। इस के अलावा और कोई आलोचना मैं नहीं करूंगा। उस को श्री शिव नारायण के लिये छोड़ता हूं।

श्री अवधेश चन्द्र सिंह (फरुखाबादी): सभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री झारखंडे राय ने अभी यह आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने संविद से सरकार बनाने के लिये नहीं कहा। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय संविद के जो घटक थे वो कि उसमें सम्मिलित थे, वह आपस में लड़ रहे थे, और उन्होंने अपना कोई नेता चुन कर के उस समय तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की थी। जबकि कांग्रेस दल के श्री चन्द्रभान गुप्त ने राज्यपाल जी से स्पष्ट बहुमत होने का दावा किया था और उनसे यह चाहा था कि उन्हें सरकार बनाने की आज्ञा दी जाये। जहां तक मेरा खयाल है, ज्यादती तो हम लोगों के साथ हुई, लेकिन श्री झारखंडे राय उस की फरियाद करते हैं।

उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है। वहां पर लगभग 85 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर करती है। उस खेती में जिस गति से प्रगति होनी चाहिये उस गति से नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि उस प्रदेश की पर कैपिटा इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ी है, जिस प्रकार भारत के अन्य प्रदेशों की बढ़ी है। फिर एक तो पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी, दूसरे मंहगाई दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। इस लिये वहां के आदमी अत्यन्त संकट और गरीबी में अपना समय काट रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वे कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिये इस प्रदेश में विशेष प्रकार की सुविधायें प्रदान करें।

कृषि में सब से प्रमुख स्थान सिंचाई का होता है। जैसा अभी यहां जिक्र किया गया, पिछले दो वर्षों में अल्प सिंचाई साधनों को निजी व्यक्तियों द्वारा काफी प्रोत्साहन मिला और बड़ी संख्या में व्यक्तिगत नलकूप आदि लगाये गये, लेकिन हमारी संविद सरकार के काल में उन को बिजली मिलना दुर्लभ हो गया। 8-8, 10-10 हजार का एस्टिमेट बना कर उन से रुपया जमा करने को कहा जाता रहा, लेकिन गत दो वर्षों में निजी सिंचाई साधनों पर लगभग चौथाई छूट मिलती थी, लेकिन इस बजट में मैं उस का कोई प्रावधान नहीं देखता। बल्कि मुझे यह पता लगा है कि जिला स्तर पर सिर्फ

उन काश्तकारों को, जिन के पास पांच एकड़ से कम जमीन है, सिंचाई के लिए कुंओं और रहट के लगाने में छूट दी जायेगी। मैं नम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन नये और उन्नत किस्म के बीजों का बहुत प्रचार हुआ है और जिन की तरफ हमारे प्रदेश के किसान विशेष तौर से रुचि ले रहे हैं वह बिना नलकूपों के लगाये हुए उतना पानी नहीं पा सकते जितनी उन को आवश्यकता होती है। मैं चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, निजी सिंचाई साधनों पर चौथाई छूट मिलती रही है, उस को जारी रक्खा जाये। इस के साथ-साथ मैं यह भी देखता हूं कि जो निजी नलकूप लोगों ने लगाये हैं उन का रख-रखाव वे नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ आज बहुत बड़ी संख्या में हमारे इंजीनियर बेकार हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे बजट में कुछ ऐसा भी प्रावधान बनाया जाय कि निजी नलकूप वालों को अगर कोई दिक्कत हो तो उनसे उचित धन ले कर के उनके नलकूपों को दुरुस्त करने के साधन जुटाये जायें। इससे हमारे दो परपज सर्व होंगे। एक तो जो इंजीनियर बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा और दूसरे हमारी जो परेशानी है वह इससे दूर होगी।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुदानों की तरफ भी मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। फर्रुखाबाद जिले में गंगा और रामगंगा पर पुल की व्यवस्था अभी तक भी नहीं हो पाई है। इसके बारे में इसी सदन के दो सम्माननीय सदस्य श्री मूल चंद दुबे और डा० राम मनोहर लोहिया आवाज उठाते रहे हैं और यह जो पुल मांग की यह कोई पंद्रह वर्ष से उठती रही है। अन्त में पिछली फरवरी 1967 में भारत सरकार ने उसको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। लेकिन मैं देखता हूं कि आज तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है, कोई काम वहां शुरू नहीं हुआ है। यह परम आवश्यक योजना है और मैं चाहता हूं कि इस पर शीघ्रातिशीघ्र काम आरम्भ किया जाए। गंगा और रामगंगा पर दो पुल बना दिये जाय:

उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की ओर भी मैं आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को वेतन शायद अगर आप देखें तो सारे भारत के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों से कम मिलता है। मैं मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को भी वही वेतन मान दिया जाए, उनको भी उसी स्तर पर लाया जाए जिस स्तर पर अन्य प्रदेशों के अध्यापक हैं।

अभी वहां पर एक एजीटेशन भी अध्यापकों द्वारा की गई थी और उस में एक और मांग की गई थी। शिक्षा संस्थायें कुछ निजी लोग खोल कर उन से अपना व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इससे हमारे प्रदेश में शिक्षा का जो स्तर है वह गिरता जा रहा है। मैं चाहता हूं कि जितनी शिक्षा संस्थायें हैं उन सब को यदि सम्भव हो तो शीघ्रातिशीघ्र सरकार अपने हाथ में ले ले, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। इससे हमारी शिक्षा में उन्नति होगी और उसका स्तर ऊंचा होगा।

मैं आपके प्रति आभार प्रदर्शित करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री (बागपत): उत्तर प्रदेश हमारे देश की यों तो कहने को राम और कृष्ण की भूमि है परन्तु मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश वासियों को यह कहते हुए आज लज्जा होती है कि हमारी भूमि के साथ ऐसे महान पुरुषों का नाम जुड़ा हुआ है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि सारे देश में 26 जिले गरीब गिने गए हैं जिन में से चौदह जिले, जिनको पिछड़ा हुआ करार दिया गया है, उत्तर प्रदेश में हैं। आज भारत में बिजली की खपत का औसत 55 यूनिट प्रति व्यक्ति है। इसके मुकाबले

[श्री रघुवीर सिंह शास्त्री]

में आप यह देखें कि उत्तर प्रदेश में जहां यह खपत का औसत 1963-64 में केवल 23 यूनिट था वह तृतीय योजना की समाप्ति पर केवल 34 यूनिट ही हो पाया जबकि वह पंजाब में जो हमारा पड़ौसी राज्य है 107 यूनिट हो गया और बिहार में जो हमारे पूर्व में है, 54 यूनिट प्रति व्यक्ति हो गया। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश कितना पिछड़ा हुआ प्रदेश है।

जहां तक सिंचाई योजनाओं का सम्बन्ध है या दूसरी योजनाओं का सम्बन्ध है केन्द्र की ओर से राज्यों को रुपया दिया जाता है। मैं मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को देखते हुए अधिक से अधिक राशि उसको दी जानी चाहिये। अभी तक हमारे साथ उपेक्षा का बरताव होता रहा है। अकेली सिंचाई योजनाओं को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जो टोटल आउटले केन्द्र की ओर से निश्चित किया गया था राज्यों के लिए उस में से पहली योजना में केवल 6.9 फीसदी ही उत्तर प्रदेश को मिला, दूसरी और तीसरी योजना में 9.5 फीसदी ही मिला जबकि आबादी के हिसाब से कम से कम हम को सतरह फीसदी मिलना चाहिये था।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी जिले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ उनमें जो सिंचाई करने वाली नहर है उसका नाम पूर्वी यमुना नहर है और इस नहर को सैंकड़ों साल पहले बनाया गया था और उस समय एक सीमित रकबे की ही सिंचाई करने के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन आज आप देखें कि सघन खेती के लिए और जमीन के बढ़े हुए रकबे की सिंचाई के लिए वह नहर बिल्कुल अपर्याप्त है। मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीय सरकार अधिक से अधिक रुपया इसके लिए देगी। अभी एक योजना किसाऊ बांध की है जिस पर केन्द्रीय सरकार ने विचार किया है और उसका प्रारम्भिक सर्वेक्षण भी हो चुका है। उस सर्वेक्षण के ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार ने काफी पैसा खर्च किया है। अगर वह योजना पूरी हो जाए और दो अरब रुपये खर्च हो जायें तो उससे हिमाचल प्रदेश को भी लाभ होगा, हरियाणा को भी होगा, उसकी नहरों को भी होगा और उत्तर प्रदेश की नहरों को भी होगा और साथ ही साथ दिल्ली की जल सप्लाई को भी लाभ होगा। उससे 705 मैगावाट बिजली निकलेगी जो बिजली इन चार पांच प्रदेशों को दी जा सकती है। इस किसाऊ बांध योजना के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने डेढ़ सौ करोड़ रुपये की मांग की है और मैं मांग करता हूं कि इतना रुपया उस को दे दिया जाए। यह न समझा जाए कि उत्तर प्रदेश के लिए ही यह रुपया दिया जा रहा है। बल्कि हरियाणा का भी उसमें इंटरेस्ट है, हिमाचल का भी है, दिल्ली का भी और उत्तर प्रदेश का भी है। चार-पांच प्रदेशों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए यह रुपया दे दिया जाना चाहिये।

दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक यमुना नदी इतनी लम्बी चली गई है लेकिन इस पर अभी कोई पुल नहीं बना है। हमें कहा जाता है कि हम उत्तर प्रदेश को बांटने की बात करते हैं। लेकिन जिस प्रकार का हमारे साथ व्यवहार किया जाता है उसको देखते हुए हमारे सामने कोई चारा नहीं रह गया है सिवाय इसके कि हम मांग करें कि उत्तर प्रदेश को बांटा जाए। केन्द्रीय सरकार से मेरी मांग है कि यमुना नदी के ऊपर हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा पुल बनाये जायें। अभी एक पुल बनाया जा रहा है पानीपत के पास। वह दिल्ली से पचास मील दूर है दिल्ली के लिए दो पुल तो पहले ही बन चुके हैं। एक तीसरा यह बन रहा है और चौथा पुल

बनाने की तैयारी हो रही है। लेकिन जहां करोड़ों जनता बसती है, उसको आपस में जोड़ने के लिए और उसको सुविधायें प्रदान करने के लिए एक पुल तक बनाने की ओर क्या सरकार ध्यान नहीं दे सकती है? सरकार की उपेक्षा का यह एक नमूना है जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। मैं मांग करता हूं कि यमुना नदी पर एक पुल या तो बागपत के पास या छपरौली पर बनाया जाना चाहिये और इस काम में केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश की सरकार और हरियाणा की सरकार दोनों को साथ लेना चाहिये, उनका भी इसमें पुरुषार्थ लगना चाहिये और तीनों सरकारें आपस में सहयोग करके ये पुल बनायें।

जहां तक उत्तर प्रदेश की राजनीति का सम्बन्ध है, चौधरी चरण सिंह के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। मैं समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति के सम्बन्ध में इस प्रकार की चर्चा नहीं की जानी चाहिये जो इस हाउस में उपस्थित नहीं हैं। अगर इसके बारे में कोई परम्परा स्थापित हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके बावजूद मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश के राजनीतिक क्षितिज पर चौधरी चरण सिंह ही अकेला ऐसा चमकता हुआ तारा है जिस का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जिस ईमानदारी के साथ आज उसने राजनीतिक क्षेत्र में आदर्श उपस्थित किया है वह एक ऐसी मिसाल है जिस पर सारे देश के राजनीतिक नेताओं को अमल करना चाहिये। सब नेता अगर अपने हृदय पर हाथ रख कर देखें तो पता चलेगा कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। कुछ समय पहले बहुत शान के साथ उन्होंने कांग्रेस को छोड़ कर मुख्य मंत्री पद ग्रहण किया था। और उसी प्रकार बहुत शान के साथ मुख्य मंत्री पद को लात मारी है। संविद के सारे घटक प्रस्ताव पास करके यह मांग कर रहे थे कि वह मुख्य मंत्री बने रहें लेकिन उसने कहा कि मैं मुख्य मंत्री नहीं रहना चाहता क्योंकि मैं समझता हूं कि जिस प्रकार ईमानदारी के साथ मुझे शासन चलाना चाहिये मैं शासन नहीं चला सकता हूं। यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश राम और कृष्ण की लीला भूमि रही है। राम और कृष्ण तो लाखों साल पहले हुए थे, या पांच हजार साल पहले हुऐ थे। हमें तो आज तक यही अनुभव होता रहा है कि यह राम और कृष्ण की लीला भूमि नहीं है बल्कि गुप्त और त्रिपाठी की लीला भूमि है और उनके अत्याचारों के नीचे ही वहां की जनता पिसती रही है। ये दो नेता आपस में लड़ते झगड़ते रहे हैं और इस कारण से उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। जब चीन का आक्रमण हो रहा था या जब पाकिस्तान का आक्रमण हो रहा था तो इनको इनके आक्रमण की चिन्ता नहीं थी, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की चिन्ता थी। त्रिपाठी ने गुप्त की और गुप्त ने त्रिपाठी की नींद हराम कर रखी थी और दोनों को इस बात की चिन्ता थी कि एक दूसरे की चालों को किस तरह से निरस्त किया जाए। आज कांग्रेस वाले हम से बात करते हैं और कहते हैं कि हम आपस में संघर्ष करते थे····

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : अभी तो आपने कहा था कि जो यहां उपस्थित नहीं है उसके बारे में व्यक्तिगत रूप में कुछ न कहा जाए।

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : हमारे बारे में बहुत कुछ कहा गया है और म बीच में नही बोला हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे बीच में भी न बोला जाए।

यह कहा जाता है कि संविद के घटक आपस में लड़ते थे, उन में आपस में मतभेद थे, उनमें मतैक्य नहीं हो पाता था। यह स्वाभाविक बात है। जब विभिन्न पार्टियां एक साथ काम करती हैं तो उनकी विभिन्न विचारधारायें होती हैं।

[श्री रघुवीर सिंह शास्त्री]

उनके विभिन्न आदर्श हैं, उनके विभिन्न कार्यक्रम हैं, इस स्थिति में तो स्वाभाविक है कि उन में मतभेद हों । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के आदर्शों में क्या विभिन्नता थी जो चन्द्रभानु गुप्त और कमलापति त्रिपाठी रोज लड़ते रहे । इन बीस वर्षों में जो कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ है और पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है उस को देखें तो पिछले पांच वर्षों में 1962 से 67 तक वहां वास्तव में सरकार रही ही नहीं है । अभी एक सदस्य ने गर्व से कहा कि हम सुचेता जी को ले गए, एक बंगाली को मुख्य मंत्री बनाया । लेकिन आपने फिर उन को पहुंचा भी दिया दिल्ली वापस । किन परिस्थितियों में और किस प्रकार उन को फिर दिल्ली पहुंचाया गया यह भी जरा वह सोचें । मैं यह कहना चाहता हूं कि आज अगर हमारे कांग्रेसी भाई और कांग्रेस के नेता यह महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश की परिस्थिति ठीक होनी चाहिए तो मैं तो स्वागत करता हूं, जिन परिस्थितियों में वहां राष्ट्रपति का शासन लागू किया है वह लागू होना चाहिए था । लेकिन बावजूद इसके मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति का शासन लागू करते वक्त भी राजनैतिक दृष्टिकोण और राजनैतिक जो अभिप्राय हैं वह उसके बीच में रखा गया है । अगर ईमानदारी से इस चीज को देखते हैं और ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो मैं आपसे अपील करूंगा कि राष्ट्रपति का शासन पूरे तौर पर लागू करिए और असेम्बली को भंग कीजिए । फिर देखिए कि जनता क्या चाहती है ? यहां कहा गया है कि अमुक शासन में भ्रष्टाचार रहा, अमुक विभागमें भ्रष्टाचार रहा लेकिन मैं कहता हूं कि अगर कोई न्यायिक जांच कमेटी बिठाएं तो मालूम होगा कि किस के शासन में ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ । और न्यायिक जांच कमेटी नहीं बिठाना चाहते तो न्याय का सब से बड़ा दरबार जनता का दरबार है । इन सब लोगों को जनता के दरबार में भेज दें । जनता को फैसला करने का मौका मिलेगा कि किस शासन में भ्रष्टाचार रहा है और किस शासन में ठीक तरह से काम हुआ है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अगर राष्ट्रपति शासन वहां लागू किया है तो असेम्बली को भंग करना चाहिए और मध्यावधि चुनाव करने का जनता को मौका देना चाहिए । जिन लोगों को जनता समझे कि यह शासन में रहने लायक नहीं हैं उन को हटा सके और जो अच्छे लोग हैं, योग्य लोग हैं जिन को जनता ईमानदार समझती है वह आगे आ सकें, इसलिए मेरा सुझाव यह है कि वहां विधान सभा को भंग कर के मध्यावधि चुनाव कराया जाय ।

इसके साथ-साथ एक प्रार्थना मैं और करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अध्यापकों के साथ बड़ा पक्षपात चल रहा है । प्राइमरी अध्यापक और हायर सेकेंड्री के जो अध्यापक हैं उनके संबंध में मैं इस समय ज्यादा नहीं कहना चाहता । मैं आज उन अध्यापकों के संबंध में कहना चाहता हूं जिन का केन्द्र से भी वास्ता पड़ता है । यू० जी० सी० जितना रुपया प्रान्तीय सरकार को देता है, विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए उस का उन विश्वविद्यालय के अध्यापकों में भी न्यायपूर्ण वितरण नहीं मिल रहा है । इसलिए भारत सरकार इस को भी देखे कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के जो अध्यापक हैं उन को यू० जी० सी० के जो नियम हैं उन नियमों के अनुसार उस रुपये का वितरण होना चाहिए न कि मनमाने ढंग से उस का वितरण किया जाए ।

अन्त में एक बात कह कर समाप्त करता हूं । जैसा कि यहां पहले कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश का शासन भविष्य में अब किस प्रकार चले उसके लिए तो मैंने सुझाव दिया है कि विधान सभा को भंग करना चाहिए और विधान सभा भंग करने के साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो केन्द्रीय सरकार के लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि हर एक बात में राजनैतिक दृष्टिकोण

ले फैसला करते हैं, हर बात के पीछे पोलिटिकल मोटिव रहता है, इस चीज को वह त्यागें, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए और वहां विधान सभा को भंग कर के नये चुनाव कराने चाहिए। मैं समझता हूं इस मामले पर पूरी तरह विचार करके आप उचित निर्णय लेंगे।

श्री काशी नाथ पांडेय (पदरौना) : सभापति महोदया, ...

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : सभापति महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदया : घंटी बजायी जाय। .....अब गणपूर्ति हो गई है। माननीय सदस्य भाषण जारी करें।

श्री काशी नाथ पांडेय : सभापति महोदया, आज जो विषय हम लोगों के सामने है और जिस बिल पर हम लोग बहस कर रहे हैं इस बिल के आने की आवश्यकता इसलिए हुई कि उत्तर प्रदेश में आज एक तरह से प्रेसीडेंट का राज हो गया है। दरअसल इन बातों पर जब हम विचार करते हैं कि अमुक प्रदेश राष्ट्रपति के शासन में हो गया तो मुझे बहुत खुशी नहीं होती। लेकिन मैं विचार करता हूं कि आखिर ऐसा होता क्यों है और हम कहां जा रहे हैं ? अफसोस होता है। हम लोग प्रजातन्त्र की पद्धति को स्वीकार करें जिस में चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन हो, ऐसी हमारी धारणा है। लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि राष्ट्रपति का शासन हो तो मुझे बहुत खुशी इस बात से नहीं हुई। लेकिन यह बात जरूर है कि हम विचार करें कि इसके अतिरिक्त और होने वाला ही क्या था और मैं आपको बता दूं कि प्रजातन्त्र उन लोगों के लिए है जो प्रजातन्त्र की जो कीमत है, जो उसकी वास्तविकता है, उसका जो लाभ है, उस को समझें। मुझे एक शेर याद आता है :

कहीं एक लाल कीचड़ में पड़ा था
न कामत बल्कि कीमत में बड़ा था
कोई दहका उठा कर ले गया घर
वह क्या जाने यह पत्थर है या जवाहर ।।

यह बिल्कुल ठीक बात कही है। जो यह प्रजातन्त्र का हथियार था वह ऐसे लोगों के हाथ में आ गया कि आज राष्ट्रपति को इस बात पर विचार करना पड़ा कि इनके साथ में वह शासन रहे या न रहे और मजबूर होकर के राष्ट्रपति ने उस शासन को अपने हाथ में संभाला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चरण सिंह जी के लिए मेरे दिल में बहुत ही आदर और सम्मान है। वह एक ऊंचे व्यक्ति हैं। लेकिन मैं आप से कहना चाहता हूं कि उन के ऐसे पैट्रिआटिक आदमी अगर इस बात को भूल गए कि जो प्रजातन्त्र में मिनिस्ट्री बनती है उसमें एक सबकी सम्मिलित सरकार समझी जाती है और सम्मिलित उत्तरदायित्व होता है लेकिन उन्होंने जो मिनिस्ट्री बनाई वह इस तरह से नहीं कि वह जिसको चाहें वह मिनिस्टर हो बल्कि वह मिनिस्ट्री इस तरह से बनी कि अमुक पार्टी किस को मिनिस्टर चाहती है वह मिनिस्ट बने और चरण सिंह को वह स्वीकार करना पड़ा। यह मूल चीज थी जिस को चरण सिंह जी को विचार करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में चरण सिंह नहीं, उन से भी काबिल कोई व्यक्ति होता तो वह भी शासन नहीं चला सकता था। मैं समझता हूं कि यह एक मौलिक भूल प्रजातन्त्र में उन्होंने की है जो शायद हम तो भूल जायें लेकिन इतिहास नहीं भूल सकता।

मैं एक बात आप को कहूं कि यू० पी० में जो सरकार थी उसमें जो सोशलिस्ट पार्टी के मिनिस्टर थे उनको दिया गया इंडस्ट्री और लेबर लेकिन उसके बाद क्या हुआ ? पहली बात उन्होंने चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में यह की कि जो यूनियन का सेक्रेटरी था उस को तुरन्त दूसरी जगह ट्रांसफर किया क्योंकि उस के रहने से आई० एन० टी० यू० सी० का असर बढ़ता था। इसी तरह जनसंघ के भाइयों ने भी किया। मुझे उन की पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। पार्टी ठीक है, वह पार्टी बनाएं, मुझे उनके लिए बड़ा सम्मान है लेकिन आपको सुन कर आश्चर्य होगा, कांग्रेस की

[श्री काशी नाथ पांडेय]

20 साल की हुकूमत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमुक पार्टी की कोई यूनियन बनी और यूनियन के सब लोगों से इस्तीफा लेकर मैनेजमेंट को दिया गया और ट्रक पर उन का सामान लाद कर उन के बच्चों के साथ उनको दूर फेंक दिया गया··· **(व्यवधान)**···· वहां हमारा सेक्रेटरी जो था उस से इस्तीफा लिया गया और उसके छोटे-छोटे बच्चों और औरत को रात के 12 बजे उठा कर वहां से 200 मील दूर भेज दिया···· **(व्यवधान)** ·····यह हमारे जनसंघ के भाई हिम्मत-सिंह जी जिस विभाग के मिनिस्टर थे उस विभाग में हुआ।····· **(व्यवधान)**····

श्री सरजू पाण्डेय : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रोवियस रूलिंग है हमारे हाउस के पुराने अध्यक्षों की कि जो आदमी जवाब देने के लिए सदन में मौजूद न हो उसके चरित्र के खिलाफ कोई बात यहां न कही जाये। इसलिये मेरा निवेदन है कि वे मिनिस्टर, जिनके खिलाफ ये चार्ज लगा रहे हैं, यहां मौजूद नहीं हैं इसलिए उन पर इस सदन में कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : यह नीति की जो आप आलोचना कर रहे हैं, होम मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी यहां बनी थी जिस के अन्दर वर्क्स हाउसिंग मिनिस्टर थे, उसमें जो तय हुआ उस नीति का इम्पलीमेन्टेशन दिल्ली की सरकार कर रही है। अब वह नीति सही है या गलत, इसमें मैं नहीं जाता। लेकिन आप इस तरह के जनसंघ का नाम लेकर एक गलत प्रभाव डालने की बात न करें।

एक माननीय सदस्य : उस मीटिंग के खिलाफ काम हो रहा है।

श्री बलराज मधोक : इसके लिये उचित यही होगा कि होम मिनिस्टर को बुला लिया जाये और उनसे पूछा जाये कि क्या-क्या हुआ था और क्या उसका उलटा किया जा रहा है। इस तरह कह देने से तो काम नहीं चलेगा।

श्री काशी नाथ पाण्डेय : मुझे आपके प्रति कोई अनादर की भावना नहीं है। मैं शिकायत नहीं करता हूं।

सभापति महोदया : पाण्डेय साहब, आप जवाब न दीजिए, आप अपनी बात कहिये।

श्री काशी नाथ पाण्डेय : मैं कह रहा था कि मैं किसी के व्यक्तिगत आचरण के विरुद्ध नहीं कह रहा हूं। न तो नीति के प्रश्न पर कह रहा हूं। मैं केवल यही कहता हूं कि आज सेन्टर में लेबर मिनिस्टर हैं, मैं समझता हूं कि यहां पर डिफेन्स में बहुत ज्यादा वर्कर इम्प्लायड हैं। लेकिन महाराष्ट्र के भाई बतायेंगे कि वहां पर एक जगह जो कम्युनिस्ट लोग निकाले गये उनको कुछ लोगों ने रीइन्सटेट कर दिया बावजूद इसके कि कोर्ट से सजा हुई थी, लेकिन आई० एन० टी० यू० सी० के वर्कर को रखने में हीला हवाला कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि सभी पार्टीज के लोग मिनिस्टर के पास पहुंचते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि कांग्रेस आपके बीच में कोई पक्षपातपूर्ण काम करती है। यह हो सकता है कि जो जनसंघ या कम्युनिस्ट के साथी हैं उनके प्रति आप का ज्यादा आकर्षण हो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिये कि कोई आपकी तरफ उंगली उठाये। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं।

सभापति महोदया, दूसरी बात मैं यह कह रहा हूं कि यह खुशी की बात है कि यू० पी० में प्रेसीडेन्ट रूल हो गया। लेकिन प्रेसीडेन्ट रूल हो जाने से हमारी सारी कठिनाइयों का समाधान हो जाये, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। प्रेसीडेंट साहब के लिये, मैं समझता हूं एक सलाहकार समिति बनी है जिसमें सभी गवर्नमेंट आफिसर्स हैं और यू० पी० के जो आफिसर्स हैं वे किसी से भी कम योग्य नहीं हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से मालूम है कि यू० पी० के चीफ सेक्रेटरी, श्री बी० बी० लाल बहुत

ही योग्य आदमी हैं । लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे वर्कर को 12 बजे रात को हटाया गया, उसके लिये हमने उनको चिट्ठी लिखी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कहा गया लेकिन एक मिनिस्टर थे उनकी वजह से उसे पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिल सका । आज किसी भी पार्टी की मिनिस्ट्री हो, वह कल चली जायेगी लेकिन शासन-सूत्र को सम्हालने का काम बड़े-बड़े अधिकारियों पर ही है । अगर उनका कार्य विकृत हो जाता है तो फिर प्रजातन्त्र का चलना सम्भव नहीं हो पायेगा । इसलिए मैं कहता हूं कि आज मौका है, आप उन सभी दलदलों से निकल कर प्रदेश की सेवा में लगिये । आप केवल औचित्य को देखें और उचित कार्य को करें । इसी प्रकार से इस सूबे की उन्नति हो सकती है ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । रेलवे बजट पर बोलते हुए भी मैंने इस बात को उठाया था, कि हमारी कांस्टीटुएन्सी में एक रेलवे लाइन है जो छितौनी से गोरखपुर तक जाती है, बड़ी गंडक के किनारे यह लाइन है । वह न केवल यात्रियों को यहां से वहां ले जाती और ले आती है बल्कि नदी से प्रभावित एरिया के लोगों की रक्षा भी करती है । रेल मन्त्रालय ने सोचा कि इस रेलवे लाइन को हो उखाड़ फेंका जाय क्योंकि वह अनएकोनामिक है । मैंने इस चीज पर बहुत लड़ाई की और बाद में यह निर्णय हुआ कि यह लाइन रहे । लेकिन अब एक चीज ऐसी हो रही है, इंजीनियर और दूसरे लोग जो यू० पी० के हैं उन्होंने एक स्कीम बनाई है । एक तो बाढ़ की वजह से वहां पर पहले से ही किसानों की जमीन नदी में चली गई और अब जो जमीन है उसमें आगे चलकर एक बांध बना रहे हैं जिसका नतीजा यह होगा कि बाकी जमीन भी बांध में चली जाएगी और किसान भूखों मरने लगेंगे । मैंने यह बात उठाई थी, डा० के० एल० राव वहां गये थे, उन्होंने भी यह मुनासिब समझा कि उस लाइन को रहना चाहिये । मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि गवर्नर साहब को चाहिए कि उस लाइन की रक्षा करें । वहां के लोगों को आगे चलकर भूमिहीन बनाने की कोशिश न करें चाहे इसके लिये कुछ भी हो । जो पहले से ही पिछड़े हुए हिस्से हैं उनको और ज्यादा पिछड़ा बनाने की कोशिश न की जाए ।

यह दुर्भाग्य की बात है कि चूंकि 1857 के बलवे के बानी, भवानी मंगल पाण्डेय थे जोकि बलिया जिले के थे, इसलिए जब तक अंग्रेजों का शासन हमारे प्रदेश में रहा तब तक इस बात की कोशिश की गई कि पूर्वी जिले कभी भी न बढ़ने पायें, उनको तरह तरह से दबाया जाये । वहां पर सिवाय अंग्रेज कलक्टर के और अंग्रेज एस० पी० के कोई और नहीं रहता था । इस वजह से वहां के लोग जर्जर हो गए, दीन-हीन हो गए । पंडित जी के समय में हमारे यहां के श्री विश्वनाथ सिंह थे, उन्होंने वहां की दशा के सम्बन्ध में प्रश्न-उठाया था, जिस पर पटेल कमीशन बिठाया गया । पटेल कमीशन ने अपनी रेकमेन्डेशन दी कि तब तक वहां की हालत नहीं सुधरेगी जब तक कि वहां पर छोटे-छोटे उद्योग-धंधे नहीं लगाये जाते हैं क्योंकि वहां पर—भूमि बहुत कम है लेकिन उस रिपोर्ट के अनुसार साल भर ही काम हुआ । अब यह प्रैसीडेन्ट रूल भी हुआ, संविद की सरकार जिससे कि बड़ी आशा थी वह भी चली गई । पटेल कमीशन की जो रिपोर्ट थी वह बिल्कुल वैसी ही पड़ी हुई है, उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है । मैं चाहता हूं कि गवर्नर साहब के शासन में कम से कम पटेल कमीशन की सिफारिशों पर विचार किया जाये ।

दूसरी चीज हम अपने विरोधी भाइयों से भी कहना चाहते हैं कि देखिये इस बात को कोई टाल नहीं सकता है कि प्रजातन्त्र में केवल एक पार्टी ही हमेशा शासन नहीं करती रहेगी, दूसरी पार्टियां भी आयेंगी । लेकिन यह भी है कि आप अपनी शक्ति इतनी बढ़ाइये, आपकी अपनी पालिसीज और प्रोग्राम इस तरह के हों कि कम से कम एक पार्टी की

[श्री काशी नाथ पाण्डेय]

गवर्नमेंट हटे तो मेजारिटी से आप एक ठोस तरीके पर शासन-सूत्र को सम्हाल सकें परन्तु यहां पर तो इन पार्टियों का केवल यही अभिप्राय था कि कांग्रेस की मुखालिफत करनी है। इसी नीति को लेकर यह गवर्नमेंट बनी थी। इससे कांग्रेस तो अपदस्थ हो गई लेकिन लाभ क्या हुआ ? जिस प्रकार रोजाना सरकारें बन रही हैं इससे कोई खास फायदा नहीं और न पब्लिक को इसमें कोई दिलचस्पी है। वह तो चाहती है कि हमारे यहां दृढ़ सरकार बने। मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिये संविद सरकार के अन्दर क्या हुआ। इलाहाबाद में जो कुछ हो रहा है उसके अलावा पड़रौना में दिन दहाड़े ट्रेन के दो डिब्बे जला दिए गए। संविद की एक इकाइ ने वहां के लोगों को भड़काया, वहां के विद्यार्थियों को भड़काया। मुझे कहते हुए शर्म आती है कि आपकी शासन व्यवस्था क्या थी। चरण सिंह जैसे मजबूत आदमी के पास होम पोर्टफोलियों था लेकिन उनके साथ एक कम्युनिस्ट भाई भी थे। चरण सिंह एक बात कहते थे तो वह कम्युनिस्ट भाई दूसरी बात कहते थे।

इस तरह कहीं मिनिस्ट्री चलती है ? यह तो सौभाग्य की बात है कि वह किसी प्रकार हट गई। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस नहीं बन सकती तो न बने, प्रेजिडेंट रूल में हर्ज की कोई बात नहीं है। कम से कम वहां के अफसरों को एक मौका मिलेगा कि वह वहां के शासन को कुछ सम्भालें। वहां यह बात थी कि पब्लिक से कोई सम्बन्ध हो या न हो, रोजाना की पार्टीबाजी, राजनीति इस कदर शासन में घुस गई थी कि लोगों का काम करना मुश्किल हो गया था।

मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं कि प्रेजिडेंट का रूल जो उत्तर प्रदेश में हुआ उस से हम को इस बात की शिक्षा मिलती है कि हम आगे चल कर अपना व्यवहार किस तरीके का रक्खें। जो भी शासन हम उत्तर प्रदेश में कायम करें वह दृढ़ हो और कम से कम पब्लिक के हित में काम करे। केवल मिनिस्टर बन जाने से कोई फायदा नहीं कि एक कार ले लीजिये, दो चपरासी ले लीजिये। पब्लिक तो देखती है कि आप ने मिनिस्टर हो कर क्या किया, आप के रहने से हमें क्या लाभ होता है हम देखते हैं कि यू० पी० की **पर कैपिटा** इनकम गिर रही है पिछले दिनों से।

जहां तक औद्योगिकरण का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं कि यू० पी० सबसे पिछड़ा हुआ है।

एक माननीय सदस्य : महंगाई बढ़ गई है।

श्री काशी नाथ पाण्डेय, हां, महंगाई बढ़ गई है। वहां पर एक ही इंडस्ट्री है उस पर भी बड़ी आफत है। मेरा अभिप्राय शुगर इंडस्ट्री से है। मैं केन्द्रीय सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उस ने अपनी पालिसी में परिवर्तन कर के कम से कम शुगर इंडस्ट्री को बचा लिया है। जिस वक्त मैं ने यहां आवाज उठाई थी कि शुगर डिकंट्रोल होना चाहिये, उस वक्त बहुत से साथी कहते थे कि मैं मालिक के लिये बात कर रहा हूं। उस समय पूरा डिकंट्रोल नहीं हुआ केवल 40 परसेंट हुआ। नतीजा यह हुआ कि जब गवर्नमेंट ने 2 रु० 75 पैसा एक मन गन्ने का भाव तय किया पर किसानों को 5 या 6 रु० मन मिला। अगर 40 परसेंट डिकंट्रोल न हुआ होता तो यह दाम न बढ़ते। इस के अलावा मजदूरों को मजदूरी भी ज्यादा मिली। आम तौर से फैक्ट्रियां डेढ़ महीने में बन्द हो जाती थीं, आज वह फैक्ट्रियां तीन तीन और चार चार महीने चली हैं और मजदूरों को ज्यादा मजदूरी मिलती है बोनस मिलता है।

श्री शशिभूषण बाजपेयी (खारगोन) : मिल मालिकों को बहुत मुनाफा हुआ।

श्री काशी नाथ पाण्डेय : नहीं हुआ । पता नहीं क्यों आप ने एक नोशन बनाया हुआ है । मैं आप को बतलाना चाहता हूं ....

SHRI UMANATH (Pudhkkottai) : They have earned Rs. 200 per bag because of 40 per cent decontrol. I have got the facts.

श्री काशी नाथ पाण्डेय : आप ने जो बात बतलाई वह भी ठीक हो सकती है । तो उस के लिये गवर्नमेंट की मशीनरी लगी हुई है इनकम टैक्स की । हम तो अपना बोनस ले लेंगे । इस के अलावा गवर्नमेंट ने एक स्कीम और दी है कि अगर किसान ज्यादा दाम पा सकता है तो डेफर्ड पेमेन्ट के जरिये पा सकता है । कहां गया पैसा ? कैसे देश का भला होगा ? अगर हम समाजवादी भी है तो कम से कम व्यावहारिक तो होना चाहिये । केवल "कैपिटल" पढ़ कर कोई समाजवादी हो, ऐसा मैं नहीं मानता । मैं समझता हूं कि वह केवल थ्योरी की बातें हैं जो इस की चर्चा करते हैं । मेरे मित्र श्री उमानाथ हैं । वह बड़े अच्छे आदमी हैं । मैं उन से कहना चाहता हूं कि बेज बोर्ड केरल जा रहा है । वह वहां पर अपनी राय को रक्खें । तब इस को देखा जायेगा । केवल यह कह देने से कि एक बैग पर 200 रु० कमाये हैं, काम नहीं चलेगा । इस तरह की बातों के कहने से क्या फायदा है ? मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि आज प्रजातन्त्र का युग है, इस में आप तर्क से दूसरे को परास्त कर सकते हैं, फिजिकल फोर्स से परास्त नहीं कर सकते । यह धारणा कि या तो विजय आप की होगी या फिर डंडे के जोर से आप अपनी चीज को मनवायेंगे, इस को मैं तर्क नहीं मानता । जो मजबूत होता है वह डंडे का जवाब डंडे से ही देता है । प्रजातन्त्र के युग में अगर ज्यादा सख्ती दिखलाई जायेगी तो उस से अधिनायकवाद पैदा होता है।

इन शब्दों के साथ प्रेजिडैंट का शासन लागू करने के लिये जो यह बिल आया है मैं उस का समर्थन करता हूं ।

श्री सत्य नारायण सिंह (वाराणसी) : सभापति महोदया, इस सदन में उत्तर प्रदेश के बजट पर बहस हो रही है । मैं आप की मार्फत इस सदन का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में पूरे देश के साथ कंधे से कंधा भिड़ा कर उत्तर प्रदेश ने, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश ने ऊंची से ऊंची कुर्बानी की और कठिनाइयां झेलीं । उस के बाद जब अंग्रेजी साम्राज्यवाद का पंजा टूट गया और यह सौभाग्य कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुआ, देश की जनता ने उस को इस बात का अवसर दिया, कि वह अपनी नीतियों के मातहत जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के मुताबिक काम करे, और बीस वर्ष तक लगातार जनता की आशायें उस की ओर लगी रहीं, तब भी हम देखते क्या हैं कि जनता की आशायें पूरी नहीं हुईं । यहां पर जनतन्त्र की रक्षा की बात के लिये हम रात दिन चीखते चिल्लाते हैं और तमाम बातें करते हैं, लेकिन हम को इस बात का पता नहीं कि जनतन्त्र की रक्षा कौन करता है । आज सही मानों में जो जनतन्त्र की रक्षा करती है वह जनता होती है क्योंकि जनतन्त्र जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के मुताबिक काम करता है । जो जनतन्त्र उन को पूरा करने की कोशिश करता है वही देश में विकसित होता है और मजबूत पैरों पर खड़ा होता है । इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि जनता ने यह सोचा था कि अंग्रेज साम्राज्यवाद हिन्दुस्तान से उखाड़ दिया गया, हिन्दुस्तान आजाद हो गया, और अब हमारी आशायें पूरी होंगी तथा हमारे सूखे हुए चेहरों पर हरियाली आयेगी । बीस साल तक लगातार कांग्रेस के राज्य ने जनता की इन आशाओं को पूरा नहीं किया । जिस का नतीजा आज यह है कि पूरे देश के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की जनता के अन्दर निराशा की भावना पैदा हो गई है ।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह से जनतन्त्र की जड़ मजबत होती है ? इस

[श्री सत्यनारायण सिंह]

तरह से जनतन्त्र से जनता का विश्वास उठ जाता है। वह सोचने लगती है कि इस तरह से हमारी आशायें पूरी नहीं होंगी और हमारे मन के मुताबिक हमारे हितों की रक्षा नहीं होगी। इस तरह से जनता का विश्वास निश्चित रूप से जनतन्त्र से उठता है और जनतन्त्र कमजोर होता है।

बीस साल के बाद आज हम क्या देखते हैं ? कांग्रेस ने लगातार जो कदम अब तक उठाया है उस से पूरे मुल्क में एक नई स्थिति बन गई है, और वह यह कि केन्द्र में एक पार्टी का, जो बीस साल से हुकूमत कर रही थी, शासन कायम है और देश के दूसरे बहुत से प्रदेशों में दूसरी पार्टियों के राज्य कायम हैं। यह नई स्थिति आज दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, जैसे कि हिन्दुस्तान में पैदा हुई। हिन्दुस्तान का प्रजातन्त्र आज फिर कसौटी पर है कि आज वह इस नई परिस्थिति में किस तरह पर अपना विकास करेगा। दूसरे राज्यों में दूसरी पार्टियों की सरकारें कायम हैं और केन्द्र में आज बीस साल से कांग्रेस हुकूमत चल रही है, उस का राज्य कायम है। ऐसी हालत में दोनों का समन्वय कैसे किया जाये जिससे सही मानों में प्रजातन्त्र की जो असली भावना है उस का विकास हो सके।

प्रश्न यह है कि आज दूसरे राज्यों में जो दूसरी पार्टियों के राज्य कायम हैं, वह एक कांस्टिट्यूशन के मुताबिक काम करते हैं, अपने घोषणा पत्र के मुताबिक काम करते हैं जिन में जनता की आशाओं को पूरा करने के वादे किये गये हैं। आज आप उन को अपने कार्यक्रम पूरे करने के अवसर देते हैं या नहीं, यह एक बहुत बड़ा प्रश्नसूचक चिह्न देश के सामने खड़ा हो गया है कि अपने अपने ढंग से, अपने अपने वादों के मुताबिक, अपनी अपनी घोषणाओं के मुताबिक हर पार्टी को जनतन्त्र की मूल धारा के मुताबिक काम करते हुए उस को अमल में लाने का अवसर मिलता है या नहीं ? आज जब हम इस बात को सोचते हैं तो हम को दुःख होता है कि आज साजिश हो रही है नीचे से ऊपर तक एक दूसरे में समन्वय कायम करने के बजाय, एक दूसरे की मदद करने के बजाय, एक दूसरे को गिराने की, जिस से प्रजातन्त्र को सब से ज्यादा खतरा पैदा हो रहा है। आप सोच सकते हैं जब दूसरी पार्टियों के राज्य पूरे देश में कायम हो गये, ऐसी स्थिति में हम अपने वादों के मुताबिक अपने घोषणा पत्र के मुताबिक किस तरह से काम करें ? इस वक्त यह पूरी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है कि वह गम्भीरता के साथ इस बदली परिस्थिति पर विचार करे और यह देखे कि जो बड़े घटक हैं देश के अन्दर उन को अपने अपने घोषणा पत्रों के मुताबिक, अपने अपने वादों के मुताबिक काम करने का अवसर प्रदान किया जाये। अगर आज इस बात पर गम्भीरता से विचार नहीं किया गया तो प्रजातन्त्र के लिये सब से बड़ा खतरा आज पैदा हो चुका है। मैं कहना चाहता हूं और हाउस से अपील करना चाहता हूं कि वह इस के गम्भीर नतीजे को सोचे कि आज सब के लिये, आप के लिये, हमारे लिये, हर पार्टी के लिये, चाहे केन्द्र की सरकार हों, चाहे राज्यों की सरकारें हो, सब के लिये विचार करने का अवसर आ गया है इस सम्बन्ध में।

जब अलग-अलग सरकारें राज्यों में कायम हुई तो जनता ने खुशियां मनाई। अंग्रेजों के जाने के बाद हिन्दुस्तान की जनता सर उठा कर ऊपर उठी थी। वह सोचती थी कि अंग्रेजों के जाने के बाद हमारी गुलामी की जंजीरें टूट गईं और अब हमारी इच्छा के मुताबिक देश का निर्माण होगा। लेकिन वह आशायें पूरी नहीं हुईं। इस बीच में जो सरकारें बनी, खास तौर से जो उत्तर प्रदेश में संविद सरकार बनी, उस ने भी ऐसे काम किये जिन से जनता को पूरी खुशी नहीं मिली। जब चरण सिंह की सरकार बनी थी उस दिन भी उत्तर प्रदेश की सड़कों और गलियों में खुशियां मनाई गई थीं।

17 Hrs.

हमने देखा कि संविद की जो सरकार थी उसने भी जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम नहीं किया और प्रजातन्त्र पर उसने आघात किया, चोट की। इतना मात्र कह देने से काम नहीं चलेगा कि हम प्रजातन्त्र के पोशक हैं। असंगतियों से भरी हुई जो सरकार वहां बनी उस सरकार ने सोचा कि कांग्रेस को हटा कर वे सरकार बना रहे हैं और जनता इसका स्वागत करेगी। उसने इसका स्वागत किया भी। लेकिन वह भी जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकी। हम को यह मान कर चलना होगा कि कांग्रेस की चमड़ी से जनता को दुश्मनी नहीं है और न ही उसको हमारी चमड़ी से मुहब्बत है। जनता ने कांग्रेस से नाराज हो कर आपको अवसर दिया ताकि आप कुछ करके दिखायें लेकिन नौ महीने में आपने यह साबित कर दिया कि आप उन से भी अधिक निकम्मे साबित हुए हैं। और आप पर से जनता की आस्था उठ गई। पिछले जमाने में सरकार की तरफ से आर्डर निकला था कि जितनी बंजर और परती भूमि है वह खेतीहर मजदूरों को दी जाए। लेकिन संविद की सरकार ने एक जी०ओ० निकाला और कहा कि जो बोली बोलेगा सब से ज्यादा उसको ही वह जमीन मिलेगी। क्या यह समाजवाद का तरीका था। इतना ही नहीं चार फरलांग और आठ फरलांग तक बिजली किसानों को देने की बात पहले कही गई थी और उनको ट्यूबवैल मिलते थे। लेकिन कह दिया गया कि इसको वापिस लिया जाता है और बिजली उनको मिलेगी जोकि पहले से दस हजार बारह हजार जमा कर देंगे। जमीन की सिंचाई के लिए ट्यूबवल जो लगाये जाते हैं उनके लिए कह दिया गया कि उनके ऊपर बीस रुपये अतिरिक्त टैक्स देना होगा और जो इस तरह से ज्यादा पैसा दे कर लगायेंगे उनको ही खाद मिलेगी, अच्छा बीज मिलेगा। उत्पादन के अन्दर धनी किसानों को यह बढ़ावा देने की नीति नहीं है और क्या यह मध्यम, गरीब···किसानों और खेतीहर मजदूरों ···को बरबाद करने की नीति नहीं है। इस तरह की नीतियों का जनता पर क्या असर पड़ा होगा या क्या आपने इसको भी देखा है क्या जनता सीखेगी, क्या उसको सबक मिलेगा, इसका भी तो आपको विचार होना चाहिये था।

उत्तर प्रदेश हमारे भारत वर्ष का एक बहुत बड़ा प्रदेश है। आबादी की दृष्टि से भी वह बहुत बड़ा प्रदेश है। जितनी बिजली यहां मिलनी चाहिये, शिक्षा के लिए जितना पैसा यहां मिलना चाहिये, सिंचाई का जितना प्रबन्ध यहां होना चाहिये स्वास्थ्य का इंतजाम होना चाहिये उन सब की पूरे तौर पर उपेक्षा की गई है।

किस तरह की वहां पर स्थिति पैदा कर दी गई इसको आप देखें। उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से खेतीहर और छोटी छोटी सनतों का प्रदेश है। वहां पर सरकार को चाहिए था कि खेती पर विशेष ध्यान देती और जो छोटी छोटी सनतें हैं उन पर विशेष ध्यान देती। लेकिन आज छोटी सनतों की हालत क्या है? वे बिल्कुल बरबाद और चौपट हो रही हैं। बनारस की साड़ियां और कालीन हिन्दुस्तान में ही नहीं दुनिया में मशहूर हैं। इस उद्योगधंधे ने हिन्दुस्तान की शान को दुनिया में बढ़ाया है और विदेशी मुद्रा का संकट इससे हल होता था। आज वहां पर वह इंडस्ट्री चौपट हो रही है। चालीस प्रतिशत बुनकर वहां बेकार हो गए हैं। यह उपेक्षा का ही परिणाम है।

उत्तर प्रदेश की लगातार उपेक्षा केन्द्रीय सरकार ने भी की है। मैं मांग करता हूं कि पटेल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाने के लिए केन्द्र से पूरी मदद मिलनी चाहिये ताकि उसकी जो समस्या है वह हल हो और वह देश के निर्माण कार्य में अपनी भूमिका अदा कर सके।

डा० सुशीला नैयर (झांसी) : जो भाषण हुए हैं उनको मैं ध्यान से सुन रही थी। नायर जो

[डा० सुशीला नैयर]

ने सारी आत्मकथा सुना दी । झारखंडे राय जी ने बुलेटस की धमकी दी है । चौ० चरण सिंह, गुप्त जी और त्रिपाठी जी की भी खूब चर्चा की गई और अलग-अलग तरफ से अपने-अपने विचार व्यक्त किये गये । यह बतलाने की कोशिश की गई कि संविद की जो सरकार टूटी इसके पीछे किसी प्रकार से कांग्रेस का हाथ था । लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि जहां तक उत्तर प्रदेश की संविद सरकार का ताल्लुक है कांग्रेस पर कोई दूर का भी आरोप नहीं लगा सकता है कि कांग्रेस ने उसको तोड़ने में एक छोटी उंगली भी हिलायी । वह टूटी तो अपने कारनामों से ? हकीकत यह है कि—

एक माननीय सदस्य : काले कारनामों से ।

डा० सुशीला नैयर : काले कारनामे तो थे ही, सफेद होते तो थोड़े ही गिरती ।

बीस साल के बाद कुछ राज्यों में जब कांग्रेस का बहुमत नहीं रहा तो हमारे विरोधियों ने बहुत खुशियां मनाई और बहुत सी बातें बनाई । लेकिन यह कुछ नई बात नहीं थी । यह ऐसी चीज थी जोकि प्रजातन्त्र की परम्परा में चलती आई है । जो पार्टी बहुत दिनों तक राज्य करती रहती है उसके प्रति जनता में कुछ असन्तोष की भावना भी पैदा हो जाती है और जनता उसके प्रति अपना असन्तोष व्यक्त भी करती है । इसलिये अगर कांग्रेस को कहीं बहुमत नहीं मिला तो इस में कोई दुख की बात नहीं थी । दुख तो यह है कि जो भाई बड़ी बड़ी बातें करते हैं वे कोई एक दल बना कर एक आल्टरनेटिव भी तो प्रजा के सामने रखें ताकि अगर एक दल बहुमत में नहीं आता है या सरकार नहीं बना सकता है तो दूसरे दल बना सकें । मुझे स्मरण है कि इसी सदन में विरोधी मेम्बर स्वर्गीय नेहरू जी को कहा करते थे कि आप अपोजीशन पार्टी को भी संगठित करिये । विरोधी दल कांग्रेस के विरुद्ध संगठित करना क्या कांग्रेस का धर्म है । क्या यह भी कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि सामने वालों को वह संगठित कर दे और फिर उन्हें कहे कि "आइये, आ कर अब आप राज चलाइये ।"

एक माननीय सदस्य : तब भी बिगाड़ देंगे ।

डा० सुशीला नैयर : जब इन्होंने, सब ने मिल मिला कर एक आल्टरनेटिव सरकार बनाई तो—सब को मालूम है कि हमने उसका स्वागत किया । हम में से बहुत से लोग ऐसा मानते थे कि कौन जाने ये लोग जिस तरह से कुछ प्रोग्राम बना कर इकट्ठे हुए हैं, उसके परिणाम स्वरूप आगे चल कर एक दूसरे के नजदीक आ सकें, कोई और एक अच्छा सा दल बना लें ताकि टू पार्टी सिस्टम हिन्दुस्तान में भी चले और जनता के सामने एक आल्टरनेटिव हो सके ताकि अगर कांग्रेस बहुमत में नहीं आती है तो प्रजातन्त्र में विश्वास रखने वाला यह विरोधी दल राजकाज चला सके । लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि बजाय इसके कि सरकार में बैठ कर ये लोग अच्छा शासन जनता को देने की कोशिश करते, इन्होंने अपने-अपने दल को पनपाने के लिए तरह-तरह के प्रपंच रचने आरम्भ कर दिये ।

झांसी का मैं प्रतिनिधित्व करती हूं । वहां तो बड़ी हंसी की घटनायें घटती थीं और उन घटनाओं को हम देखा करते थे । सर्किट हाउस में अलग-अलग कमरों में दो तीन मिनिस्टर एक ही समय में आ जाया करते थे । अलग-अलग कमरों में उनकी प्रेस कांफ्रेंसिस हुआ करती थीं और एक दूसरे की बात से उलटी बात, अलग-अलग कमरों में वे वहां कह दिया करते थे । ऐसी हालत में जो इनफार्मेशन आफिसर होता था वह बेचारा बड़ी परेशानी अनुभव किया करता था । वह देखता रहता था कि कौन सी बात वह प्रेस में दे और कौन सी बात न दे । एक आध बार ऐसे भी हुआ कि उसने कोई एक बात प्रेस में दे दी और जनता पर जब उसका उलटा असर हुआ तो मंत्रियों द्वारा उसको डांटा गया और

कहा गया कि "हमने तो कोई ऐसी बात नहीं कही ।"

वहां पर अब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है । जैसा आप जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि या तो आप वहां दूसरा चुनाव करवायें या फिर हमारे ही दल को, हमारे ही दल के नेता को गवर्नमेंट बनाने का अवसर दें । लेकिन वह व्यक्ति कौन है इसको संविद वाले बता नहीं सके हैं । उधर कांग्रेस ने भी इस दौरान में कहा है कि हमारे पास बहुमत है । अब गवर्नर साहब देख रहे हैं कि सचमुच किस के पास बहुमत है मैं जाति तौर से समझती हूं कि दो-चार पांच इधर से फूट कर उधर चले जायें या दो चार पांच उधर से फूट कर इधर आ जाएं और इस तरह से सरकार बना ली जाए तो इसमें किसी का भला नहीं है इससे तो ज्यादा अच्छी बात यह होगी कि मिड टर्म इलैक्शन हो जाए उत्तर प्रदेश में । और मुझे इस में भी शक नहीं है कि इस समय मिड टर्म इलैक्शन होंगे तो कांग्रेस पार्टी वहां पर बहुत भारी बहुमत में जीतेगी क्योंकि लोगों ने देख लिया कि खिचड़ी सरकार का क्या परिणाम आया और लोग इससे बहुत ही परेशान हैं । हम तो गांव-गांव में घूम कर देखते हैं लोग कहते हैं कि जैसे भी थे कांग्रेस वाले इनसे तो बहुत अच्छे थे । आज जो हमारे सामने बिल आया है, राष्ट्रपति का शासन के कारण आया है । राष्ट्रपति शासन कितने दिन रहेगा, मैं नहीं जानती लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश किसी न किसी कारण से आज तक पिछड़ा रहा और उसकी उपेक्षा भी होती रही है इसे दुरुस्त करना होगा । यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है, बिजली को देख लीजिए, सड़कों का मापदंड देख लीजिए, शिक्षा का मापदंड देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आमदनी का मापदंड देख लीजिए, अगर आप सारे भारत की लिस्ट के साथ उत्तर प्रदेश की इस लिस्ट को मिलाएंगे उत्तर-प्रदेश करीब-करीब सब से नीचे आयेगा । शायद एक दो राज्य इसके नीचे हों तो हों । यह परिस्थिति आज है । इतने बड़े-बड़े नेता पैदा हुए उत्तर प्रदेश में, तीन प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश के हमारे यहां हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश का वही हाल है। मेरा ख्याल है उत्तर प्रदेश में इसी चीज से ही लोग खुश रहे कि हम ने नेता पैदा किए । लेकिन आम जनता के विकास के लिए कितनी मेहनत की आवश्यकता है, कितने परिश्रम की आवश्यकता है, कितने धन की आवश्यकता है, उसकी तरफ तवज्जय नहीं गई । जैसा हमारे दूसरे भाइयों ने अभी कहा, आबादी के लिहाज से बहुत कम हमारे प्लान का हिस्सा उत्तर प्रदेश को हमेशा मिला और उत्तर प्रदेश के नेता भी इसी ध्यान में रहे कि अब हमारा प्राइम मिनिस्टर वहां बैठा है, हम कैसे आग्रह करें, कैसे मांगें, यह एक मुश्किल हो जाती है·····

श्री बलराज मधोक : इसका कारण तो यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि उसको सम्भाला नहीं जा सकता । अगर दो-तीन हिस्सों में बांट दिया जाय तो ज्यादा सहूलियत हो जायेगी ?

डा० सुशीला नैयर : उत्तर प्रदेश बड़ा है इसलिए उसका विकास नहीं हो सकता यह बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं और आपका दल तो सारे देश के लिए यूनिटरी गवर्नमेंट की मांग करने वाला दल है । आप यह कहें कि उत्तर प्रदेश बड़ा है इसलिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट नहीं चल सकती तो यह बात तो हमारी समझ में नहीं आती ।

सवाल यह है कि शासन सही माने में चलाना हो तो उसमें सख्ती भी करनी पड़ती है और चौधरी चरण सिंह ने सख्ती करने की कोशिश की और आपने देखा कि उनको वहां से हटना पड़ा आज इस देश में परिस्थिति ऐसी बन गई है कि इस देश में लीडर्स नहीं हैं बल्कि जनसमुदाय जिधर उनको ले जाता है उसके पीछे पीछे वह चल पड़ते हैं । लीडर

[डा० सुशीला नैयर]

तो वह होता है जो जनता को ले जाय, जनता का दिशा दर्शन करे। लेकिन यहां तो चीप पापुलैरिटी चाहिए । जहां से भी पापुलैरिटी मिले, चाहे वह जैसा भी काम करने से मिले, वह काम करेंगे चाहे वह जनता के हित में हो या न हो । इस तरह से किसी प्रदेश का भी, किसी जनता का भी भला नहीं हो सकता । मैं मानती हूं कि हमारा बुन्देलखंड है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले हैं, यह इलाके बहुत ही उपेक्षित और पिछड़े हुए जिले रहे हैं । वैसे तो सारे का सारा उत्तर प्रदेश ही पिछड़ा हुआ है । लेकिन इसमें यह दो ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है । लेकिन जब हम उद्योग मांगते हैं तो सुनाई नहीं होती । उद्योग कहां जाता है? इलाहाबाद में जाता है, बनारस हरिद्वार में जाता है । क्यों ? क्योंकि वहां के लोग ज्यादा जोर डालना जानते हैं । भले ही आपको त्रिवेणी संगम की पवित्रता का सत्यानाश हो जाय, गंगा में एफ्लुएंट डाल कर भले ही हरिद्वार की पवित्रता समाप्त कर दी जाय, लेकिन बुन्देलखंड या पूर्वी जिलों में इंडस्ट्री नहीं जायेगी, इंडस्ट्री लगेगी इन्हीं जगहों पर। ऐसा करने में न तो उत्तर प्रदेश का भला है न देश का ही भला है।

फिर आपने देखा कि यह संविद की सरकार आई तो उसने कौन से कारनामे किए ? सब से पहले जो देहातों में स्त्रियों और बच्चों की सेवा के लिए सोशल वैलफेयर का एक बढ़िया डिपार्टमेंट चल रहा था, उसको समाप्त किया, और क्या कहा, कि औरतों का काम तो है घर में बैठ कर चक्की चलाएं और खाना बनाएं । औरतों ने कहा कि हम चक्की भी चलाएं लेकिन पहले घर में दाना हो तब तो चक्की चलाएं । जब दाना ही न हो तो क्या पत्थर को ही पीसती रहें ? पांच हजार औरतों को निकाल दिया गया । उनके साथ एक-एक के पीछे पांच पांच भी डिपेंडेंट मान लिए जाएं, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या पर कितना बड़ा अन्याय किया गया । यह अपने आप को मानते हैं प्रगतिशील, लेकिन काम करते हैं यह हमारे रीअक्शनरी की तरह । यह हमारे झारखंडे राय जी भी उस मुआमले में बैठ गए और उस ग़लत काम का समर्थन किया । इन्होंने भी उन औरतों पर इतना जो अन्याय हुआ, उसका समर्थन किया । तो यह सब चीजें बातें करने से तो नहीं होतीं । काम बताता है कि आप कहां हैं और क्या आप करते हैं ।

फिर सभापति महोदया, आप देखिए कि पूरी नशाबंन्दी उत्तर प्रदेश में नहीं थी तो भी कुछ कानपुर जैसे मजदूर एरिया में थी और हमारी बहन सुचेता जी जब वहां मुख्य मंत्री थीं तो उनसे कुछ लोगों ने आ कर कहा कि हमारे यहां नशाबन्दी होनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, जहां जनता कहेगी कि हम नहीं चाहते इस चीज को और हम पूरा ध्यान रखेंगे बाद में इसका पालन हो तो वहां-वहां हम नशाबन्दी लागू कर देंगे । तो उत्तराखंड के चार या पांच स्थानों पर नशाबन्दी उन्होंने लागू कर दी । लेकिन संविद की सरकार आई तो . .

श्री झारखंडे राय : यह आपके अशोक मेहता जी कहते हैं कि अगर नशाबन्दी पूरे देश में लागू कर दी जाय तो 2 अरब धनराशि की हानि होगी जो कोई भी सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती है । तो आप यहां से ऐसा मंजूर करा लीजिए तो वहां सब हो जायेगा ।

डा० सुशीला नैयर : अगर अशोक मेहता जी ऐसी बात कहते हैं तो वह समझते नहीं हैं कि वह क्या बात कर रहे हैं ? मैं नहीं मानती कि अशोक मेहता जी ऐसी बात करते होंगे । सीधी सी बात है कि जब एक रुपया सरकार को मिलता है, रेवेन्यू का तो जनता की जेब से चार रुपया जाता है । उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ रुपया मिलता था रेवेन्यू

एक्साइज का । इसकी जगह 80 करोड़ रुपया जनता की जेब से जाता है । अगर वह 80 करोड़ जनता की जेब में रहे तो जनता उससे कपड़ा, जूता, घड़ी, पेन या घर के और सारे सामान खरीदेगी । उससे उसका घर और परिवार भी सुखी होगा और सरकार की तिजोरी भी भरेगी सेल्स टैक्स से, एन्टरटेनमेंट टैक्स से या और दूसरे टैक्सों से, स्माल सेविंग्स से और या वह धन और उत्पादन के कार्यों पर खर्च होगा । तो सोचने की बात यह है कि पैसा लोगों से लिया जाय लोगों को बरबाद कर के ? या खुशहाल करके ? अगर आप को वही पैसा मिल सकता है लोगों को खुशहाल कर के, तो आपको वह क्यों मंजूर नहीं है । हां, हम मानते हैं, आपको चार छः महीने थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है । उसमें भी यहां पर केन्द्र के वित्त मंत्री ने खुले आम कहा है कि "50 परसेंट लास मैं पूरा करूंगा" । तो फिर कितना नुकसान रह जाता है ? लेकिन यह समझने की बात है और इसके लिए भी थोड़ी सी हिम्मत चाहिए । मगर संविद सरकार ने क्या किया ? कानपुर जैसे शहर से नशाबन्दी उठा दी । उसके लिए एस० एम० बैनर्जी साहब कहते हैं कि 60 या 70 परसेंट वेजेज़ मजदूरों की इस में चली जाती हैं । यह संविद सरकार के कारनामे हैं । और भी बहुत-सी बातें हैं ? इनको मौका मिला था अच्छा शासन यह वहां दे सकते थे, जनता के सामने एक आलटरनेटिव सरकार कांग्रेस के मुकाबिले में दे कर, उसका समर्थन प्राप्त कर सकते थे । लेकिन आज वह मौका उन्होंने खो दिया । राष्ट्रपति शासन के मातहत जितना भी अच्छा हम से हो सके उतने अच्छे तरीके से हमें इस काम को अब करना चाहिए ।

फिर इन्होंने और क्या किया ? जहां-जहां खेती थी, जिन्होंने अपने बच्चों के खाने के लिए गल्ला पैदा किया था, वह गल्ला उनसे छीन लिया । उनके बच्चों के मुंह से उन्होंने खाना छीन लिया । हम ने कहा कि भाई, जरा देख भाल कर काम करो । जिस के पास ज्यादा है उससे लो । लेकिन नहीं, एकदम लैवी लगा दी सब पर । टके सेर भाजी टके सेर खाजा, अन्धेर नगरी वाला हाल कर दिया । यह इन के कारनामे हैं । तो आज राष्ट्रपति शासन के सम्बन्ध में यह जो बिल हमारे सामने आया है इस का हम समर्थन करते हैं और आशा करते हैं कि जब तक केन्द्र के पास बागडोर है हम ऐसी अन्याय की बातों को जैसे कि औरतों का महकमा बन्द करना या जैसे कानपुर में नशाबन्दी की समाप्ती की टके सेर भाजी टके सेर खाजा वाली बात, लेवी की वसूली, इस किस्म की जो चीज़ें हैं वह समाप्त करें · · · ·

श्री झारखंडे राय : यह लेवी 20 बीघे के ऊपर के किसानों पर लगी थी, यह आप को मालूम होना चाहिए ।

डा० सुशीला नैयर : जी, यह कहने के लिए है । · · · · · **(व्यवधान)** · · · · ·

और उसमें भी सभापति महोदया, मैं बतलाऊं हमारे यहां पर बुन्देलखंड जैसे एरिया में ज़मीन लोगों के पास ज्यादा होती है लेकिन उसका एक-तिहाई ही वह बोते हैं क्योंकि उनके पास साधन नहीं होता, पानी नहीं होता । मगर यह तो ज़मीन का पट्टा देख कर कि किसके खाते में कितना है, उसके हिसाब से उनसे लेवी उन्होंने वसूल की । हमें आज देखना है कि अंधाधुन्ध टीका करने से काम नहीं चलेगा । किसी ने यह देखने की कोशिश नहीं की कि मर्ज क्या है और उसका इलाज क्या है । मर्ज यह है कि हरएक आदमी को यह समझना है कि इस देश का कल्याण होना है तो इमानदारी से और कठिन परिश्रम से काम करना होगा । अगर हम इस तरफ तवज्जय दें तो देश की काया पलट एक दिन में हो सकती है । लेकिन हर एक दल फायदा उठाने के लिए दूसरों का एक्स्प्लायट करना चाहता है चाहे वह मजदूर वर्ग हो या विद्यार्थी वर्ग हो । तो इस एक्स्प्लाय-

[डा० सुशीला नैयर]

टेशन को खत्म करना होगा तभी देश का नवनिर्माण हो सकेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं ।

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : सभापति महोदया, यह जो विधेयक आया है राज्यपाल के शासन को मजबूत करने के लिए वह इसलिए क्योंकि ''उत्तर प्रदेश में कोई सरकार चल नहीं पाई और हो सकता है कि ऐसी स्थिति रहे आगे भी कोई सरकार न चल पाये । यह भी हो सकता है कि मध्यावधि चुनाव हों । उससे हम डरते नहीं, हम उसका स्वागत करेंगे । मुझे चन्द बातें कहनी हैं उत्तर प्रदेश की दशा के विषय में—बल्कि मैं यह कहता हूं —उत्तर प्रदेश की दुर्दशा के विषय में, विशेषकर पूर्वी जिलों की दुर्दशा के विषय में । किसी एक दल के विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं । आठ महीने के शासन में हम भी कुछ अधिक नहीं कर पाये इसलिए हम डींग भी नहीं हांक सकते हैं । लेकिन बीस वर्षों की दुर्व्यवस्था को आठ महीने में दूर करना, जबकि प्रशासन की पद्धति वही रह गई, प्रशासन के अधिकारी वही रह गए और प्रशासन का दृष्टिकोण सारा का सारा वही रह गया, एक बहुत कठिन काम है । फिर यह भी सही है कि संविद के जो घटक थे उनमें आपस में फूट थी । हम सच्ची बात से इनकार नहीं करते हैं । उस फूट से उत्तर प्रदेश की हानि अवश्य हुई है और उस फूट के फलस्वरूप ही आज वहां पर संविद की सरकार नहीं रही ।

लेकिन दुख की बात है कि हम तो अनेक दल थे जो कि एक दल होकर एक बनने की चेष्टा कर रहे थे वहां कांग्रेसी जो कि एक दल है, उसमें भी अनेकों घटक हैं । गलती हमारी भी थी लेकिन वह भी बेदाग नहीं है । उत्तर प्रदेश में जो प्रगति नहीं हुई है उसका एक विशेष कारण यह भी रहा है कि ऊपर से एक दीखते हुए भी कांग्रेस का बड़ा घटक अन्दर से अनेक हो कर आपस में लड़ रहा था । उसके कारण प्रदेश की प्रगति की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा था । अब जब केन्द्र का शासन है, जबतक यह रहेगा तबतक मैं यही कहूंगा कि सच बात यही है कि यह कांग्रेस का ही शासन है । दो चार महीने जबतक यह शासन है, मैं चन्द सुझाव देता हूं और चाहूंगा कि उनको यह शासन कार्यान्वित करे । कृपा करके विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की स्थिति में आप अवश्य कुछ सुधार करें ।

17.25 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

उत्तर प्रदेश की जो उपेक्षा हुई है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तीन जो प्रधान मन्त्री हमारे बने वे तीनों उत्तर प्रदेश के ही बने । वे इसलिए उत्तर प्रदेश की उपेक्षा करते रहे कि कहीं उंगली उठाकर यह न कह दे कि अपने प्रदेश की तरफदारी कर रहे हैं वैसे तो यह बहुत अच्छी बात रही लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश केवल एक प्रदेश ही नहीं है, भारतवर्ष का सबसे उपजाऊ प्रदेश भी है । चावल, गेहूं, बाजरा, गन्ना सब का सब बहुतायत से वहां पैदा होता है । किसी अन्य प्रदेश में इतनी फसलें एक स्थान पर नहीं उगाई जातीं । इस बात को दृष्टि में रखकर कम से कम उस प्रदेश को सबसे अधिक सम्पन्न बनाने की चेष्टा करनी चाहिए थी । केन्द्र जो उत्तर प्रदेश की उपेक्षा कर रहा है उसका मैं एक जीता जागता नमूना देता हूं—मैं पंजाब की कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं—अभी भी देश में करीब दो हजार ट्रैक्टर बाहर से खेती के लिए मंगाए गये । उनका बंटवारा इस प्रकार हुआ कि आधे दर्जन जिलों वाले पंजाब में, जहां पहले से ही काफी ट्रैक्टर थे और जहां प्रगतिशील किसान हैं, 500 ट्रैक्टर दिये गये और 54 जिलों वाले उत्तर प्रदेश को केवल 200 ट्रैक्टर मिले । तो इस प्रकार की जो उपेक्षा हो रही है, कम से कम अब तो

उत्तर प्रदेश के साथ, जबतक आपका शासन है केन्द्र का, तबतक वह न करें।

यहां किसी बहन ने जिक्र किया और शायद किसी भाई ने भी कहा कि बिजली सिंचाई के लिए कठिनाई से मिलती है। एक गलती हमारे संविद से जरूर हुई है लेकिन उस गलती का सबसे बड़ा कारण यह था कि जब संविद के हाथ में सरकार आई तो खजाना खाली था और उसमें यह सम्भव नहीं था · · ·

एक माननीय सदय : खाली था नहीं बल्कि खाली कर दिया।

श्री रणजीत सिंह : क्या एक दिन में ही खाली कर दिया।

एक माननीय सदस्य : भूमि भवन कर हटाकर तीन चार करोड़ रुपया कम कर दिया।

श्री रणजीत सिंह : आपने आठ महीने का हमारा खाता खोल दिया लेकिन हम आपका बीस साल का खाता खोल ही नहीं सकते हैं क्योंकि वह इस समय बहुत बड़ा है, उसमे सदन का समय ही बरबाद होगा।

अब मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं। यह उपेक्षा तो आप स्वयं मानते हैं कि बहुत पुरानी रही है इसलिए अब आप उत्तर प्रदेश की उपेक्षा न करें। इस समय आपको मौका मिला है, केन्द्र की सारी शक्ति उत्तर प्रदेश के शासन के पीछे लगी है इसलिए उत्तर प्रदेश का कुछ निर्माण करके दिखलाइये। पिछली संविद की सरकार ने बिजली के लिए 31 मार्च, 1968 तक के लिए चन्द ऐसी शर्तें रख दी थी जिनसे बिजली की कठिनाई किसानों को थी लेकिन 31 मार्च को वह कठिनाइयां समाप्त होने को थीं। यह था कि पहली अप्रैल से, जैसे सब कुछ पहले था वैसे ही हो जायेगा यानी सिंचाई के लिए आधे मील तक बिजली की लाइन फ्री मिलती। यह सब हो भी जाता। लेकिन अब एक घातक कानून उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है जैसा कि मैं सुनकर आया हूं—यह राष्ट्रपति शासन आने के बाद किया गया है—कि चाहे सिंचाई के लिये बिजली की व्यवस्था हो चाहे उद्योग के लिये बिजली की की व्यवस्था हो, न तो किसान को तकावी ही मिलेगी और न मुफ्त लाइन ही मिलेगी। तो कृपा करके आप इस तरफ ध्यान दीजिए कि आधा मील तक जो मुफ्त बिजली की लाइन मिला करती थी वह मिलती रहे। मैं एक किसान हूं इसलिए इस बात को जानता हूं।

एक माननीय सदस्य : कितनी खेती करते है ?

श्री रणजीत सिंह : साढ़े-पांच एकड़ की खेती अगर बहुत हो तो ले लीजिए, दे दूंगा। सिर्फ साढ़े-पांच एकड़ खेती करता हूं लेकिन अच्छी खेती करता हूं। अभी कुछ दिन हुए हमारे केन्द्रीय मन्त्री ने कहा था कि जबतक गांवों में सड़कों की दशा नहीं सुधरती तबतक वहां खेती की दशा भी नहीं सुधर सकती, आर्थिक दशा नहीं सुधर सकती। उत्तर प्रदेश में जैसी सड़कों की हालत है, मैं दूर की बात नहीं बतलाऊंगा, अपने घर की ही बात बताता हूं—हमारे शिव नारायण भाई होंगे तो वे जानते होंगे —कि अंग्रेजों के जमाने की जो मुख्य सड़क है वहां से 42 मील दूर मेरा गांव था, यातायात का साधन था और बस भी चलती थी। लेकिन पिछले बीस वर्षों में उस सड़क की कभी भी मरम्मत नहीं हुई। नतीजा यह है कि वह सड़क इस अवस्था को पहुंच गई कि वहां कोई यातायात जा नहीं सकता, साइकिल तक ले जाना मुश्किल · · ·

एक माननीय सदस्य : पिछले एक ल में भी मरम्मत नहीं हुई ?

श्री रणजीत सिंह : अपनी गल्तियां बतला रहा हूं, आपका पाप ही नहीं।

एक माननीय सदस्य : तर्क को कुतर्क की कैंची बनाकर काटिये, राग को बेराग की चटनी बनाकर चाटिये।

श्री रणजीत सिंह : इस सड़क की दशा अब यह है कि पिछले साल इस सड़क की मरम्मत की योजना बनाई गई। उसका

[श्री रणजीत सिंह]

ठेका दिया गया बीस मील लम्बी सड़का का ठेका ठेकेदार को दिया गया। सरकार ने इस पर आपत्ति की कि यह ठेका एक आदमी को क्यों दिया गया। जिला परिषद् जिस को सारा पैसा दिया गया था मरम्मत का, वह कांग्रेस के हाथ में है। वैसे किसी के भी हाथ में होती, शायद वही दशा होती। पर कांग्रेस के हाथ में है, यह बात सत्य है। उन्होंने क्या किया है कि 100 गज सड़क तीन फीट ऊंची पाट दी, फिर 10 गज छोड़ दिया और फिर 100 गज पाट दी, फिर उसी तरह से दस गज छोड़ दिया और 100 गज पाट दी। और अब वहां हाथी चल कर नहीं जा सकता। काले हाथी जमींदारी के बाद चले गये, सफेद हाथी सड़कों के बाद चले गये, अब कौन से हाथी की सवारी ले कर हम वहां जायेंगे ?

उत्तर प्रदेश की दशा यह हो गई है, भले ही उत्तर प्रदेश के यहां के मंत्रियों को देख कर यह हुई हो, कि आज भारतवर्ष में यू० पी० को उत्तर प्रदेश नहीं, उल्टा प्रदेश कहते हैं : सरकार आज कम से कम इस उल्टा प्रदेश को सीधा प्रदेश करने की चेष्टा करे।

मैं आशा करता हूं कि सरकार इन बातों की तरफ ध्यान देगी।

श्री चन्द्रिका प्रसाद (बलिया): उपाध्यक्ष महोदय, देश में जहां-जहां भी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं और विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है उसका मैं जोरदार समर्थन करता हूं। इसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि पिछले बीस वर्षों में उत्तर प्रदेश पीछे गया है। उत्तर प्रदेश क्या उसको पूरा भारतवर्ष ही समझिये। यह हमारे नेताओं की उदारता है जिसकी वजह से हमारा प्रदेश पीछे गया। उत्तर प्रदेश में विशेषकर गोरखपुर जिला, बनारस जिला, और रूहेलखण्ड का जो पहाड़ी हिस्सा है वह सब से पिछड़े हिस्सों में से हैं।

हमारे पूर्वी जिले वीरता के उदाहरणों के लिये मशहूर हैं। जैसा श्री काशीनाथ पाण्डेय ने कहा शहीद मंगल पाण्डेय वहीं के थे। अंग्रेजों के वक्त में वहां के लोगों को बहुत दबाया गया। अंग्रेजों के वक्त में वहां के लोग, मजदूरी करने के लिये बाहर गये। वह बंगाल, असम और सुदूरपूर्व में गये। वहां पर बाबी कुंअर सिंह जैसे हमारी आजादी के सिपाही हुए। लेकिन आज तक उन शहीदों के लिये कोई स्मारक तक नहीं बन सका है। मैं राष्ट्रपति शासन का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि पूर्वी जिलों की समस्याओं की ओर ध्यान दिया जायेगा।

पूर्वी जिलों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये हमारे गाजीपुर के श्री गहमरी के कहने पर पटेल कमिशन बिठलाया गया था। एक साथी ने कहा कि उस हिस्से के लोग एक लोटा रस पी कर जिन्दा रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बलिया जिले में ऐसे किसान हरिजन मजदूर हैं जो कि दौरी, अर्थात् बैल जो गोबर करते हैं उसमें से गेहूं निकाल कर भोजन करते हैं। यह तो हमारी गरीबी की हालत है।

हमारी नित्य प्रति की समस्या यह है कि हर तीन-चार वर्ष पर बाढ़ आती है जिसमें सारी चीजें डूब जाया करती हैं और बरबाद हो जाती हैं। हमारे जिले का दो-तिहाई हिस्सा बाढ़ से बरबाद होता है और रसड़ा तहसील का एक-तिहाई हिस्सा सूखे से बरबाद हो जाता है। हमारे प्रदेश में जब संविद शासन आरम्भ हुआ तब उस को बैकवर्ड और गरीब लोगों का शासन कहा जाता था, लेकिन इन हरिजनों के साथ भी अत्याचार किया गया। हरिजनों को जो सहायता मिलती थी बन्द कर दी गई, बैकवर्ड लोगों को जो सहायता मिलती

थी वह सारी बन्द कर दी गई । बिजली की लाइन जो कांग्रेस शासन काल में मुफ्त मिला करती थी वह नहीं मिल रही है। मैं गवर्नर महोदय से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस शासन काल में जो भी सुविधायें थीं वह पूरी मिलनी चाहियें वहां के लोगों को ।

बाढ़ की समस्या के सम्बन्ध में घाघरा पर बलिया को देवरिया से मिलाने के लिये और बलिया से छपरा को मिलाने के लिये पुल बनाये जायें ।

हमारे यहां पर शुगर इंडस्ट्री है । शुगरकेन पूर्वी जिलों में काफी होता है । हमारे रसड़ा में कम-से-कम एक शुगर फैक्ट्री का प्रबन्ध कर दिया जाये ताकि हमारे यहां की माली हालत ठीक हो सके । कागज की फैक्ट्री बनाने के लिये जो उत्तर प्रदेश विहार योजना चल रही है मैं चाहता हूं कि वह बलिया को दिया जाये और इसमें सरकार सहायता करे ।

हमारे संविदा सरकार की जो बुराइयां थीं, उनको बतलाते हुए मैं कम-से-कम अपने जिले की बात कहना चाहता हूं सब पार्टियां अपने को मजबूत करने के लिये सारी चीजें अपने यहां करती थीं । इसलिये बलिया की सारी समस्यायें आज पन्द्रह वर्षों से पड़ी हुई है । कहा गया कि रिहन्द में बिजली दी जायेगी पूर्वी जिलों को लेकिन उसका मुंह मोड़ दिया गया पश्चिम की तरफ । पूर्वी जिलों को जो बिजली मिलनी चाहिये थी वह आज तक नहीं मिली है ।

हमारा शहर जो है वह तीन बार गंगा और घाघरा की बाढ़ से बरबाद हो चुका है । बलिया जिला नगरपालिका का क्षेत्र आज नर्क बना हुआ है । वहां पर सिवरेज नहीं है । मैं चाहता हूं कि वहां पर सिवरेज की व्यवस्था की जाये । रसड़ा नोटिफाइड एरिया जो है वह कम्यूनिस्टों के हाथ में है । वहां की हालत इतनी खराब है कि उनकी ग्रान्ट जो है उसको वह खा गये हैं । मैं तो समझता हूं कि उसको जब्त किया जाना चाहिए ।

हमारे शहर में एक लेवेल क्रासिंग का सवाल है । जब हम उसके लिये कहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि जब तक यू० पी० गवर्नमेंट इसके लिये ग्रान्ट नहीं देगी तब तक हम कुछ नहीं कर पायेंगे । मैं चाहता हूं कि गवर्नर साहब इस योजना को अपने हाथ में लें । अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास एक चिट्ठी आई है । मैं उसको आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं, उससे हमारी सारी समस्या का पता चल जायेगा । मेरे पास जो चिट्ठी आई है उसमें यह लिखा है :

"As per the extant procedure, the State Government Road authorities should initiate the proposal for the construction of a road-over-bridge with acceptance to bear the share of the cost involved. The State Govt. of Uttar Pradesh have sent a list of level crossings proposed for replacement by over/under-bridges during fourth-Five Year Plan, which does not include the level-crossing near Ballia Station for such replacement. In view of the above, this Railway administration is not in a position to proceed with the proposal."

मैं राष्ट्रपति शासन का स्वागत करता हुआ कहना चाहता हूं कि यह सारी समस्यायें केन्द्र की हैं, और आज तक हमारी जो उपेक्षा हुई है मैं चाहता हूं कि केन्द्र उसके ऊपर ध्यान दे । मैं चाहता हूं कि गवर्नर साहब मेरे इस प्रपोजल को मान लें ।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ से, चाहे इधर से चाहे उधर से, यह बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है । जिस प्रदेश में गंगा और यमुना जैसी दरियां बहती हैं, उपजाऊ मैदान हैं,

[श्री मोहन स्वरूप]

वह देश पिछड़ा रहे, उसमें पैदावार कम हो और लोग दुखी रहें यह अचरज की बात है । इसके लिये उत्तर प्रदेश के लोग नहीं, प्रकृति भी नहीं, बल्कि प्रशासन की जो परिस्थितियां रहीं वह जिम्मेदार हैं ।

मेरे सामने कुछ आंकड़े मौजूद हैं । तीन पंचवर्षीय योजनायें गुजर चुकी हैं, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार पैसा नहीं मिला । पहली प्लैन में उत्तर प्रदेश का पर-कैपिटा आउटले 24 रु० का था जबकि दूसरी स्टेट्स में 40 रु० का था, दूसरी प्लैन में 34 रु० का उत्तर प्रदेश में था और दूसरी स्टेट्स के लिये 52 रु० था । तीसरी योजना में उत्तर प्रदेश का पर-कैपिटा आउटले 63 रु० का था जबकि दूसरी स्टेट्स का 92 रु० था । इसी तरीके से पर-कैपिटा सैंट्रल असिस्टैंस भी उत्तर प्रदेश के लिये बहुत कम रहा । पहली प्लैन में उत्तर प्रदेश के लिये 14 रु० था और दूसरी स्टेट्स के लिये 25 रु० था, दूसरी प्लैन में उत्तर प्रदेश के लिये 18 रु० था और दूसरी स्टेट्स के लिये 27 रु० था । तीसरी प्लैन में उत्तर प्रदेश के लिये 47 रु० था और दूसरी स्टेट्स के लिये 56 रु० थी । हमेशा इसी तरीके से इस राज्य की उपेक्षा की गई है ।

जब कभी जिक्र आता है टेकनिकल एजुकेशन का तो आप देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष में जब 71 इंजीनिअरिंग कालेज खोले गये तो उत्तर प्रदेश के लिये केवल 3 खोले गये । इसी तरीके से जब पालिटेकनिक खोलने का वक्त आया तो पूरे देश में 115 खुले और उत्तर प्रदेश में कुल 10 या 12 खुले । जब इंडस्ट्री का जिक्र आता है तो प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में नहीं खोली गई । तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरिद्वार, ऋषिकेश और गोरखपुर में एक फर्टिलाइजर फैक्टरी और वाराणसी में एक डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री खोली गई । इस तरह से शुरू से ही उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गई है । इससे सब को नुकसान हुआ है । मेरे मित्रों ने संविद सरकार की आलोचना की है और कहा है कि इस प्रदेश में खराबी पैदा इसने की है । लेकिन आप देखें कि खराबी का सूत्रपात कहां से हुआ ? वह कांग्रेस सरकार के जमाने से ही तो हुआ । कांग्रेस आपस में बंटी हुई थी और कुछ लोग एक को अपना नेता समझते थे और कुछ दूसरे किसी दूसरे को अपना नेता मानते थे । मैंने सरकारी नौकरों में भी यही हाल देखा । कुछ लोग किसी एक नेता के साथ थे और कुछ लोग किसी दूसरे नेता के साथ कुछ लोग किसी मिनिस्टर के साथ और कुछ लोग किसी दूसरे मिनिस्टर के साथ थे । आजादी के बाद के बीस वर्षों में जो दुर्दशा कांग्रेस की सरकार में उत्तर प्रदेश की हुई वह कहने सुनने की बात है ।

जहां तक संविद सरकार का सम्बन्ध है उसे जो आशायें थीं वे सब धूमिल हो गईं । बहुत से विचारों के लोग उसमें सम्मिलित थे । इसलिए कुछ झगड़ा उनमें आपस में पैदा हुआ । कांग्रेस के शासन काल में जबकि एक ही पार्टी का शासन था तो भी, उसके बावजूद भी उसमें आपस में झगड़े होते रहे थे और उस कारण से यह मान लिया गया था कि वहां तो यह काम सही हो ही नहीं सकता है । यह तो झगड़े का ही प्रदेश है और यहां झगड़े होते रहे हैं और होते रहेंगे । जब कांग्रेस के शासनकाल में झगड़े होते रहे तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की उन्नति की तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता । अब संविद सरकार पर दोषारोपण करके उस चीज को खत्म कर देना मैं नहीं समझता कि कोई बुद्धि-

मत्ता की बात होगी । हमें सोचना होगा कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जहां आरम्भ हुआ, जिसने सारे संसार को रोशनी दी उसके पिछड़े जाने का क्या कारण है और क्यों उस प्रदेश को इस तरह से पिछड़ा हुआ रखा जाये । मैं देखता हूं कि जब कभी भी जरा सी भी बात केरल या किसी अन्य प्रदेश की होती है तो चाहे इधर के लोग हों या उधर के लोग हों, चाहे कम्युनिस्ट हों या गैर-कम्युनिस्ट हों, डट कर बात करते हैं लेकिन जब कभी उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है तो उत्तर प्रदेश के ही लोग संयुक्त रूप से उसके बारे में कहने का प्रयत्न नहीं करते हैं । मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि जब चाहे कांग्रेस के लोग हों या गैर-कांग्रेसी लोग हों यदि उत्तर प्रदेश को हम उन्नतिशील बनाना चाहते हैं, देश के दूसरे राज्यों के बराबर उसको लाना चाहते हैं तो हमें इसके लिये एक हो कर, संगठित हो कर आवाज उठानी होगी । वहां की जन संख्या ज्यादा है, भूमि वहां की उपजाऊ है, वहां ज्यादा पैदा हो सकता है लेकिन फिर भी वहां जो गरीबी वास करती है उसको मिटाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे और इसके लिए हमें आवाज़ उठानी होगी । वहां के लोग भूखों मरते हैं । झारखंडे राय जी ने कहा कि वहां लोग आम की गुठली और गोबला खाते हैं । यह कितनी लज्जा की बात है हमारे लिए । मैं चाहता हूं कि ये सब जो चीजें हैं इनकी ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये ।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । तीन योजनायें पूरी हो चुकी हैं । लेकिन हमारे रुहेलखंड के इलाके के बारे में कुछ नहीं किया गया है । शाहजहां जिले का एक भाग पुवायां है । वहां आज भी जीप नहीं जा सकती है । बैलगाड़ी भी शायद नहीं जा सकती है । रास्ते में ही वह टूट जाएगी, इतने रास्ते वहां पर खराब हैं । सड़क जो बन चुकी है उस सड़क को जोड़ने के लिये पुल नहीं है । अजीब वहां का नक्शा है । जब हम उधर जाते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि हम सोलहवीं या सत्रहवीं शताब्दी में रह रहे हैं । ऐसा जरा भी ध्यान नहीं आता है कि हमें बीस साल स्वतंत्र हुए हो गए हैं । इतनी सड़कें वहां खराब हैं । मैं चाहता हूं कि रूहेलखंड के विकास की ओर सरकार विशेष ध्यान दे अब जबकि राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश पर लागू किया गया है तो आशा करनी चाहिये कि उस ओर भी कुछ ध्यान दिया जाएगा और उस इलाके के विकास के लिये समुचित प्रबन्ध किया जाएगा ।

पीली भीत का जिला जंगलों से भरा हुआ है । घास और पेड़ पौधे वहां बहुत ज्यादा होते हैं । वहां से आपको कागज़ बनाने के लिये बहुत अच्छी मात्रा में रा मैटीरियल मिल सकता है । लेकिन इसको कभी सोचा नहीं गया है । कभी सोचा नहीं गया है कागज का या लुगदी बनाने का वहां कारखाना स्थापित किया जाये, इसकी वहां इंडस्ट्री खोली जाए । खाद्य और कृषि मंत्रालय द्वारा कुछ सर्वेक्षण उस इलाके का किया जा रहा है, जंगलात का एरियल सर्वे किया जा रहा है और पता लगाया जा रहा है कि कितना रा मैटीरियल वहां मिल सकता है । यह हवाई सर्वे है जो किया जा रहा है । पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जो जंगलात से भरे हुए हैं वहां कागज़ की लुगदी बनाने का कारखाना खोला जाना चाहिये ।

मैं यह भी चाहता हूं कि रूरल इंडस्ट्रीज की तरफ भी ध्यान दिया जाए । ग्रामीण उद्योग धंधे अधिक से अधिक खोले जायें, उनका विस्तार किया जाये ।

जहां हम अपेक्षा करते हैं कि सरकारी नौकर अच्छा काम करें वहां उनकी जो

[श्री मोहन स्वरूप]

उचित मांगें हैं उन पर भी आपको विचार करना चाहिये । एक से हालात में उत्तर प्रदेश के अफसर और केन्द्र के अफसर काम करते हैं, एक सा काम करते हैं लेकिन उनकी तनख्वाहों में भिन्नता है, कोई मानता नहीं है । आए दिन सरकारी कर्मचारी हड़ताल भी करते रहते हैं । छोटे कर्मचारी ही नहीं मैंने देखा है कि लखनऊ में मुख्यालय के बड़े-बड़े कर्मचारी भी हड़ताल करते हैं, नारे लगाते हैं । मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय कर्मचारियों और उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाहों में पैरिटी लाई जाए ।

लोकल बाडीज के कर्मचारियों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है । न तो उनको पर्याप्त तनख्वाह मिलती है और न किसी और तरीके से उनको कोई सुविधायें प्राप्त हैं । लोकल बाडीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया आदि के जो कर्मचारी हैं उनको भी सुविधायें दी जानी चाहिये, अच्छे वेतन दिये जाने चाहिये ।

टीचर्ज का मामला भी उठाया गया है । प्राइवेट स्कूलों के टीचर्ज, माध्यमिक पाठशालाओं के अध्यापक बहुत कठिनाई अनुभव कर रहे हैं । दिल्ली के टीचर्ज की तनख्वाहों का स्तर काफी ऊंचा है और दूसरे राज्यों के टीचर्ज की तुलना में । यदि यहां के अध्यापक और ऊंचे वेतनों के लिये एजीटेशन कर सकते हैं तो क्या यह उचित नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अध्यापकों के वेतनमानों पर भी विचार किया जाए जिनको बहुत ही कम वेतन मिलता है । यह ठीक है कि दिल्ली के अध्यापकों की तरह से वे शेर शराबा नहीं करते हैं लेकिन उनके पेट तो हैं, उनके बालबच्चे तो हैं।

भूमिहीन लोगों के बारे में मेरे मित्रों ने कहा है । मैं कहना चाहता हूं कि पीलीभीत में, पुवायों तहसील में तथा दूसरे भागों में जमीनें खाली पड़ी हुई हैं और उनके खाली पड़े रहने का कोई औचित्य नहीं है । उनको मैं चाहता हूं कि भूमिहीनों में बांट दिया जाए ताकि वे अपना गुजर-बसर कर सकें और उनकी बेकारी दूर हो । वे भूखों मर रहे हैं । राष्ट्रपति के शासन काल में भूमिहीनों की दशा को सुधारने के लिए सक्रिय कदम उठाया जाना चाहिये ।

खाली टीका टिप्पणी से कुछ काम नहीं होगा । कौन बुरा है, कौन भला है इसमें अब हमें नहीं जाना चाहिये । इसका अब निश्चय हो जाना चाहिये कि उत्तर प्रदेश को हमें ऊंचे दर्जे पर ले जाना है, उसको उन्नतिशील राज्य बनाना है और उसके लिए हमें सक्रिय कदम उठाने होंगे । किसी भी तरह के लोग हों, सबको गम्भीरता के साथ इस पर विचार करना चाहिये । तभी इस राज्य का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है ।

श्री मु० अ० खां (कासगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, यू० पी० के सम्बन्ध में जो बिल यहां आया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । सब से पहले जिस वक्त जनरल एलेक्शन के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी उसके बाद इन्होंने कुछ खुदगर्जों से, कुछ काले दिल वालों से गठजोड़ करके डिफेक्टर्स को इनवाइट किया । वह जो बहुत दिनों से एक ख्वाब देखते थे, मैं उत्तर प्रदेश में उनके साथ रहा हूं चौधरी साहब के जिनको कि पुरानी आदत रही है कूदफांद करने की, जब वह कांग्रेस के अन्दर थे तो उपध्यापक महोदय, जिस वक्त वह सम्पूर्णानन्द जी के साथ थे, मैं उनकी पार्टी में था, मैं उनके गुट में था, उनके साथ था, उनका सिपाही था । उसके बाद जब जरासी सम्पूर्णानन्द जी से नाराजगी हुई तो एक जम्प लगायी और गुप्ता जी के पैर पकड़ लिए कि अब तो मैं आपकी ही शरण में गुजर करूंगा । जिस वक्त उत्तर

प्रदेश की पी० सी० सी० का एलेक्शन हुआ तो चौधरी साहब ने इन्हीं गुप्ता जी को देवता बना कर मोती महल की दीवार पर खड़े होकर कहा था कि आज हम इनको वोट करने आये हैं और उन्होंने कहा सम्पूर्णानन्द के लिए, 4 तारीख थी वह और उस दिन शायद रावण मारा गया था, तो चौधरी चरण सिंह ने मोती महल की दीवारों पर खड़े हो कर कहा था सम्पूर्णानन्द के लिए कि आज रावण मारा गया है जब कि गुप्ता जी प्राविंशियल कांग्रेस कमेटी का एलेक्शन पहली मर्त्तबा जीते थे ।

चौधरी साहब के लिए उस वक्त भी बंगला था रहने के लिये जब वह मिनिस्ट्री में नहीं थे । वह आज जिन को नामिनेट किया है उन्होंने राज्य सभा के लिए वह सेठ मेरठ का जिसकी परवरिश के बल पर चौधरी साहब का सारा कारोबार चलता है, मैं जानता हूं बहुत क्लोज़ली और शायद झारखंड राय जी भी जानते हैं जिनको नामिनेट किया है राज्य सभा के लिए, पृथ्वीनाथ उसका नाम है, उसके साथ के नीचे जब मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे कर आये तो एक अच्छी सी कोठी में उसी तीन सौ रुपये महीने में जो एक एम० एल० ए० को मिलता है, ठाट के साथ रहते थे। उसमें मैंने देखा कि कोठी भी थी, मोटर भी थी, चपरासी भी थे, सिपाही भी थे, सारा ठाट-बाट था । मेरी समझ में नहीं आया कि ढाई सौ या 3 सौ रुपए में यह आदमी कितने ठाट से किस तरह रहता है ? उसके बाद जब फिर गुप्ता जी से पोर्टफोलियो के ऊपर झगड़ा हुआ कि होम दिया जाय या न दिया जाय, उन्होंने कह दिया कि तुम्हें तो जंगल में ही रहना है, जंगल ही लो, लिहाज़ फिर उनसे नाराज़ हुए तो त्रिपाठी जी के जाकर पैर पकड़ लिए । अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों का यह कैरेक्टर रहा हो उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है ?

उसके बाद जब फिर गवर्नर के ऐड्रेस पर अमेंडमेंट आया तो उन्हें लालच हुआ । उन्होंने सोचा कि चीफ मिनिस्ट्री यहां तो मिलेगी नहीं, तो इन तरह-तरह की बोलियां बोलने वालों से मिल कर जिन को अपने बोलने पर कंट्रोल नहीं, जिनके बोलने का कोई ढंग नहीं, उनके साथ मिल कर फ्लोर क्रास किया । उस समय उपाध्यक्ष महोदय, यू० पी० के अन्दर हमारे नेता ने यह मिसाल कायम किया कि जिस वक्त हाउस के अन्दर मोशन डिफीट हुआ, उसने वहीं खड़े हो कर एलान किया और रिजाइन किया । यह पहली मिसाल उन्होंने कायम की थी । हमारे उत्तर प्रदेश के नेता हमेशा मिसालें कायम करते रहे हैं । हमने ऐसी-ऐसी मिसालें कायम कीं, हमने दिखला दिया यह उससे सबक सीखें, यह क्या जान कि डेमोक्रेसी चलाने का तरीका क्या है । उसका नतीजा हरयाना में यह मिला कि राव वीरेन्द्र सिंह..... (**व्यवधान**)

SHRI SHRI CHAND GOEL (Chandigarh) : May I know, Sir, whether acting is also allowed along with speaking ?

श्री मु० अ० खां : शायद तकलीफ हो रही होगी मेरी बातों से । आप को सख्त मालूम हो रही होंगी मेरी बातें । ..... (**व्यवधान**) .....

इसके बाद इन तरह-तरह की बोलियां बोलने वालों के साथ अपनी मिली-जुली सरकार बनायी । यहां बड़े-बड़े दावे किए गए कि कांग्रेस को इतने परसेंट वोट मिले या इतने परसेंट मिले लेकिन यह छः और सात परसेंट वोट लेने वाले लोगों ने इकट्ठे हो कर सरकार वहां बनायी । बड़े भारी दावे थे कि उत्तर प्रदेश का यह सारा का सारा कल्याण कर देंगे । लेकिन हुआ क्या ? उपाध्यक्ष महोदय, हुआ यह कि जब इन तरह-तरह की बोलियां बोलने वालों का दल इकट्ठा हुआ तो अन्दर बैठ कर तो

[श्री मु० अ० खां]

कान में सलाह यह करते थे कुछ और बाहर आ कर एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते थे । पूरे ग्यारह महीने में इन्होंने सिवाय लड़ाई झगड़े के कोई काम नहीं किया । इनकी सारी हिस्ट्री से हम लोग वाकिफ हैं । इन्होंने दो बड़े भारी काम किए हैं उत्तर प्रदेश में । एक तो इन्होंने हाउस टैक्स माफ किया, भूमि भवन कर जो वहां लगा था । जिस वक्त चौधरी चरण सिंह नेता बने तो बड़ा भारी नारा था उत्तर प्रदेश में कि किसान का बेटा चीफ मिनिस्टर हो गया । और उपाध्यक्ष महोदय, किस को किसान का बेटा कहा गया ? जिसने आज तक हल की मुठिया नहीं देखी, जिसने आज तक खेत की मेड़ नहीं देखी, जो जानता नहीं कि किस फसल में कौन सा बीज बोया जाता है, उसको कहा गया कि किसान का बेटा चीफ मिनिस्टर हो गया । इसके बाद इन लोगों ने उसकी टांग पकड़ कर खींचना शुरू किया । वह तो आये थे चीफ मिनिस्ट्री की लालच में । उन्होंने देखा कि अब तो जनसंघ का मुंह देखना पड़ेगा । उन्होंने सोचा कि अगर जनसंघ से सर ताजा करो तो गर्दन उड़ जायेगी । तो इन्होंने सब से पहले तो सेठ साहूकारों पर टैक्स माफ कर दिया । यह भूमि भवन कर किसी भी गांव के आदमी पर नहीं लगा था । यह सारे का सारा टैक्स शहरी इलाके में लगा है । उन लोगों पर लगा है जो जनसंघ को मदद देते हैं, जो जनसंघ को फेवर करते हैं । लिहाजा जनसंघ ने इनकी गर्दन पकड़ी कि तुम इन्हें छोड़ दो और छोड़ना पड़ा । एक तो बड़ा भारी काम यह किया किसान के बेटे ने और दूसरा काम क्या किया ? नारा लगाया कि लगान माफ कर दो । लेकिन 23 करोड़ रुपया इन किसानों के हमदर्दों ने ज़बरन लाठी के बल पर, पुलिस के जरिए से लेवी की शक्ल में वसूल कर लिया उन किसानों से और उस वक्त वसूल किया जबकि बाजार के अन्दर सवा सौ रुपये, 130 रुपये क्विंटल गल्ला बिक रहा था । मैंने इसी हाउस के अन्दर फूड मिनिस्टर जगजीवन राम जी से सवाल किया था कि क्या यह सही है कि लेवी सख्ती से किसान से वसूल की गई है तो मुझे जवाब दिया गया था कि न मालूम कहां से मेम्बर महोदय सुन आये हैं । अब सुनाता हूं आपको मैं यू० पी० की हाल । उपाध्यक्ष महोदय, चार दुकानें थीं मार्केट के अन्दर । ओपेन मार्केट में 125 रुपए क्विंटल गेहूं बिक रहा था । उपाध्यक्ष महोदय, इसी सरकार की दुकानें थीं दो कोआपरेटिव की जिसमें 130 और 125 रुपये क्विंटल गेहूं बिक रहा था । मगर यह और इनके सरकारी कर्मचारियों ने किसान से ज़बरन, 80 रुपये और 85 रुपये क्विंटल पुलिस के जरिए से गेहूं वसूल किया । और इनके कर्मों का कहां तक हाल सुनाऊं ? इन्होंने किसानों से गल्ला ही नहीं लिया बल्कि किसानों के पास तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर ने जा जाकर डिफरेंस लिया । 80 और 130 का डिफरेंस वसूल किया और 3 रुपये क्विंटल कमीशन लिया । यह फैक्ट्स हैं जिनकी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ हाउस के अन्दर दाद दे रहा हूं । यह वह फैक्ट्स हैं जिन को मैं साबित कर सकता हूं । मेरी कांस्टीट्यूएंसी में इस तरीके से वसूली की गई । वह शहरी एजेंट जिनको कि इन सरकारी मुलाजिमों ने बना रखा था उनसे उस डिफरेंस का रुपया ले कर इन सरकारी कर्मचारियों ने बांट लिया ।..... (व्यवधान).....

18 hrs.

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने नारा लगाया था कि रोटी कपड़ा दे न सके जो वह सरकार निकम्मी थी और खुद तुमने यू० पी० में क्या किया ? तुमने यह किया कि गल्ला जो 140 रुपये और 130 रु० क्विंटल बाजार में था उसको 60 और 65

रुपये में बिकवाया और होर्डर्स को सपोर्ट किया । आज उसी यू० पी० में वही गल्ला कैसे फिर 130 रुपये में बिक रहा है ? कहां से यह गल्ला आ गया ? मुझ को जवाब दे झारखंडे राय जी ।

उपाध्यक्ष महोदय, असेम्बली के अन्दर मिनिस्टरों के ऊपर चार्जेज लगाए गए नाम ले लेकर रिश्वतों के, कभी आज तक जवाब दिया ?.....(**व्यवधान**)...

उपाध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)...

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मेरा कहना यह है कि माननीय सदस्य आहिस्ता बोलें, हमें उनकी सेहत का खयाल है ।

श्री मु० अ० खां : इसके अलावा एक और बड़ी दर्दनाक बात है .....

श्री झारखंडे राय : जो प्रोक्योरमेन्ट पालिसी है, जिसकी आप बड़ी खूबी से आलोचना कर रहे हैं, क्या यह केन्द्रीय सरकार की नीतियों के अनुसार सारे देश में नहीं चलाई गई थीं या नहीं चलाई जा रही है ?

श्री मु० अ० खां : हमसे तो झारखंडे राय जी ने गल्ला वसूल किया है । आप इसको केन्द्र पर क्यों डालना चाहते हैं ।

श्री झारखंडे राय : क्या आप चाहते हैं कि अमरीका का पी० एल० 480 गेहूं हिन्दुस्तान में बराबर आता रहे । और हम उसके भिखारी बने रहें ?

श्री मु० अ० खां : उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक और सबसे बड़ी प्राब्लम है । आप इनकी दूसरी कमजोरी सुनिये । उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा सूबा है । वहां पर मुसलमान माइनारिटी की बहुत बड़ी तादाद है । इस मर्तबा जो जनरल एलेक्शन्स हुए उसमें जनरली मुसलमानों का व्यू कांग्रेस के खिलाफ गया । इसका मैं सबूत भी दे सकता हूं । चूंकि 20 साल की मुद्दत में कांग्रेस उनकी हिफाजत नहीं कर सकी इसलिए उसने इनकी तरफ मुंह उठाकर देखा कि शायद इनको ही अक्ल आ जाये । इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि यू० पी० से कांग्रेस टिकट पर इस हाउस में मैं अकेला मुसलमान चुन कर आया हूं और अपोजीशन की तरफ से 4 मुसलमान चुन कर आये हैं । इसका मतलब यह है कि 80 परसेंट मुसलमानों ने आपोजीशन को वोट किया । उन्होंने इनसे आस लगाई कि शायद इन्हीं के दिल में रहम आ जाय कि माइनारिटी की हिफाजत करना भी किसी का फर्ज है । लेकिन उनकी जान इसमें भी नहीं बची । बिलग्राम में, इन्हीं की सरकार के जमाने में, जब दो कम्युनिटीज में मामूली सा झगड़ा हो गया और 8 बजे लोग जाकर सो गये तो 11 बजे रात को जाकर पुलिस ने घरों में मुसलमानों को पकड़ा, 73 आदमी गिरफ्तार किए गए और जेल भेजे गए । औरतों की इज्जत खराब की गई, मार पीट की गई डंडे बरसाए गए ।

उसके बाद मेरठ में जो कुछ हुआ, वह सब आपको मालूम ही है । अब मैं इलाहाबाद के बारे में बतलाना चाहता हूं । मैं सटरडे को वहां जांच करने के लिए गया था और आज ही वहां से वापस आया हूं ।(**व्यवधान**)...**

एक पार्लियामेंट के मेम्बर की हैसियत से मैंने 30 मर्तबा टेलीफोन किया लेकिन एक का भी रेस्पांस नहीं मिला ।(**व्यवधान**)....**

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will have to stop this. Please resume your seat. I must warn him and the House also. If he wants to narrate some incidents where communal tension was there or some action was taken, if a Member alleges that a police officer has taken this stand, it is not proper. It will create more difficulties; it will strengthen the hands of the enemies of India. This must be borne in mind.

Such matters should not be referred to in this light. I will say this very

**Expunged as ordered by the Chair.

[Mr. Deputy-Speaker]

definitely. If anybody wants to mention that there was communal tension or communal disturbance the facts must be stated in such a way as not to inflame passion. You cannot say that such and such police officer behaved in this way. This is not the way to do it. It will spoil discipline of the service and I will not allow it on the floor of the House.

At the present juncture if we indulge in this type of speeches it will not help to maintain communal amity. It will inflame the atmosphere. So this must be borne in mind. Whatever he says must be consistent with what I have ruled. Because a certain partisan attitude is taken, we should not allow this.

SHRI RANDHIR SINGH: Those remarks of his against some officers are likely to be taken advantage in Pakistan. I suggest that those observations should be expunged from the record.

DR. MAHADEVA PRASAD: That portion must be expunged.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I would also suggest that. I think it is the desire of the House that narration of such incidents where partiality is alleged on the part of certain police officer, that portion, and the other portion which is likely to inflame passions, should go out of the record.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Those portions are expunged.

SHRI AMRIT NAHATA (Barmer): On a point of order.

SHRI RANJIT SINGH: The Home Minister himself had given facts of these cases to the House earlier. So nothing at variance with that should be allowed.

SHRI AMRIT NAHATA: An hon. Member from our side was speaking about some incidents in Allahabad. An objection was taken by some Jan Sangh members on the ground that it would add grist to the Pakistan propaganda machinery. You have to decide what would add to the Pakistan propaganda mill—whether the fact of the riots or the voice of those against those riots.

श्री मोलहू प्रसाद : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरी पार्टी के खिलाफ एलीगेशन लगा रहे हैं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please resume your seat. I will not hear a word from you now.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: You do not allow me to speak. I cannot tolerate this sort of thing.

MR. DEPUTY-SPEAKER: When he narrated certain incidents where proper protection was not given or there was a minor scuffle of which certain advantage was taken, I never disturbed him. But when he alleged that a particular police officer was acting in a particular manner, do you think that these things will help maintain communal unity or the secular character or a secular atmoshpere in the country. Am I to allow it? I am not going to allow it. If the partisan warfare is going to result in such narration of instances on the floor of the House, I cannot tolerate it. This must end here.

SHRI AMRIT NAHATA: I respect your sentiments but I submit that it is these very communal forces in the country, especially in Allahabad, who have inflamed communal passions. When their representatives speak....

MR. DEPUTY-SPEAKER: This will raise a controversy again. When there is communal disturbance, at least we should not try to take a partisan attitude. If on the floor of the House, we take a partisan attitude and apportion blame, it is not in the interest of communal peace. I personally feel that there are methods by which these grievances could be ventilated. He must close in a minute now.

श्री मु० अ० खां : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अर्ज किया, इलाहाबाद के सिलसिले में इन्तहा ज्यादती की गई है माइनारिटी कम्यूनिटी के साथ ; उन को डराया है, मारा गया है । लिहाजा मैं इलाहाबाद के मामले में यह मांग करता हूं कि इस की एक जुडिशल एन्क्वायरी कराई जाये, और जिन लोगों की वजह से यह बलवा हुआ है उन को ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाय । मैं अपील करता हूं कि जिन अफसरान की वजह से ऐसा हुआ है उन का ट्रांस्फर किया जाये ताकि वहां की हालत ठीक हो सके ।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Many points were raised during the debate and many of them had already been replied to by hon. Members speaking from this side of the House. I do not propose to take a long time.

एक माननीय सदस्य : हिन्दी में बोलिये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I wanted to call many more hon. Members. But we have to finish this business. There is another opportunity on the budget and I shall keep it in mind.

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्य का सुझाव यह है कि चूंकि यह उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित बहस है इस लिये मैं हिन्दी में बोलूं । मैं सहमत हूं हिन्दी में बोलने के लिय ।

सर्वप्रथम जब माननीय सदस्य श्री झारखंडे राय ने बोलना प्रारम्भ किया तो उन्होंने कई आरोप कांग्रेस सरकार के ऊपर लगाये, और यह कहा कि राष्ट्रपति शासन जो उत्तर प्रदेश में चलाया गया वह एक षड्यन्त्र था, और उस को जो केन्द्रीय सरकार के कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने किया । मैं यहां पर किसी एक दल विशेष का बचाव करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं । मैं तो केन्द्रीय सरकार की तरफ से कह सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोगों को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर के कोई खुशी नहीं हुई है, न ही हम लोगों की यह इच्छा थी । षड्यन्त्र का सवाल तो बहुत दूर की चीज है, इस बात को हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे । हम ने हर सम्भव प्रयत्न किया कि ऐसा न किया जाये और जितनी कम जगहों पर राष्ट्रपति शासन लागू हो उतना ही अच्छा हम मानते हैं । परन्तु जब इस तरह की विषम परिस्थितियां वहां बन गईं, और जब वहां पर जिन लोगों की इस बात की जिम्मेदारी थी कि वह सरकार को चलायें और वहां पर प्रशासन ऐसा हो जिस में स्थायित्व हो क्योंकि उसी में अच्छाई है, वह अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके, जब वहां पर सरकार गिरने लगी और उस के फलस्वरूप वहाँ के मुख्य मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया और यह बात असम्भव हो गई कि वहां पर कोई जिम्मेदार मंत्रिमंडल जारी रहे, तब हम को राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा ।

सभी माननीय सदस्य जानते हैं वहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी के इस्तीफा देने के बाद किस तरह की परिस्थिति पैदा हुई । कई माननीय सदस्यों ने बतलाया कि किस तरह से संविद के नेता पद को ले कर वहां झगड़ा हुआ, कई नेता बन गये और किस तरह से संविद के घटकों ने इस बात की सूचना समय समय पर गवर्नर साहब को दी कि हम उसका समर्थन करते हैं या नहीं । इस तरह से बहुत सी बातें हैं जिन के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, परन्तु चूंकि वे बातें यहां पर कही जा चुकी हैं और अखबारों में भी आई हैं, इस लिये उन के बारे पें चर्चा करना फुजूल है । मुख्य बात यह है कि संविद के अन्दर ही इतना विघटन हुआ और एकता नहीं रही, कोई सर्वमान्य नेता नहीं रहा, इस लिये मजबूर हो कर राज्यपाल महोदय को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी पड़ी और उस के बाद राष्ट्रपति महोदय ने वहां पर अस्थायी रूप से राष्ट्रपति शासन लागू किया ।

माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि वहां जो सब से बड़ी इकाई कांग्रेस की है उस के नेता ने भी यह कहा कि वह सरकार बना सकते हैं ।उस के बाद राज्यपाल महोदय ने उन को बुलाया और देखा कि क्या वह इस

[श्री विद्या चरण शुक्ल]

स्थिति में है कि स्थायी मंत्रिमंडल बना सकें। उन की राय में शायद कांग्रेस वाले भी स्थायी मंत्रिमंडल इस समय नहीं बना सकते। परन्तु उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को भेजी उस में यह साफ लिखा है कि वह समझते हैं कि कुछ समय देने से हो सकता है कि वहां पर इस तरह की राजनीतिक गतिविधियां हों जिस के बाद वहां एक स्थायी मंत्रिमंडल बनने की स्थिति पैदा हो—वह रिपोर्ट इस सदन में भी रखी गई है—इसलिये उन्होंने इस बात की सिफारिश की कि वहां की विधान सभा को खारिज न किया जाये, बल्कि उस को सस्पेंशन में रखा जाये। उस के बाद राष्ट्रपति महोदय ने यह प्रोक्लेमेशन जारी किया, जिस पर आज इस माननीय सदन में बहस हो रही है। इस लिये मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूं कि हम लोगों की तरफ से इस बात की कोई इच्छा नहीं थी, षड्यन्त्र की बात तो बहुत दूर की बात है। हम ने तो सपने में भी नहीं सोचा कि वहां इस तरह से होना चाहिये या उस तरह से होना चाहिये। संविद की सरकार जिस हालत में गई है, वह आपको अच्छी तरह से मालूम है।

यहां पर दो तीन बातें उत्तर प्रदेश राज्य की स्थिति के बारे में कही गईं कि वहां के शासन ने कौन सा काम अच्छा किया या अच्छा नहीं किया। इस के बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। जहां तक मिड-टर्म पोल की बात है, मध्यावधि चुनाव की बात है, जैसा मैंने पहले कहा, हम लोग तो यह चाहते हैं कि चूंकि अभी लगभग एक साल पहले ही वहां चुनाव हुए ह। इसलिये हम लोग वहां पर इतनी जल्दी दुबारा चुनाव कराने की कोशिश न करें, जहां तक हो सके वर्तमान विधान सभा के अन्तर्गत ही स्थायी सरकार बनाने का यत्न करें और वहां के जो जिम्मेदार नेता हैं, विधायक हैं, और हम लोग सब इस बात पर सोच विचार करने का प्रयत्न करें कि जिस पार्टी की भी सरकार वहां बने, जो भी इन्तजाम हो भविष्य के लिये, उस में स्थायित्व हो। इस तरह से जो बार बार मिड-टर्म पोल की बात होती है, मैं नहीं समझता कि उस में किसी का हित हो सकता है। मैं यह भी नहीं कहता कि मिड-टर्म पोल कोई खराब बात है; जहां पर कोई चीज सम्भव न हो सके, जहां बिना मिड-टर्म पोल के स्थायी सरकार बनाने की कोई गुंजाइश ही न रहे, वहां मिड-टर्म पोल करना भी ठीक है। परन्तु जहां पर थोड़ी भी आशा बंधती हो कि बिना मिड-टर्म पोल के वर्तमान विधान सभा से स्थायी रूप से मंत्रिमंडल बन सकता है, वहां पहले इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिये। अब इस में निराशा हाथ लगे तब फिर दूसरी बात सोची जा सकती है।

18.15 hrs.

[SHRI G. S. DHILLON *in the Chair*]

वैसे कई माननीय सदस्यों ने कहा कि दूसरे राज्यों में कहीं मिड-टर्म पोल की बात हुई, कहीं असेम्बली सस्पेंड की गई, तो शायद इस में भी केन्द्रीय सरकार की कोई चाल हो। लेकिन मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि इस में चाल का कोई सवाल नहीं है। प्रत्येक प्रान्त की जो स्थिति है उस की ठीक से जांच करने के बाद जिस तरह की सिफारिश वहां के राज्यपाल महोदय करते हैं और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को भेजते हैं, जैसा कि हमारे संविधान में अपेक्षित है, उस रिपोर्ट को हम सदन के सामने रखते हैं, और उस रिपोर्ट पर आधारित कार्रवाई ही हम करते हैं। चूंकि हर जगह की परिस्थितियां भिन्न हैं, हर जगह की जरूरतें अलग अलग हैं, इस लिये उन के हिसाब से कार्रवाई की जाती है। परन्तु यह कहना बिल्कुल गलत है कि राजनीतिक कारणों से हम ने कहीं कोई भेद भाव किया है, अर्थात् कहीं पर सस्पेंड किया है, कहीं पर डिजाल्व किया है, कहीं पर मिड-टर्म पोल किया है कहीं पर नहीं किया है। यह बात बिल्कुल गलत है कि इस में राजनीतिक सोच विचार कर के निर्णय लिया गया है। केवल वहां की परिस्थितियों पर

विचार करने के बाद, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से इन सब बातों पर विचार करने के बाद निर्णय लिये गये हैं। उन निर्णयों को लेने के बाद हम आप के पास आते हैं कि आप उस निर्णय को मंजूर करें और उस के ऊपर अपनी सील लगायें।

श्री झारखंडे राय : जब गवर्नर को संविद के बहुमत के बारे में कोई संदेह नहीं था तो नए नेता के चुनाव के लिये अवसर न दे कर राष्ट्रपति शासन का सुझाव उन्होंने जल्दबाजी में क्यों दिया ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां तक मुझे ज्ञात है गवर्नर ने आठ नौ दिन का समय दिया ताकि नए नेता का चुनाव हो सके और मंत्रिमंडल फिर से बन सके। इस वास्ते उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। जब वे चुनाव नहीं कर सके तभी उन्होंने रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो सभी बातें उस में ब्यौरेवार दी गई हैं। कि किन कारणों से उन्हें इस तरह की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजनी पड़ी है।

श्री रणजीत सिंह तथा कई अन्य माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिये हैं ताकि वहां का प्रशासन ठीक हो सके और वहां की जनता की भलाई हो सके। मैं चाहता हूं कि वहां जल्दी से स्थायी मंत्रिमंडल स्थापित हो। यह हम सब की आशा होनी चाहिये। जब तक वह कायम नहीं होता है तब तक हम लोग इस बात का पूर्ण प्रयत्न करेंगे कि जो सुझाव दिये गये हैं उन पर सोच विचार किया जाए और जो उचित कार्रवाई है वह भी की जाएगी। यह एक अस्थायी इंतजाम है। पता नहीं कितने दिन यह चलेगा। हो सकता है दस दिन चले या महीना दो महीने चले। इस थोड़े से समय में कोई नीति सम्बन्धी बात तो नहीं हो सकती है, ऐसी बात तो नहीं हो सकती है जिस का बहुत लम्बा असर हो। हम लोग तो सिर्फ अस्थायी तौर पर वहां का शासन चला रहे हैं। जैसा मैंने आरम्भ में कहा है, माननीय सदस्यों ने जो उपयोगी और अच्छे सुझाव दिये हैं, उन के ऊपर पूर्ण रूप से विचार करके हम कार्रवाई करने का प्रयत्न करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि जो घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है और जो यह विधेयक मैंने पेश किया है, यू० पी० लैजिस्लेचर बिल, इसको माननीय सदस्य मंजूरी दें।

श्री रणजीत सिंह : मैं एक बात कहना चाहता हूं। सिंचाई की ओर वहां तुरन्त ध्यान दिया जाए क्योंकि जब से कानून बना है तीस लाख आबादी वाले बस्ती जिले में किसी एक व्यक्ति ने भी ट्यूबवैल के लिए कनैकशन नहीं लिया है।

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That this House approves the Proclamation issued by the President on the 25th February, 1968, under article 356 of the Constitution in relation to the State of Uttar Pradesh."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill to confer on the President the power of Legislature of the State of Uttar Pradesh to make laws, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : We will take up clause-by-clause consideration. There are no amendments to clause 2.

The question is :

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3—(*Conferment on the President the power of the State Legislature to make laws*).

MR. CHAIRMAN : There are two amendments to this clause one by Mr. Misra and another by Mr. Limaye. Mr. Limaye is not present. Mr. Misra.

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack) : I beg to move :

Page 2,—

for lines 17 to 27, substitute—

"(4) Either House of Parliament may, by resolution passed within thirty sittings of the House next following the date on which the Act has been laid before it under sub-section (3), which period may be comprised in one session or in successive sessions, direct repeal of or any modification to be made in the Act and if the direction to repeal or to make any modification is agreed to by the other House of Parliament before the end of the next succeeding session of that House, the Act shall stand repealed or amended according to the modifications proposed in the resolution, as the case may be :

Provided that nothing in this sub-section shall affect the validity of any action taken under the Act before such repeal or amendment unless otherwise expressly provided for in the resolution." (1)

Sir, while the same type of amendment was suggested by me to the West Bengal Delegation of Powers Bill, the minister perhaps thought that it was a matter of prestige and did not accept it. Really if he goes through it, he will find that it creates a certain absurdity. The period for which the President's Act will be laid on the Table is not provided. The Bill merely says that every Act enacted by the President shall be laid before each House of Parliament and within 30 days after it is so laid, this Parliament can pass a resolution modifying the Act. What will happen if, after the Act is laid on the Table, the Parliament does not sit for one month ? If the minister is sincere that the Parliament will contribute something by suggesting amendments, etc., he should give this House the requisite time. If it is placed tomorrow, it is all right. But if it is placed on the 11th May, what will happen ? He should not stand on prestige in these matters.

Secondly, this House has the power to modify the Act. But what about repeal ? What about saying this Act should not be passed ? These are ordinary matters for implementing the Act. Why should he fight shy of giving powers to this Parliament ? After all, his party has a majority here. I would request him to reconsider this matter.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : We have carefully considered this matter. It is not that we want to circumvent the powers of Parliament. It is only a question of the special circumstances under which we have to pass these legislative measures. All these Acts which the President will enact will be first, as far as possible, placed before the consultative committee, which we seek to create by this Bill. After that, they will be laid on the Table of the House. It is not that we want to lay it on the last day of the session. It is only to see that it is done within the proper time that this Bill is being enacted. We have no intention of circumventing the powers of Parliament. If it is laid on the Table and if members do not have enough opportunity to discuss it, we can even re-lay the whole thing; there is no prohibition to it. I am not saying that it will be re-laid, but it can be re-laid. It all depends on what the consultative committee says. I would request him not to entertain any apprehension and kindly withdraw the amendment.

SHRI SRINIBAS MISRA : On the assurance given by the Minister that this power will not be used to circumvent the powers of the House, I may be permitted to withdraw the amendment.

MR. CHAIRMAN : Has he the leave of the House to withdraw it ?

HON. MEMBERS : Yes.

Amendment No. (1) was, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added t othe Bill.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I beg to move :

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

18.29 hrs.

DELHI MILK SCHEME*

श्री प्रेमचन्द वर्मा (हमीरपुर) : सभापति जी, 22-2-66 को दिल्ली मिल्क स्कीम के बारे में एक प्रश्न था कि क्या इसके मैनेजमेंट में बड़ी गड़बड़ है और दूध की जो कीमत है वह इस कारण से बढ़ रही है कि मैनेजमेंट में बहुत ही वेस्टेज है, दूसरे दिल्ली मिल्क स्कीम के मैनेजमेंट से वह लोग असन्तुष्ट हैं जिन लोगों से दूध लिया जाता है तो मंत्री महोदय ने केवल इतना कह कर जवाब दिया : नो सर, नो सर, डज नाट एराइज । इसका मतलब यह हुआ कि वह बिलकुल सन्तुष्ट हैं दिल्ली मिल्क स्कीम से कि वह बिलकुल ठीक ठाक चल रहा है । मेरा ख्याल इस के विरुद्ध और इससे अलग है क्योंकि मैंने उस को अच्छी तरह से देखा है। 1959 से ले कर आज तक की उसकी हालत को मैंने देखा है और पढ़ा है । वह मैं आपके सामने रखना चाहूंगा । पहली बात तो यह है कि यह स्कीम जो 1959 में शुरू की गई थी उस का उद्देश्य यह था कि जो गांवों के लोग हैं नजदीक के उन लोगों को दूध की ठीक कीमत दी जाय और दूसरा उद्देश्य यह था कि दिल्ली के नागरिकों को सस्ते और मुनासिब दामों पर ठीक दूध सप्लाई किया जाय । लेकिन दस साल गुजर जाने के बाद भी वह दूध की सप्लाई बढ़ने के बजाय कम हो गई है और आज हजारों लोग ऐसे हैं, मंत्री महोदय को मालूम होगा, शायद पार्लियामेंट के मेम्बर भी उन को चिट्ठी लिखते रहते हैं कि लोग बीमार हैं, मर रहे हैं लेकिन उन को दूध मिलता नहीं है । हजारों लोग वेटिंग लिस्ट में हैं और दूध की हालत यह है कि गरीब लोगों को जो टोन्ड और डबल टोन्ड मिल्क मिलता था वह भी कैंसिल कर दिया है । अब गरीब लोगों के बच्चों को दूध नहीं मिलता है । उन्हें कितनी मुसीबत उठानी पड़ रही है लेकिन इन्होंने एक नादिरशाही आर्डर कर दिया और उसे कैंसिल कर दिया । कोई आलटरनेटिव अरेंजमेंट उन के लिए नहीं किया । यह इस दिल्ली के दूध की स्कीम की हालत है । आज दिल्ली की आबादी 1959 से लगभग दुगुनी से ज्यादा है । लेकिन दूध की सप्लाई जो है वह 1962-63 से कम हो गई है । एक चीज में कहना चाहता हूं मंत्री जी नाराज न हों, और हो भी जायें तो कोई बात नहीं । डेलही मिल्क स्कीम का नाम डेलही मिल्क स्कैंडल स्कीम होना चाहिए और इसका कारण मैं बताता हूं कि इस को डेलही मिल्क स्कैंडल स्कीम क्यों कहना चाहिए । जो यहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन है इस दिल्ली मिल्क स्कीम का वह अपने गुनाहों पर परदा डालने के लिए विभिन्न बातें करता रहता है । कुछ लोगों को, बड़े लोगों को खुश करने के लिए वह विभिन्न प्रकार के हथियार इस्तेमाल करता है । मैं केवल इतना इशारे में कह देना चाहता हूं और मैं मंत्री महोदय से अर्ज करना चाहता हूं कि इस मामले में मैंने जो शब्द कहे हैं कि विभिन्न तरीकों से जो मैनेजमेंट को चलाने वाले हैं वह बड़े आदमियों को खुश करने के लिए

*Half-An-Hour Discussion.